खण्ड-120, अंक-3
शुक्रवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(6 मार्च, 1953 ई0)

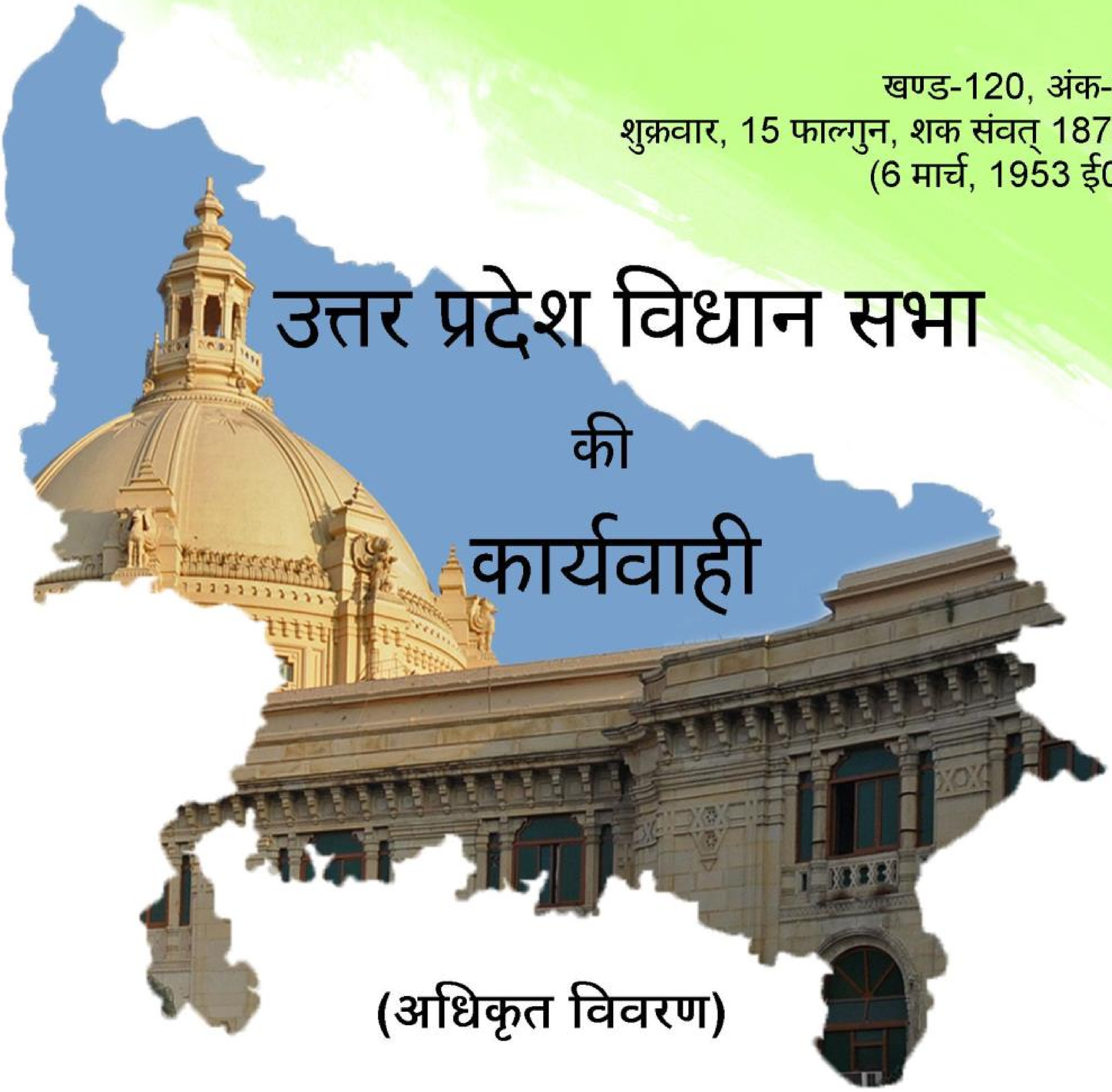

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय,
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में पुलिस थाना बनवाने के लिये स्थान

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में जो पुलिस थाना बनने जा रहा है उसके लिये सरकार ने कौन स्थान नियत किया है?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—थाना पिठौरागढ़ के भवन के लिये अभी कोई स्थान निश्चित रूप से नियत नहीं किया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को यह विदित है कि एस० डी० ओ० पिठौरागढ़ तथा चेयरमैन, टाउन एरिया पिठौरागढ़ ने इस थाने के बनाने का विरोध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया पुलिस विभाग को आदेश करेगी कि इस जगह पर खलाडांडा पर, थाना न बनाया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसी सप्ताह में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक खास इन्फार्मल मीटिंग करने वाले थे कि किस जगह पर थाना बनाया जाय। मुमकिन है कि जो इन्फार्मल मीटिंग करने वाले थे वह हो गयी हो या न हुई हो। उसके बाद ही निश्चय किया जायगा कि वह थाना कहां बनाया जाय।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या गृह मंत्री को पता है कि यह थाना पिठौरागढ़ नई बाजार के समीप खलाडांडा में बनाये जाने पर स्थानीय पूर्ण जनता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया गया है और जनता ने इसका घोर विरोध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। स्थानीय जनता का एक प्रार्थना-पत्र इस संबंध में सरकार के पास आया है।

*३-५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

पी० ए० सी० की बैटेलियनों को नैपाल भेजने पर खर्च

*६—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि अक्तूबर, नवम्बर, १९५० ई० से अब तक कितनी बार पी० ए० सी० की बैटेलियनें नैपाल में हमारे प्रदेश से भेजी गयी हैं और किन शर्तों पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फरवरी और अप्रैल, १९५१ में केवल दो बार बैटेलियनें भेजी गयी थीं ताकि वे हमारी व नैपाली सेना को नैपाल में शांति व्यवस्था करने में सहायता दें और शांति स्थापित होने पर पुनः वापस आ जावें।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन बैटेलियनों को नैपाल भेजने में कितना खर्च हुआ और यह खर्चा किसने दिया? हमारी सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितना खर्च हुआ, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार भेजती है उत्तर प्रदेश के साधारण काम के बाहर तो वही आम तौर से दिया करती है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह बटालियन बाहर जाती है तो उनके खाने पीने का क्या प्रबन्ध रहता है? क्या यहां हैडक्वार्टर पर जो खाना मिलता है उससे ज्यादा मिलता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर मौक़े पर जब गवर्नमेंट आफ इंडिया भिजवाती है तो उन से हमसे जैसी शर्तें होती हैं उनके अनुसार कार्य होता है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हर बार कितनी बटालियनें गयीं और कितने दिन तक रहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इसकी पूरी सूचना इन सब बातों की बाबत नहीं दे सकता। जिस तरह का गवर्नमेंट आफ इंडिया और नैपाल स्टेट के बीच में जो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स का आपस का संबंध है, मैं इन सब बातों का ब्योरे में बतलाना उचित नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कौन सी अशान्ति की हालत थी जिसको दबाने के लिये या शान्त करने के लिये ये बटालियनें वहां गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका उत्तर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से पूछा जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इन बटालियनों की बड़ी प्रशंसा नैपाल गवर्नमेंट ने की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*७---श्री झारखंडे राय---[९ मार्च, १९५३ के लिये संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश से तेलिंगाना भेजने में पी० ए० सी० की बैटेलियनों पर खर्च

*८---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश से तेलिंगाना में कुल कितनी पी० ए० सी० बैटेलियनें भेजी गयी थीं और उन पर कुल कितना खर्च हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलेरी की कुल १२ कम्पनियां हैदराबाद भेजी गयी थीं जो हैदराबाद सरकार द्वारा तेलन्गाना तथा अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार नियुक्त की गयीं। उन पर कुल ७८,१०,४२२ रुपया खर्च हुआ है।

श्री झारखण्डे राय---माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ७८,१०,४२२ रुपया जो खर्च हुआ उसमें हैदराबाद सरकार ने भी दिया था या कुल केन्द्री सरकार या प्रान्तीय सरकार ने दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके पूरे खर्चे का बोझ हैदराबाद सरकार पर है।

कुख्यात डाकू हुबलाल का प्रतापगढ़ जेल से भागना

*९—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हुबलाल नाम का कुख्यात डाकू प्रतापगढ़ जेल से भाग गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*१०—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि हां, तो कैसे, और इसका दायित्व किसके ऊपर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपनी कोठरी के दरवाजे की लकड़ी की चौखट को तोड़ कर हुबलाल बाहर निकला । फिर उसने एक बनायी हुयी सीढ़ी की सहायता से हाता की दीवार को पार किया और उसी सीढ़ी की सहायता से कारागार की बाहरी दीवार पर चढ़ कर बाहर कूद गया । इस घटना का दायित्व कथित जेल के कुछ वार्डरों पर है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह हुब-लाल डाकू किस समय भागा था और उस समय कोई पहरा था या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक पता है साढ़े ६ बजे और साढ़े सात बजे तक के बीच में भागा था और पहरा तो था क्योंकि जो जेल के बाहर दीवार है उस जगह भी आदमी मौजूद था ।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि इस भागने की जांच की गयी और अगर की गयी तो किसके द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक जो कुछ जांच हुई है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने की है । लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है । पूरी जांच हो जाने के बाद ही निश्चय हो सकेगा कि ठीक ठीक जिम्मेदारी किसकी है ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों तक जेल में रहने के बाद वह भागा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास है नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हुबलाल डाकू को दोबारा पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही वह कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो कार्यवाही ऐसे मौकों पर की जाती है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भागा हुआ मुलजिम प्रतापगढ़ जिले का है या किसी दूसरे जिले का ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरा ख़याल है प्रतापगढ़ जिले का है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जेल की ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी ठीक इत्तला तो मुझको नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का जरूर प्रबन्ध होगा कि कोई मुलजिम सीढ़ी वगैरह न बना सके और लकड़ी के टुकड़े न मिल सकें जैसे कि हुबलाल को मिल गये थे ।

जिला नैनीताल के प्राचीन निवासी थारू व बोक्सा जाति की उन्नति

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में रहने वाली प्राचीन थारू व बोक्सा जाति की उन्नति के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—बोक्सा जाति परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित है और इस जाति को आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा संबंधी वे सम्पूर्ण सुविधाएं लभ्य हैं जो कि अन्य परिगणित जातियों को प्रदान की जाती हैं ।

थारू जाति यद्यपि अब परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है किन्तु सरकार का आदेश है कि इस जाति को शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण सुविधायें पूर्ववत् प्रदान की जाती रहें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस बोक्सा जाति को आजकल क्या क्या राजनैतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जो अन्य परिगणित जातियों को दी जाती हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नैनीताल जिले के जिस हिस्से में बोक्सा और थारू जातियां रहती हैं वहां पर आवागमन के साधनों का बिलकुल ही इंतजाम नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कोई छोटी कमेटी बनाने पर विचार करेंगे जो इन बोक्सा और थारू जातियों की गिरी हुई हालत पर विचार करे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं । कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी थारू जाति के लिये भी वही राजनैतिक और आर्थिक सुविधायें लभ्य कराने की कृपा करेंगे जो कि बोक्सा जाति के लिये हैं ?

डाक्टर सीताराम—जो भी सुविधायें परिगणित जातियों के लिये हैं वही सुविधायें थारू जाति के लिये भी हैं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२—५३ में थारू व बोक्सा जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये कितनी सहायता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये ।

पब्लिक सेकेण्डरी हायर स्कूल, बिधूना (इटावा) के स्कूल भवन का निर्माण

*१२—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार को पता है कि पब्लिक सेकेण्डरी हायर स्कूल, बिधूना (इटावा) के मंत्री की ओर से स्कूल के भवन निर्माण के लिये अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए लैण्ड एक्ज्यूजीशन आफिसर, इटावा को तारीख १० मार्च, १९५१ ई० को कोई दरख्वास्त दी गई थी ?

डाक्टर सीताराम---हां, दरख्वास्त जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर, इटावा के कार्यालय में २१ अप्रैल, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हुई थी।

*१३---श्री गजेन्द्र सिंह---क्या सरकार को पता है कि बराबर ९ बार स्मृति-पत्र देने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है? इस विलम्ब का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम---हां, अभी तक अंतिम निर्णय भूमि के प्राप्त करने का नहीं हो सका है। कारण यह है कि पहले दरख्वास्त पूर्ण नहीं दी थी और उसके परिशिष्ट तथा भूमि के नक्शे की चार प्रतियां नहीं भेजी गई थीं। उक्त सारे आवश्यक पत्र कई बार पत्र व्यवहार करने के पश्चात् मई, सन् १९५२ ई० में प्राप्त हो सके थे। उसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट से सूचित हुआ कि प्राप्त की जाने वाली भूमि पर जोते बोये हुये खेत हैं। सरकार की नीति यह है कि यदि बंजर भूमि पास पड़ोस में मिल सकती है तो जोतने बोने योग्य भूमि न ली जाय। अतएव स्कूल के मंत्री को सुझाया गया कि बंजर भूमि जो पास ही है प्राप्त कराई जाय। उनका उत्तर ९ फरवरी, सन् १९५३ को लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास प्राप्त हुआ और उन्होंने तहसीलदार बिधूना के पास, आदेश भेजा है कि वे तुरन्त मौके पर जाकर अपनी आख्या भेजें ताकि स्कूल के पास वाली भूमि स्कूल की इमारत के लिये तथा खेल के मैदान के लिये स्कूल के निकट वाली बंजर भूमि प्राप्त कराई जाय।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सारी कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और कब तक जमीन स्कूल को मिल जायगी?

डाक्टर सीताराम---जब लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर, इटावा के पास से सूचना सरकार के पास आयेगी उस वक्त सरकार उस पर विचार करेगी कि वास्तव में यह जमीन देने लायक है या नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल के पास की जमीन है उसमें वाकई में कागज में खेती होती है और फील्ड में खेती नहीं होती?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना तो नहीं है। वह तो पढ़कर सुना दिया गया है कि यह सभी सूचनायें मांगी गई हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि ३ साल से बराबर स्कूल को जगह न दे जाकर के कुछ अधिकारियों का कुचक्र है कि स्कूल को जगह न मिल पाये?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं। ऐसी सूचना तो नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूल के अधिकारियों से सूचना कब मांगी गई है?

डाक्टर सीताराम---स्कूल के अधिकारियों से सूचना दिसम्बर, १९५१ में मांगी गई।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन को अक्वायर करने के लिये दरख्वास्त दी गई है वह सरकार की है या किसी काश्तकार की?

डाक्टर सीताराम—यह तो ऐसा ही मालूम होता है कि जमीन यह काश्तकार की है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना मांगने के लिये यह ९ महीने क्यों लगे ?

डाक्टर सीताराम—स्कूल के मंत्री का आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल के जरिये लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास पहुंचा जिसमें थोड़ी सी देर तो अवश्य हुई लेकिन स्क्रूटनी से मालूम हुआ कि जो पेपर उन लोगों ने भेजा है वह अनि-. यमित है और ठीक रूप से नहीं है जिस पर कि लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर विचार कर सकें ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—यदि सरकार उस जमीन को ले तो क्या किसानों को उसके एवज में परती जमीन देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उस जमीन में इस समय खेती होती है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—उस जमीन में इस वक्त खेती होती है, यह तो अभी बताया जा चुका है ।

*१४—१६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामचन्द्र न्यू काटन तथा वीविंग मिल्स के मजदूरों के वेतन की अदायगी

*१७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामचन्द्र न्यू काटन तथा वीविंग मिल्स के मजदूरों के १२ अप्रैल से २ जुलाई, १९५२ तक के वेतन की, जो स्टेट ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया था, अदायगी हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के किन-किन महीनों का वेतन अभी तक नहीं बांटा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस स्पीच की ओर आकर्षित करूंगा जो कि कल इसी सदन में स्वयं उन्होंने इस लेबर अनुदान के सिलसिले में इस विषय पर दी थी। उनकी स्पीच ही बतलाती है कि उनको इस संबंध में पूरी पूरी जानकारी है कि कितने महीनों की मजदूरी बाकी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जब हर महीने की १० तारीख तक वेतन न बंटे तब श्रम विभाग की ओर से कोई अधिकारी जा करके जांच कर सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत मुश्किल है, कई सौ कारखाने हैं, कहां कहां अधिकारी जायेंगे और कहां कहां तनख्वाह दिलायेंगे। यह बड़ा भारी सवाल है।

श्री शिवनारायण—सरकार उन बकाया तनख्वाहों को कब तक दिलवाने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब लोग बकाया नहीं देते हैं, समझाने बुझाने से भी नहीं देते हैं, तब मुकदमा दायर किया जाता है। इस मिल के ऊपर भी कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी इस आदायगी के न होने पर मिल-मालिकों से मजदूरों को सूद दिलाने की बात पर कोई विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि ऐसे मामले में सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है बल्कि दीवानी अदालत के सामने मामला जाता है और वह जो चाहे दिला सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इसको देखते हुये कि बहुत से मिलमालिक अपने मजदूरों की तनख्वाह नहीं देते हैं कोई कड़ा कानून अपने स्टेट में बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय हमारे यहां तो कोई कानून नहीं बन रहा है केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना रही है, शायद उसमें इसके लिये कोई गुंजाइश रखी गयी हो।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या सरकार ने मिलमालिकों से इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि यह वेतन किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कई बार जानकारी हासिल हो चुकी है। एक बड़ी भारी बात यह है कि उस मिल में इस किस्म का माल तैयार होता है कि वह माल बिकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रममंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस में हर महीने में सरकार को यह मालूम हो जाया करे कि प्रांत के किस मिल ने ठीक वक्त पर वेतन नहीं दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, वह तो करीब करीब हर महीने में हमको मालूम हो जाता है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की तरफ से मजदूरी न मिलने पर कोई प्रार्थना-पत्र आपके पास आया हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक नहीं कई बार आ चुके हैं।

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण, अधिकार जारी रखने का (संशोधन) विधेयक १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ दिसम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ जनवरी, सन् १९५३ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २५ जनवरी, सन् १९५३ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ नवम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० दिसम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० जनवरी, सन् १९५३ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिनियम बन गया ।

मार्शल स्टालिन के निधन पर शोकोद्गार

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या सरकार की ओर से मार्शल स्टालिन के शोकपूर्ण देहावसान के अवसर पर कोई शोक प्रस्ताव आने का विचार है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जो काम आज आगे होने वाला था, श्रीमन्, उसके पहले मैं खुद इसका जिक्र करना चाहता था कि आज हममें से बहुत से लोगों ने रेडियो पर मार्शल स्टालिन की मृत्यु का समाचार सुना होगा। जीवन काल में उनकी बहुत सी बातें किसी को पसंद रही होंगी ; और किसी को नापसन्द रही होंगी लेकिन यह वक्त उन बातों की चर्चा करने का नहीं है। जो कोई विरोधी हो, विरोधी रहा हो, घोर विरोध रहा हो, उसको भी एक बात याद रखना चाहिये जैसा कि हमारे यहां शास्त्रों में कहा है "मरणान्त काले वैराग्य:"। यानी जो भी बड़ी से बड़ी दुश्मनी होती है वह मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके हृदय पर मार्शल स्टालिन के कई गुण बड़े जोरों के साथ अंकित न हों। इसमें संदेह नहीं कि लेनिन के जमाने में रूस में एक नयी प्रकार की सरकार थी, एक नयी व्यवस्था कायम हुई लेकिन उनके देहान्त के बाद इस बात की संभावना हो सकती थी कि उस व्यवस्था को चोट पहुंचे और वह नयी सरकार भी शायद कायम न रह सके या दुर्बल हो जाय लेकिन इतना तो मानना ही होगा हर शख्स को कि मार्शल स्टालिन के हाथों में रूस का शासन आने के बाद दुर्बल होने के बदले बलवान हुआ, रूस बहुत शक्ति-शाली हुआ और रूस में लोगों की बहुत सी तकलीफें दूर हुईं और रूस की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस वक्त मिला जब कि दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। जो उस राज्य का विरोध किया करते थे। अगर सचमुच राज्य की हालत वैसे ही खराब होती, अगर सचमुच वैसे ही राज्य में प्रचंड अशांति होती है तो वह जो ४,५ वर्ष लड़ाई लड़ा था उस लड़ाई में रूस की सरकार कदापि ठहर नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत के साथ रूस ठहरा, इतनी हिम्मत के साथ लोगों ने शत्रुओं का मुकाबिला किया वह स्वयं इस बात का सबूत है कि रूस की जनता अपनी सरकार के साथ थी। यदि रूस की जनता सरकार के साथ थी तो इसका श्रेय निश्चित ही मार्शल स्टालिन के व्यक्तित्व को है। जिस प्रकार महायुद्ध में उन्होंने रूस की शक्तियों को एकत्रित किया, रूस की शक्तियों को ही एकत्रित नहीं किया बल्कि दूसरे देशों को भी, जो कि जर्मनी का मुकाबिला कर रहे थे, एक स्थान में खड़ा कर दिया उससे इसमें संदेह नहीं कि उनकी कीर्ति अमर हो गयी ।

मार्शल स्टालिन उन थोड़े से लोगों में थे जिनकी बाबत कहा जा सकता है कि वह एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन हैं। स्वयं उस आदमी की हैसियत एक संस्था की है। आज उनकी मृत्यु के बाद ही नहीं जब से तीन चार दिनों से अखबारों में उनकी बीमारी का हाल आ रहा है तब से इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनियां का

ऐसा कोई भी समझदार आदमी नहीं होगा, जो भांति-भांति की चिंता न कर रहा हो चाहे वह उनका शत्रु हो, चाहे वह उनका मित्र हो क्योंकि उस एक व्यक्ति के उठ जाने के बाद दुनियां के इतिहास पर बहुत ही विचित्र किस्म का प्रभाव पड़ सकता है। क्या प्रभाव होगा, यह मैं इस समय नहीं कह सकता। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह ऐसे देश के प्रधान शासक थे जिससे भारत का इस समय मैत्रीपूर्ण संबंध है। अभी थोड़े दिन हुये हमारे राजदूत की मार्शल स्टालिन से भेंट हुई थी और चूंकि हमारा और रूस का मैत्री का संबंध है इसलिये यह हर तरह से उचित है कि हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान भवन में आते समय जब मार्शल स्टालिन की मृत्यु का समाचार मिला तो हृदय में एक बहुत बड़ा धक्का लगा। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि मार्शल स्टालिन अपने युग के एक महान् पुरुष थे। उनसे, उनकी विचारधारा से, उनकी कार्य-प्रणाली से और उनकी कार्य-पद्धति से लोगों को मतभेद हो सकता है। मगर इस बात को तो सभी मानेंगे कि मार्शल स्टालिन एक करमठ और दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। वे जिन बातों को अपना आदर्श मानते थे उन्हें करने के लिये प्रत्येक संभव तरीके से हर समय तत्पर रहते थे। यह उनमें एक विशेष प्रतिभा थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस समय, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, रूस में पोली-टेरियन रेवोल्यूशन हुआ और लेनिन की मृत्यु हुई उस समय रूस की परिस्थिति डांवाडोल हो गई थी। अगर मार्शल स्टालिन जैसे करमठ, कुशल और दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति के हाथ में, ऐसे राजनीतिक नेता के हाथ में रूस की बागडोर नहीं आई होती तो रूस की परिस्थिति कुछ और ही होती। जहां तक मार्शल स्टालिन के गुणों की विवेचना करने का अवसर है हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अपने अन्दर जिन प्रतिभाओं को उत्पन्न किया है और जिन मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिये। मैंने उनके लेखों और पुस्तिकाओं को अकसर गम्भीरता के साथ पढ़ा है। वह किस तरह से एक गरीब घराने में पैदा होकर जो एक जूता सीने वाले, छोटे से छोटा काम करने वाले व्यक्ति थे, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने सारी दुनियां पर अपनी प्रतिभा की सम्पन्न छाया का असर फैला दिया। इसे देखकर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नसीहत लेनी चाहिये। मार्शल स्टालिन के उठ जाने से विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर से एक महान् पुरुष कम हो गया। इसका क्या असर पड़ेगा यह कहना अभी कठिन है। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी कमी से देश को क्षति पहुंचेगी और उसकी पूर्ति किस तरह से होगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं उस हर व्यक्ति से जो आज जनतांत्रिक प्रणाली और जनतांत्रिक पद्धति को अख्तियार करना चाहता है, जनतान्त्रिक प्रणाली डेमोक्रेटिक मीन्स और जनतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेटिक माडेल को चाहता है, थोड़े में यह कहना चाहता हूं कि अगर वे मार्शल स्टालिन की तरह स्पष्टवक्ता नहीं बनेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते। मार्शल स्टालिन बराबर कहा करते थे कि जिसके मस्तिष्क में जो विचारधारा हो उसे बिना किसी डर या संकोच के उसका उद्घाटन करना चाहिये क्योंकि जब तक व्यक्ति विशेष उनकी विचारधारा को अच्छे तरीके से नहीं समझ पावेंगे तब तक वह उसे ग्रहण नहीं कर पावेंगे। इसलिये इन तमाम बातों को देखते हुये हम आज यह कहना चाहते हैं कि उनके जो गुण और उन गुणों से अन्य मानवी मान्यतायें हैं उनको निकट से परखने की कोशिश भी हमें करनी चाहिये और उस कोशिश को करके अगर हम चाहेंगे तो मार्शल स्टालिन से किसी का मतभेद हो या न हो, दोनों के लिये जो एक समान गुण, जो उनका दृढ़प्रतिज्ञ होने का रहा है, करमठ होने का रहा है, और निर्भीक होने का रहा है, उनको प्राप्त करेंगे। जब विशेष परिस्थितियां आती रही हैं तभी एक राजनीतिक नेता, एक देश के कर्णधार और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते वे अपने मुखारविन्द को खोलते रहे हैं, केवल हर समय लेकचर देकर ही सारे कामों को पूरा करने के आदी मार्शल स्टालिन नहीं रहे हैं। मार्शल स्टालिन ने जितनी कर्मठता,

[श्री राजनारायण]

को करने में जितनी निपुणता दिखायी वह हमारे लिए एक आदर्श का द्योतक है। इन तमाम शब्दों के साथ में अपनी, अपने दल की और इस सारे सदन की समवेदना, सहानुभूति और श्रद्धांजलि मार्शल स्टालिन के कदमों में अर्पित करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, भला और बुरा तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। बहुत से लोगों के लिये मार्शल स्टालिन एक प्रत्यक्ष हौव्वा से थे और औरों के लिये वह एक मित्र का रूप लेते थे। जिनको कि उनसे भय था उनके लिये मैं केवल यही कह सकता हूं कि उनके कार्यों के बाद यह नहीं समझा जा सकता है कि भय अब दूर हो गया है। इस से यह प्रतीत होगा हालांकि वे जीवित समय में हौव्वा के समान समझते थे, लेकिन अब उनका मूल्य अब उनके देहान्त के पश्चात् सही रूप में प्रकट होगा। अधिक न कहकर इतने शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले मानव जाति के पूरे इतिहास में इस मानव जाति ने जितने महामानव अपने बीच से पैदा किये निस्संदेह मार्शल स्टालिन उनमें से एक थे। अगर लेनिन को सोवियट यूनियन का संस्थापक कहें तो निस्संदेह मार्शल स्टालिन उसके निर्माता थे। सन् १९२४ में लेनिन के मरने के बाद सोवियट यूनियन में तीन कामयाब पंचसाला योजनायें चलाकर और लड़ाई के बाद चौथी पंचसाला योजना के सफल संचालन के बाद मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में सोवियट यूनियन दुनियां के सबसे महान् राष्ट्रों में से एक हो गया है। उनके नेतृत्व में सारे संसार के विभिन्न देशों में जो जनमुक्ति संग्राम चल रहा है, चाहे वे अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्र हों और चाहे तथाकथित आजाद मुल्क हों, उन संघर्षों और उनके संचालन उसूलों को स्टालिन से बड़ा बल मिला। पिछले दो सालों में संसार में शांति के लिये, संसार में युद्ध न हो, एटम बम और परमाणु बमों का प्रयोग मानव जाति के ऊपर नरसंहार के अर्थ में न हो, इसके लिये मार्शल स्टालिन ने जो अथक परिश्रम किया है उसके लिये हम सभी लोग चाहे किसी मुल्क के हों, उनके प्रति आभारी रहेंगे। पिछले महायुद्ध में सोवियट यूनियन को बचाने का, और जर्मनी, इटली और जापान की दानवी शक्तियों को विनष्ट करने का, और इस प्रकार से संसार की मानव-जाति की सेवा करने का जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, उसके लिये हम सभी उनके हमेशा ही चिरऋणी रहेंगे। मार्शल स्टालिन ने अभी अपने नये सिद्धांतों की देन दुनियां को दी है कि पूंजीवादी मुल्कों के अन्तर्द्वन्द बढ़ रहे हैं। यह संभव है कि दुनियां की दो महान् साम्राज्यवादी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन आपस में टकरा जायं, वह अपूर्व है। आज ऐसे टक्कर की संभावना उनके बीच बढ़ती जा रही है और अन्तर्द्वन्द के लक्षण दिखलायी पड़ने लगे हैं इसकी ओर जो उन्होंने इशारा किया है, यह हम समझते हैं कि मार्शल स्टालिन के जीवन की चौथी बहुत बड़ी देन विश्व राजनीति को है और आने वाली संसार की गतिविधियों की ओर इशारे का काम करती है। मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में आखिरी कदम जो सोवियट यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी ने और वहां की महान् जनता ने उठाया, वह समाज-वादी रचना को पूरा करने के बाद अपने देश और समाज की पूरी सोवियट और सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद, साम्यवादी संक्रमण का कार्य है।

उनका यह विचार था कि हम अपने देश में समाजवाद को पूरा करके साम्यवाद की ओर संक्रमण कर सकते हैं, यह आखिरी कदम सोवियट यूनियन की जनता ने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सब से बड़े नेता मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में शुरू किया था, लेकिन वह काम उनका अधूरा रह गया। मैं समझता हूं कि चाहे हममें से कोई इस सदन में उनकी विचारधाराओं से मतभेद रख सकता है लेकिन मार्शल स्टालिन ने संसार की जनता की जो सेवा की है और शांति और सुव्यवस्था के लिये जीवन भर संघर्ष किया है उसके लिये हम हमेशा ही उनके प्रशंसक रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उस महामानव के प्रति, अपने महान् पड़ोसी देश की

विशाल जनता के साथ और मार्शल स्टालिन के परिवार वालों के साथ अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सभी विचार धारा के लोग अपने विचार जाहिर कर चुके हैं। मैं, मार्शल स्टालिन के स्वर्गवास पर इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनके साथ सहमति प्रकट करता हूं। मुझे उनके निधन के संबंध में यहां आने के समय से दो मिनट पहले ही पता चला। मैं तो आशा करता था कि परमात्मा उनको अधिक काल के लिये जीवन दे और जो खबरें अखबारों में आती थीं यद्यपि वे बड़ी डरावनी थीं तो भी आशा मेरी जरूर यही बंधती थी कि शायद किसी न किसी तरकीब से उनके डाक्टर संभवतः उनको स्वास्थ्य लाभ नये ढंग से कराने के लिये ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन यहां आते समय जब मैंने सुना तो काफी मुझे धक्का लगा। मार्शल स्टालिन उस महान् राष्ट्र के कर्णधार रहे जिस राष्ट्र ने इस समय एक नये युग का निर्माण किया है। उसके संबंध में कोई भी मतभेद क्यों न हो यानी उनके साधनों के संबंध में कि वह हिंसा का उपयोग करते हैं, उसके संबंध में मतभेद क्यों न हो परन्तु एक बात स्पष्ट है कि जो देश संसार में उनसे मतभेद रखते हैं जिन्होंने भी रूस के राष्ट्रीय जीवन से लाभ उठाया है। हमारे देश ने बहुत ही अधिक लाभ उठाया है। मैं एक ही बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। यह मार्शल स्टालिन की ही कल्पना थी जो कोई अपने देश में कार्य होना है वह प्लान के साथ हो और उनकी पांचवर्षीय योजना कामयाब भी हुई। उनको देख कर ही और देशों ने यह समझा कि पूरे राष्ट्र के लिये प्लान तैयार हो सकता है और वह कार्यान्वित हो सकता है। हमारे देश ने भी उसका अनुकरण किया और उसका जिक्र आज हमारे देश भर में है।

दूसरी एक बात यह भी हमने रूस से सीखी कि जो श्रमजीवी वर्ग है उसको संकटों से किसी न किसी प्रकार छुटाया जा सकता है और उनकी उन्नति किस प्रकार से की जा सकती है और उनकी उन्नति का मार्ग क्या हो सकता है। उनके कार्यों ने इस तरफ इशारा किया है। इस प्रकार सारा संसार उनके कार्यों से लाभान्वित हुआ है और उसके लिये मैं मार्शल स्टालिन को मुख्यतः श्रेय देना चाहता हूं। यदि लेनिन इन सिद्धांतों के निर्माता थे तो कार्यशील होकर कर्म कर के उनको सफल बनाने के लिये मार्शल स्टालिन ही जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूं कि हम लोग वह समय नहीं भूले होंगे जिस समय रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ, मालूम होता था कि अब रूस परास्त हुआ, परन्तु उनका ही वह ढाढ़स और धैर्य था जिसके कारण वह कामयाब हुआ और जर्मनी को रूस ने पीछे ढकेल दिया। जर्मनी की तमाम नाजी फौज को उसने हटा दिया जिस कारण संसार भर में नाजीइज्म का डर मिटाने में वह सफल हुआ। यह भी मुझे याद आता है कि उन्होंने किस प्रकार लड़ाई के कारण देश नष्ट होने के बाद पंचवर्षीय योजना बनाकर उसका शीघ्र उत्थान किया। हमारा देश भी अंग्रेजी राज्य के बाद नष्टभ्रष्ट सा ही है, उसके उत्थान में भी हम रूस के उदाहरण से बहुत कुछ लाभान्वित हुये और होते जायेंगे यद्यपि यह सत्य है कि हमारे अहिंसात्मक सिद्धांत और साधन हमारे राष्ट्रपिता के बतलाये हुये हैं परन्तु जहां तक लक्ष्य का संबंध है उस में उनसे बहुत कुछ सीखते आये हैं। ऐसे कर्णधार की मृत्यु पर किस को दुख नहीं होगा। संसार में भी इस वक्त रूस का स्थान सभी राष्ट्रों में बड़ा ऊंचा स्थान रहा है और जिन दो टक्कर के राष्ट्रों अमरीका और रूस को आज संसार प्रबल समझता है और जो दुनियां की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को निर्धारित किया करते हैं उनमें ऐसे एक बड़े राष्ट्र के कर्णधार के इस तरह से यकायक चले जाने से मालूम नहीं कि उसके परिणाम संसार पर क्या पड़ सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि कितनी भी धमकी कोल्ड वार के संबंध में सोवियत रूस की रही हो, लेकिन अन्ततोगत्वा उसने लड़ाई चलाई नहीं और इसका श्रेय भी श्री स्टालिन को ही है क्यों कि वह दुनियां को लड़ाई से बचाना चाहते थे। मेरी तो उनके बारे में यही धारणा रही है। मैं साफ कहूंगा कि उनके जाने से बड़ा खतरा

[श्री अध्यक्ष]

दिखलाई देता है, क्योंकि वह अन्त तक शांतिप्रिय ही रहे ऐसी मेरी धारणा है कि उनके चले जाने से हमारे संसार के लिये लड़ाई का संकट उत्पन्न हो सकता है। इस सब कारणों से उनके व्यक्तित्व, बहादुरी, कर्मठता और जो कार्य संसार में शांति के लिये थे वह चला रहे थे उन सब का विचार करते हुये मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं और मैं समझता हू कि आप सब की यह इच्छा है कि इस सदन की ओर से जो सब की महान् सहानुभूति है और जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं वह सब मैं केन्द्रीय सरकार के पास भेज दूं। क्योंकि रूस से हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं आता, इसलिये जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा रूस तक पहुंचा दिये जायं, यह आपकी धारणा है, और वह पूरी कर दी जायगी। अब मैं सदन से कहूंगा कि उस महान् आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये १ मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

सन् १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन तथा सभा के कार्यकाल में वृद्धि

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, चूंकि ये दोनों अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इस संबंध में मेरी बातें कांग्रेस पार्टी के चीफ़ व्हिप से भी हो गयी हैं, इसलिये दोनों अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं और सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ मल्ल जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि दोनों अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं जिससे शिक्षा और अनुसूचित जातियों के विषय में हम लोग साथ ही साथ प्रकाश डाल सकें।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं कि पिछले दिनों जब शिक्षा के ऊपर बहस हो रही थी तो हरिजन सदस्य हरिजनों की समस्या पर बोले और बाक़ी लोग अधिकतर शिक्षा पर ही बोले। इस तरह से एक जाति विशेष के कल्याण के लिये जो बहस होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी और सभी लोगों को उसके ऊपर सोचने विचारने का और बोलने का मौक़ा नहीं मिला। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं और अपनी राय देता हूं कि इस अनुदान के लिये अलहैदा वक्त निर्धारित किया जाय। इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रखा जाय और साढ़े तीन बजे तक शिक्षा का अनुदान चले।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि दोनों ही अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं तो सदन का समय भी बचेगा और जो साहबान जिस विषय पर बोलना चाहेंगे उस पर बोल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—अगर किसी को आपत्ति है तो दोनों अनुदान अलग अलग ही लिये जायेंगे। उनको आपत्ति यह है कि हरिजनों के विषय पर यदि एकत्र अनुदान लिये गये तो काफी बहस नहीं हो पायेगी। अतः मैं उनकी इस आपत्ति को स्वीकार करता हूं। (श्री जगन्नाथ मल्ल से) आप उसके लिये समय बतायें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इसके लिये सवा घंटा रख दिया जाय और बाक़ी समय शिक्षा के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या इसमें किसी को आपत्ति है?

श्री जयपाल सिंह—इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रक्खा जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण—मैंने पहले प्रस्ताव का समर्थन किया था, उसके विषय में मैं यह बता देना चाहता हूं कि उसमें हर एक वक्ता को यह अवसर मिलेगा कि वह शिक्षा पर भी बोले और हरिजनों की समस्या पर भी बोल सके।

श्री अध्यक्ष—यह तो तय हो चुका, इस बारे में अब और कुछ नहीं हो सकता।

श्री शिवनारायण—एक घंटा बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव रक्खा गया है मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि आज के लिये इस सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—साढ़े चार बजे तक का समय शिक्षा के लिये रहेगा और साढ़े चार से ६ बजे तक का समय दूसरे अनुदान के लिये रहेगा।

शिक्षा के संबंध में जो सदस्य कटौती का प्रस्ताव लाएंगे उनको मैं २० मिनट का समय दूंगा और बाक़ी लोगों के लिये १० मिनट का समय रहेगा।

दूसरे अनुदान के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव लाएंगे उनको १२ मिनट दिये जायेंगे तथा बाक़ी लोगों के लिये ७ मिनट रहेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—शिक्षा (लेखा शीर्षक) ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, आरम्भ में ही कोई लम्बा भाषण देकर मैं भवन के माननीय सदस्यों को उस अवसर से वंचित नहीं रखना चाहता, जो उनको इस अवसर पर मिलना चाहिये। यह तो आप देखते ही हैं कि गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा शिक्षा के बजट में ४३ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। शिक्षा का जो स्थान समाज में है उसको देखते हुये यह कहना शायद ठीक न होगा कि यह वृद्धि बड़ी संतोषजनक है, लेकिन आप यह जानते हैं कि इस समय राष्ट्र जिस संकट से गुजर रहा है उसमें निर्माण के और कार्य, जो हो रहे हैं जिनकी योजना भवन के माननीय सदस्य सभी जानते हैं, इसके लिये जो धन की आवश्यकता है उसको देखते हुये मैं अपनी जगह पर यह अवश्य समझता हूं कि यह एक संतोष की बात है। शिक्षा का संबंध प्रायः सभी व्यक्तियों से होता है। यह दूसरी बात है कि किसी का संबंध प्रत्यक्ष होता है, किसी का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। इसका क्षेत्र भी इतना विस्तृत है कि उसमें बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी समस्याओं का होना भी स्वाभाविक है और शायद यही कारण है कि उनका कोई निकट सुलझाव जल्दी से निकाल करके उन समस्याओं को हल किर दिया जाय, यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो मैं भवन का इस कारण समय नहीं लेना चाहता हूं कि जो प्रगति इस दिशा में हुई है, उसका विवरण उस पुस्तिका में जो आपके सामने है दिया गया है और मैं विश्वास करता हूं कि भवन के सदस्य उसको पढ़े होंगे। उन आंकड़ों को फिर दोहराना भवन के समय का अपव्यय होगा। मैं उस संबंध में कुछ थोड़ी सी मोटी-मोटी बातें सदस्यों की जानकारी के लिये रख देना चाहता हूं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

शिक्षा को आप तीन विभागों में विभाजित कर सकत हैं। एक तो विश्वविद्यालय, दूसरा माध्यमिक और तीसरा प्राइमरी। विश्वविद्यालय के क्षेत्र में गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ३ लाख रुपये की और वृद्धि की गयी है। हमारे विश्वविद्यालयों पर कुछ क़र्ज़े हैं। यह पहले ही कहा जा चुका था कि पिछले वर्ष में ही कि उस कर्ज़े की अदायगी की जिम्मेदारी सरकार स्वयं अपने ऊपर ले लेती है। उसके अतिरिक्त ३ लाख रुपया इस आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के सहायतार्थ रखा गया है। यह भी भवन के सदस्यों को शायद मालूम होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में जस्टिस मुल्थम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी चार-पांच रोज़ हुये प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और यदि उस संबंध में कोई आवश्यकता हुयी तो वह उसी पर अवलम्बित कोई बिल भी सम्भव है, भवन के सामने आवे। आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में आप जानते ही हैं कि इस भवन ने एक विधेयक पास किया था जिससे आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी। वह बिल अब तैयार है और थोड़े ही दिनों में इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत होगा।

गोरखपुर युनिवर्सिटी के संबंध में ४ शिक्षाविदों की एक कमेटी बनाई गई है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में छानबीन करके कि किस प्रकार की वह यूनिवर्सिटी हो और उसका क्या संगठन हो उसकी वह रिपोर्ट तैयार करेगी और यदि हो सकेगा तो वह बिल भी इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा। उस कमेटी में आचार्य श्री जुगुल किशोर, डा० आर० यू० सिंह, डा० बेनी प्रसाद और शिक्षा संचालक हैं। उसी संबंध में भवन के सदस्यों को यह भी याद होगा कि थोड़े दिनों पूर्व एक बिल मैंने इस भवन में प्रस्तुत किया था इस आशय का कि जिस प्रकार का भी कालेज और स्कूलों का प्रबन्ध है उसमें किसी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप कर सके। चैरिटेबिल एन्डाउमेंट के संबंध में एक बिल इस भवन से पास हुआ था। उसके अनुसार दो कालेजों पर उसकी कार्यवाही हो रही है। एक तो बरेली कालेज है और दूसरा बनारस का उदय प्रताप कालेज है। उनको नोटिस दी गयी थी और अब नोटिस का जवाब आ गया है और उनके ऊपर विचार हो रहा है।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है उसमें अभी आचार्य श्री नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुयी है और इस कारण अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें किन चीज़ों की सिफारिश होगी। उससे संबंधित और प्रश्न भी उनको दिये गये थे यानी उस कमेटी के सिपुर्द किये गये थे जिसके कारण उसका समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ कैरीकुलम या और कुछ चीज़ों को परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी अतः उसके लिये इस बजट में १० हजार रुपया एक टोकन हेड के रूप में रखा गया है कि यदि आवश्यकता होगी तो उसका पुनःसंगठन होगा। उस संबंध में मैं समझता हूं कि इस अवसर पर कुछ अधिक कहना ठीक नहीं होगा।

प्राइमरी एजूकेशन का जितना विस्तार हुआ है वह आप के सम्मुख है। और आप सभी उसको जानते हैं। मैं थोड़ा सा समय लेकर प्राइमरी स्कूल के क्षेत्र में जो इस समय तत्काल एक समस्या सरकार के सामने है और जिसके बारे में बजट के साधारण वादविवाद के समय कुछ माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्राइमरी स्कूलों के टीचरों की ओर से इस समय एक भूखा हड़ताल चल रही है। मैं उसको भूख हड़ताल तो कहना नहीं चाहता वह एक अनशन चल रहा है। थोड़े में उनकी चार मांगें हैं। उनकी पहली मांग तो यह है कि प्रतिमास उनकी तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिये। दूसरी यह है कि जिस बोर्ड में कुछ महीनों की तनख्वाह उनकी बक़ाया है वह उनको मिलनी चाहिये। तीसरी मांग यह है कि उनके लिये जो महंगायी के भत्ते की दर स्वीकृत है उससे अधिक होना चाहिये। प्रत्येक को २०, २५ रुपया

महंगाई मिलनी चाहियें। चौथी मांग उनकी यह है कि उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये और एक वेतन क्रम भी उन्होंने दिया है कि इस वेतनक्रम से उसमें वृद्धि होनी चाहिये।

जहां तक पहली दो मांगों का संबंध है, यह ठीक बात है कि यदि कोई कहीं नौकर है तो उसको महीने महीने तनख्वाह अवश्य मिलनी चाहिये। तनख्वाह कम हो, अधिक हो, यह तो दूसरी बात है, लेकिन यह संतोषजनक अवस्था कदापि नहीं कही जा सकती कि किसी भी नौकर को, अधिकारी को महीने में तनख्वाह न मिल जाय। जब यह बात सरकार के समक्ष रखी गयी तो उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती थीं और मैंने उनको यह विश्वास दिलाया कि अविलम्ब इस बात का प्रयत्न होगा और चाहे वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखें या छोड़ दें, लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं यह फिर ऐलान करता हूं कि अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहेगी और निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें महीने महीने प्रत्येक अध्यापक को उसकी तनख्वाह मिलती जाय।

जहां तक बक़ाया का सवाल है, उसके लिये भी मैंने यह कहा, उन को विश्वास दिलाया कि उनको बकाया भी अलिवम्ब दे दिया जायगा। जब उन्होंने यह मेरे समक्ष रखा कि उनकी तनख्वाहें कई महीनों की बाक़ी हैं तो उन्होंने जो मुझसे कहा उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से ज़िलों में तनख्वाहें बाक़ी हैं। लेकिन जब उसकी छानबीन की गयी, जब सब जगह से पूछा गया तो मालूम हुआ कि केवल प्रान्त में छः ज़िले ऐसे हैं जहां ३ महीने तक की तनख्वाह बाक़ी है। तो मैंने उनसे कहा भी कि मेरी दृष्टि में यह समस्या इतनी ऊंची नहीं थी, इस स्तर पर नहीं रखी जा सकती थी कि उसके ऊपर अपनी जान की बाज़ी लगायी जाय और उस समय जब कि उनको यह विश्वास दिलाया गया कि अविलम्ब आप का यह बक़ाया अदा हो जायगा। तो इन दो मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन और जो दो मांगें हैं उनके संबंध में भी मैं इस भवन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो, चाहे कोई इसको माने, या न माने यह सत्य ही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रत्येक अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नौकर है। सरकार को उसकी नियुक्ति में या उसके निकालने में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह दूसरी सी बात है कि आप यह कहें और बहुत माननीय सदस्यों ने यह कहा भी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के अन्तर्गत है। यह चीज़ वास्तव में सही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक आटोनामस बाडी है। आप उसका ऐक्ट पास करते हैं। उस ऐक्ट के अनुसार वह कार्य करते हैं। यदि उसमें त्रुटि हो, यदि वह सन्तोषजनक न हो तो यह दूसरी बात है कि उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई एक सरकारी संस्था है और आप अपनी चीज़ें उस पर लाद सकते हैं।

तो क्या क्या समय समय पर किया गया, वह भी मैं थोड़े ही में बतला देना चाहता हूं। अध्यापक वर्ग समाज का एक ऐसा अंग है जिसके प्रति सभी की श्रद्धा और आदर सभी के दिलों में है। जब कि राष्ट्र एक संघर्ष में लगा हो, जीवन-मरण का संघर्ष उसके सामने हो, जबकि प्रत्येक व्यक्ति से वह कहता हो कि इसमें सहयोग दो वरना हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा उस समय वही वर्ग जो दूसरों को शिक्षा देता हो, जो अपने को गुरू कहलाने का दावा रखता हो, जो दूसरों को आवेश में आने से रोकता हो, जो स्वयं स्वार्थ सिद्धि पर न उतरता हो, वही वर्ग काउंसिल हाउस के सामने आमरण अनशन करे यह हमारे लिये अवश्य लज्जा की बात है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी हर चीज का होता है। यह कहा जा सकता है कि अध्यापकों को इतना वेतन मिलना चाहिये जिससे कि उनका जीवन चल सके। उस वेतन की मात्रा क्या हो यह तो दूसरी बात है। लेकिन समय-समय पर जो उनके प्रति सरकार ने किया वह भी मैं भवन के सामने रख देना चाहता हूं, जिसमें भवन उस पर विचार करे। मैं यह नहीं चाहता कि हमारा अध्यापक वर्ग राजनीति का शिकार बनाया जाय या उसमें कोई राजनीति बर्ती जाय। लेकिन अभाग्यवश मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे शक हो रहा है, और मुझे खुशी होगी अगर हमारा शक निराधार हो, मैं देखता हूं कि यह वर्ग राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है और

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसलिये मैं दलों से कहूंगा यदि भारत के निर्माण में वे अपना भी भाग समझते हैं तो उनको हमारे इस भोले-भाले अध्यापक वर्ग को बहका कर उसमें ग़लत प्रचार करके उनमें ऐसी प्रवृत्ति पैदा करने का प्रयत्न न करना चाहिये जिससे उन के प्रति लोगों में जो श्रद्धा है वही वह खो बैठें। मैंने अन्यत्र कहा था, उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि अध्यापक वर्ग के पास यही एक सब से बड़ी सम्पत्ति है कि वह अन्य वर्गों से एक आदर पाता है, सम्मान पाता है चाहे वह तनख्वाह कम पाता हो। यह एक विलक्षण बात है। (एक आवाज़---दुनियां में सभी जगह अध्यापकगण कम तनख्वाह पाते हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं कह सकता कि आदर की दृष्टि से उनका स्थान बहुत ऊंचा नहीं है।)

मैंने कुछ सुना नहीं। लेकिन अगर फिर वह कहेंगे तो उसका उत्तर, जो मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। मैं भवन को बतलाना चाहता हूं कि समय-समय पर क्या किया गया। सन् १९४६ ई० में पहली बार जब कांग्रेस सरकार आयी तो उस समय प्रत्येक अनट्रेंड अध्यापक १२ रुपया पाता था। ट्रेंड अध्यापक १७ रुपये, १९ रुपये और २० रुपये तथा २२ रुपये पाता था। अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री को अध्यापकों से श्रद्धा न होती, अगर उनके प्रति प्रेम न होता, यदि हम उनकी आर्थिक दशा सुधारना न चाहते तो हो सकता था कि एक कमेटी नियुक्त कर दी जाती और वह कमेटी यह देखती कि कितना अध्यापकों को देना चाहिये।

लेकिन यह न करके हमारे पूर्वाधिकारी ने हर एक अध्यापक का वेतन ५ रु० बढ़ा दिया और फौरन एक कमेटी नियुक्त की जिसने सन् ४७ में ही रिपोर्ट दिया और एक वेतनक्रम भी बनाया। वह वेतनक्रम फौरन ही लागू किया गया लेकिन फिर भी उनको ऐसा मालूम हुआ कि यह वेतनक्रम शायद संतोषजनक न हो। उस समय लोकल बाडीज इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई थी। बावजूद इसके कि एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें एक निश्चित वेतनक्रम निर्धारित किया गया था लेकिन फिर भी यह प्रश्न उस वेतन कमेटी को दिया गया और उस कमेटी ने पे कमेटी की रिपोर्ट से अधिक जितना कि पे कमेटी ने वेतन क्रम निर्धारित किया था उससे अधिक सिफारिश की जिसका नतीजा यह है कि जो अध्यापक सन् ४६ तक १२ रु० पाते थे वही अध्यापक आज ४२ रु० पा रहे हैं, जो अध्यापक उस समय १७ रु० १९ रु० और २० रु० पा रहे थे वह आज शायद ४७ रु० पा रहे हैं और जो अध्यापक उस समय ३० या ३५ रुपया पा रहे थे वह आज ५२ रु० पा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---और जो मंत्री ५०० रु० पाता था वह आज १२ सौ पा रहा है।

श्री हरगोविन्द सिंह---जी, ठीक है, बैठिये। १२००, ५०० तिगुना तो नहीं है शायद लेकिन उनका तो तिगुना या चारगुना के करीब हुआ। लेकिन उसमें इस वक्त नहीं पड़ना चाहता क्योंकि भाई साहब ने भी अपनी तनख्वाह इसलिये नहीं कम कर दी है कि अध्यापक १२ रुपये पाता है लिहाजा हम २०० रु० नहीं लेंगे।

लेकिन अब आप स्वयं सोचिये और आपके द्वारा मैं प्रत्येक सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह संतोषजनक नहीं है। इसी समय मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि उस समय एक सर्कुलर भेजा गया हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास और उनसे यह कहा गया कि आप इस वेतनक्रम को अपने यहां देना आरम्भ कीजिये और इस समय जो रुपये की कमी है उसको आप अपने यहां से बराबर कीजिये और किसी प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ाइये जिससे कि यह वेतनक्रम अध्यापकों को दिया जाय और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उसमें कुछ देर लगेगी ढूंढने में कि कहां से रुपया लाया जाय, किस प्रकार से आमदनी बढ़ाई जाय, इस बीच में सरकार आपको अपनी ओर से ग्रांट और लोन देगी जिससे कि आप उस वेतनक्रम को लागू कर सकें।

मैंने एक प्रेस कांफ्रेंस में रिपोर्ट पढ़ी और उसमें श्री राजा राम जी ने यह कहा कि वह जो डी०ओ० भेजा गया था वह इस प्रकार का था जिससे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मजबूर थे कि वह इस वेतनक्रम को लागू करें। उनके लिये यह बाध्य था। सरकार ने जो डी० ओ० भेजा था उसमें सरकार ने यह लिखा था कि तुम इस बात के लिये मजबूर हो कि तुम इस वेतनक्रम को लागू करो। इस में संदेह नहीं कि कहीं कहीं से यह पूछा गया कि यह डी० ओ० है हमारे ऊपर बाध्य है, हमें लगाना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। उस समय एक दूसरा डी० ओ० भेजा गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कह गया मैंने उसकी एक कापी राजाराम जी को दे दी लेकिन उसके बारे में उनके क्या विचार हैं मैं नहीं जानता और आज भी मेरे समक्ष उसकी कापी मौजूद है यदि आप चाहें तो मैं भवन के सामने पढ़ कर सुना भी सकता हूं। उसमें यह कहा गया है कि तुम इसके लिये बाध्य नहीं हो, लेकिन तुम से यह आशा की जाती है कि तुम अपनी आमदनी बढ़ा करके इस वेतनक्रम को लागू करो। यह भी आवश्यक नहीं है कि यह वेतनक्रम पहली अप्रैल, सन् १९४९ से लागू हो। जब भी तुम्हारी स्थिति ठीक हो, जब भी तुम इतना धन प्राप्त कर सकते हो, तब से तुम इस वेतन क्रम को लागू करो। बावजूद इसके हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आभारी हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने इस बात का प्रयत्न किया कि यह वेतन क्रम लागू हो। अपनी आर्थिक दशा के सुधारने का कोई प्रयत्न उनके दिमाग में नहीं आया, वे कोई प्रयत्न कर भी नहीं पाये और उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई भी नहीं, लेकिन आज अवस्था यह है कि प्रांत के सब जिलों में वही नवीन वेतनक्रम लागू है। सिवाय एक गढ़वाल जिले के और जितने जिले हैं जो नवीन वेतन क्रम मैंने आप के सामने रखा उसी के अनुसार रुपया दिया जाता है और जैसा मैंने पहले बताया कि केवल छै जिले ऐसे हैं जहां तीन महीने तक की तनख्वाह बाकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—गढ़वाल में क्यों नहीं है?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो मैंने पहले ही बताया कि उनको इस बात के लिये फ्रीडम थी कि वे लगावें या न लगावें। उन्हों ने अपने यहां नहीं लगाया। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत यह है कि उनकी आमदनी का अगर आप औसत लगावें, तो जितनी उनकी आमदनी होती है, उसका ७५ से ८५ फी सदी खाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों की तनख्वाह में चला जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत यह हो गई है कि यदि आप उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कह करके केवल प्राइमरी शिक्षा की एजुकेशन कमेटी कहें, तो यह असत्य न होगा। उनके पास किसी और काम के लिये धन नहीं बचता है और दूसरे शब्दों में इस वेतनक्रम ने हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रीढ़ को तोड़ डाला है। कहां से वे धन ले आवें यह वे नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इतना रुपया दे रहे हैं, यही एक बड़े संतोष की बात है। मैंने उनकी एक-एक मांग का हिसाब लगवाया। जो वेतनक्रम वे मांग रहे हैं, अगर वह वेतन क्रम उनको दिया जाय, तो आप को बजट में छै करोड़ रुपया और रखना होगा। एजुकेशन बजट आपके सम्मुख है, आप उसमें देख सकते हैं कि ८ करोड़ रुपये में ४ करोड़ रुपये केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में दिये जाते हैं यानी एजुकेशन बजट का आधा हिस्सा दिया जाता है। जहां सरकार सन् १९४६ में ७५ या ७६ लाख रुपये दिया करती थी, वहां आज सरकार ३ करोड़ ९१ लाख रुपये देती है। अगर आप उनकी मांगे मान लें तो कोई ११-१२ करोड़ रुपया प्राइमरी एजुकेशन पर हो जाता है। यह आज की अवस्था में सरकार के लिये असंभव सी बात है, कहीं से भी यह रुपया आ नहीं सकता दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि निर्माण कार्य बन्द करके इस वर्ष के लिये आप पांच छः करोड़ रुपये दे दें, लेकिन अगले वर्ष क्या होगा। आप इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। एक ही व्यवस्था हो सकती है कि लोगों पर कर लगाया जाय और फिर हम

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अपने अध्यापकों को दें इस बजट में बावजूद इसके कि इतना टाइट बजट था, दिन और रात सोचने पर भी समझ में नहीं आता था कि निर्माण कार्य के लिये कहां से रुपया लाया जाय फिर भी टैक्स नहीं लगाया गया। इस लिये नहीं लगाया गया कि हम अपनी जनता की दशा जानते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—प्वाइंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितने घंटे बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपा करके बैठें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय मंत्री जी के लिये कितना समय निर्धारित होगा।

श्री अध्यक्ष—उनके लिये कोई समय नहीं निर्धारित होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—लेकिन फिर भी यह सोचा गया कि टैक्स नहीं लग सकता। यह तो दूसरी बात है कि प्रदर्शन के लिये भवन या भवन के बाहर से कुछ हो सकता है लेकिन रुपया तो प्रदर्शन से नहीं आयेगा। रुपया तो किसी के पेट से काटकर ही निकाला जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी होती यदि आज जो इन अध्यापकों का नेतृत्व कर रहे हैं वे हमें यह बताते कि कहां से यह रुपया लाया जाय। हां, कहा यह जाता है कि कुछ लोगों की बड़ी तनख्वाहें हैं वह काट दी जायं। आप यदि देखें तो एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले आपके प्रांत में दो तीन सौ व्यक्ति हैं। ५०० से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों पर जो धन व्यय होता है वह धन एक करोड़ दो लाख होता है। अगर एक करोड़ दो लाख धन काट भी लिया जाय तो वह आप ८५ हजार टीचरों को दे नहीं सकते। तो मैंने उनसे यह भी कहा कि आप स्वयं बताइये लेकिन उनसे शायद यह कहा गया कि यदि काउन्सिल हाउस के समक्ष तुम भूख हड़ताल करके बैठ जाओ तो चाहे जैसे भी होगा सरकार रुपया ले आवेगी और अगर टैक्स लगाया गया तो हमको इस बात की स्वतंत्रता होगी कि हम सत्याग्रह करें। अगर टैक्स लगेगा तो सत्याग्रह होगा और अगर टैक्स नहीं लगेगा तो भी सत्याग्रह होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस राज्य की व्यवस्था चलेगी। अगर वही सम्मानित सदस्य हमारे स्थानों पर यहां बैठेंगे तो किस प्रकार टैक्स न लगा करके सब को अधिक वेतन देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूं कि भवन के और सदस्य अपना मत प्रकट करें लेकिन मैंने यह स्थिति केवल इस लिये रख दी कि इसको देखते हुये जितना उन टीचरों के प्रति श्रद्धा का भाव सभी में है जैसा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सब किसी न किसी समय शिष्य रहे हैं, मैं उनका आदर करता हूं लेकिन आदर केवल इस लिये करता हूं कि वह एक आदर्श पालन करते हैं। वह आदर्श अगर उनसे छूट जायगा तो वे आदर के अधिकारी नहीं रहेंगे। इस लिये मैं भवन के सदस्यों से और अध्यापकों से भी यह एक दफा फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की स्थिति में सरकार के लिये असंभव है कि धन ले आ करके किसी प्रकार से उनकी वृद्धि की जाय। जितनी वृद्धि उनकी हुई है उतनी शायद ही सरकार के किसी और विभाग में किसी कर्मचारी की हुई हो। अगर आप अनुपात के लिये देखें तो मालूम होगा कि जो और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई हैं वह अपेक्षाकृत उनसे कम है। बारह रुपया से बयालिस रुपये की वृद्धि कम नहीं हुआ करती। यदि सन् ४६ में कोई बारह रुपये में रह सकता था तो सन् ५२ और ५३ में वह ४२ रुपये में अवश्य रह सकता है। मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है कि उनको और अधिक मिलना चाहिये। यह तो उस चीज पर निर्भर हो सकता है जब देश की आय अधिक हो। किन्तु एक लिविंग वेज कहा जाता है। लिविंग पक्ष के भी दो पक्ष होते हैं, देने वाले की शक्ति और लेने वाले

की जरूरत। अगर देने वाले की शक्ति नहीं है तो लेने वाला यह नहीं कह सकता कि यह लिविंग वेज नहीं है। मैंने तो पहले सोचा था कि हमारे अध्यापकों ने आदर्श की बात की, हड़ताल नहीं की स्कूलों में चले गये और अपने काम में लगे रहे। और उन्होंने एक प्रदर्शन किया लेकिन जब प्रदर्शन का यह रूप होता जाता है और यह एक खाली शाब्दिक बात थी कि हम शिक्षा का काम छोड़ेंगे नहीं और हर जगह से लोग बुलाये जा रहे हैं प्रदर्शन के लिये, तो उसका एक ही नतीजा होगा कि स्कूल बन्द होंगे और उसका उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर होगा। यदि वे सचमुच अपने उस आदर्श को सुरक्षित रखना चाहते हैं और देश के उत्पादन के कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो उन्हें अपने इस संकल्प को छोड़ना चाहिये और स्कूलों में जावें वरना हमारे लिये भी कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि या तो स्कूल बन्द होंगे या हम यह कहेंगे कि अच्छा तुम अपने स्थान से हट गये इसलिये हमको दूसरे अध्यापक रखने पड़ेंगे। इतने दिनों तक सरकार इस आशा से बैठी रही कि अब भी ये स्कूलों में जाकर अपना कार्य करेंगे। लेकिन यदि वे नहीं जाते हैं तो हमारे लिये भी सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं यह अनुदान भवन के सामने पेश करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय, मैं इसका प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री से मुखारविन्द के निकले हुये सुन्दर शब्दों को सुन रहा था तो मैं समझता था कि जिस तरह से पहले बजट पर बोलते हुये उन्होंने माना था कि शिक्षा प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिये कोई सुनियोजित योजना नहीं है वैसे ही वह अब की बार भी स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने भाषण का अधिकांश समय केवल दयनीय अध्यापकों की दशा पर ही बिता दिया।

श्रीमन्, मैं पहले ही अपना एक सुझाव आपके द्वारा इस सरकार को दे देना चाहता हूं। अब समय आगया है कि सरकार निश्चय करले कि उसकी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्यविहीन शिक्षा प्रणाली को चलाने से किसी को लाभ नहीं होगा। यह बात सही है कि जब समाज या देश स्वतंत्र हो जाता है और समाज में आजादी आजाती है तो जो प्राचीन स्रोत सूखे हुये होते हैं उनमें आशा का संचार होता है। उस आशा को लेकर समाज का प्रत्येक समुदाय आगे बढ़ना चाहता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण को सुन कर आश्चर्यचकित रह गया। मेरी समझ में पहली बात होनी चाहिये कि शिक्षा को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये जितने विधान सभा के सदस्य हों उनकी ट्रेनिंग का समुचित प्रबंध होना चाहिये और उसमें मंत्रियों की ट्रेनिंग का सबसे पहले प्रबंध होना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके हाथ में बागडोर रहती है और सूत्रधार रहता है जब वह आदर्शविहीनता का परिचय देते हैं तो साधारण जनता से आदर्श की बात कहना कोई तर्कसंगत बात नहीं मालूम होती। कुछ दिन हुये, शिक्षा प्रणाली पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी के एक लेख को मैं पढ़ रहा था। इस बात की मुझे खुशी है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के पूर्व जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय थे उन्होंने स्पष्ट मुक्तकंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि कोई आईडियल्स (आदर्श) उनके सामने नहीं रह गये हैं जिनके हाथ में अब देश के भाग्य की बागडोर है। मैं शिक्षा मंत्री के भाषण को सुनकर इस बात को अक्षरशः सही मानता हूं मैं चाहता हूं कि जिन अध्यापकों की बातों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रधान सचेतक जगन्नाथ मल्ल जी की ओर संबोधित करते हुये कहा कि आप पैसे की व्यवस्था कीजिये। तो मैं पैसे की व्यवस्था उनके सामने रखूं। सही माने में हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य हर समय उद्यत है, हर समय तैयार है और उसी अपनी उद्यत और तैयार होने की मनोवृत्ति के अनुसार ही हमारी पार्टी ने यहां यह प्रस्ताव

[श्री राजनारायण]

रखा था कि प्रत्येक विधान सभा का सदस्य १५० रुपया अपनी तनख्वाह ले और प्रत्येक मंत्री १,००० से ज्यादा अपनी सैलिरी (तनख्वाह) न करे और उसका खर्च अगर उसकी घर की आमदनी इतनी हो कि अपना जीवन निर्वाह उससे कर सके तो उसको एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये तो हमारे साथ जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसी बात कहते हैं तो उन्हें अपने लिये सोचना चाहिये। अगर उन्हें जरा सी भी लज्जा हो, तनिक भी शर्म हो तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को विरोधी पार्टी के लोगों से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये। (एक आवाज—आप अपनी तनख्वाह छोड़ दीजिये।) आप हमारी तनख्वाहों की बात को छोड़ दीजिये। छोड़ने की बात तो वह कैसे कह सकते हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहें पहले से नहीं छोड़ी हैं। मैं कहता हूं कि जो अनुपात आप निश्चित करें अध्यापकों की डिमांड (मांगों) को पूरा करने के लिये उस अनुपात के अनुसार हमारी तनख्वाहें कम कर दीजिये, हमारे एलाउन्सेज कम कर दीजिये, वह उन पर भी लागू हो, हम पर भी लागू हो और समाज के दूसरे लोगों पर भी लागू हो। (हर्षध्वनि)। श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को कहने के लिये तैयार हूं और कह रहा हूं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह की बातें कही हैं उनको सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। आज की बात नहीं है इस प्रस्ताव को तो विरोधी पार्टी ने उस समय ही रखा था जब कि मंत्रियों की तनख्वाहें क्या हों, विधान सभा के सदस्यों की तनख्वाहें क्या हों, डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाहें क्या हों, उस समय जब विधेयक प्रस्तुत थे तभी हमने इस बात को निवेदन किया था। आज, श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों की मर्यादा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुखारविन्द से दो शब्द निकले कि अध्यापक नौकर हैं और अध्यापक गुरु हैं और उसे उसकी मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसे नौकर की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिये या अध्यापक की, गुरु की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिये। (एक सदस्य—गुरु की)

अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी गुरु की मर्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिये था कि किस तरह से वह अपने गुरुतर कार्यभार को संभाल कर रख सकता है। उसके आब्जेक्टिव सिच्युयेशन को दृष्टिगत वातावरण में उत्पन्न करने का कर्त्तव्य सरकार का हो जाता है और अगर सरकार उस कर्त्तव्य को पूरा नहीं होने देती और पूरा नहीं करती तो कलंक किसके लिये है। सरकार को कलंकित होना चाहिये या अध्यापकों को कलंकित होना चाहिये। सरकार को कलंकित होना ही चाहिये। श्रीमन्, मैंने बहुत दुख के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुंह से यह सुना कि कुछ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर अध्यापक लोग यह कह रहे हैं श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे राजनीतिज्ञ को महान् नीच समझता हूं जो अध्यापकों को भूख हड़ताल करने के लिये प्रेरित करें और मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि हमारी पार्टी का कोई सदस्य अध्यापकों को वह करने के लिये नहीं कहता जो खुद न करने के लिये तैयार हो। "डू टु अदर्स ऐज यू विश टु बि डन बाई" दूसरों के लिये वही काम करें जो दूसरों से चाहते हैं। क्या हमारा साहस है, क्या हमारा आत्मबल है कि हम अध्यापकों से कहें कि तुम भूख हड़ताल करो। हम इस तरह के नहीं हैं कि विधान सभा में आये और कुछ काम किया और यहां कुछ कहा और बाहर चले गये तो कुछ और कहा। इस तरह से प्रजा शोसलिस्ट पार्टी नहीं है यह माननीय शिक्षा मंत्री जी को मालूम होना चाहिये और जिस वक्त हम आखिर में समझ लेंगे कि हम अध्यापकों को सलाह देने के लिये तैयार हैं कि वह भूखहड़ताल करें उस दिन पहले आदमी हम होंगे जो भूख हड़ताल करेंगे। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को उधर नहीं जाना चाहिये। राजनीतिकता की पूर्व परम्परा क्या है और किस तरह से चल रही है। हम कई बार सम्मानित सदन की सेवा में रख चुके हैं। यह नहीं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव ऐंड वार। (प्रेम और युद्ध में सब कुछ ठीक है) आपको साधन को

भी देखना है और साध्य को भी देखना है और यह समझना है कि साधन भी साध्य हो जाते हैं और साध्य दूसरे दिन साधन भी होते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अध्यापकों की जितनी तनख्वाह बढ़ी उतनी दूसरों की नहीं बढ़ी। वह कहते हैं लेकिन इसके लिये आंकड़े पेश नहीं करते। वह सन् ३६ के बजट को देखें तो उस समय १२ करोड़ हमारे प्रांतीय सरकार की आमदनी थी आज ७५ करोड़ हमारे प्रांत की आमदनी हो गई है। साढ़े ६ गुनी आमदनी बढ़ गई है। माननीय शिक्षा मंत्री गुणा भी लगायेंगे तो उनको मालूम होगा कि उस अनुपात से तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। जब पहले कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री आई थी तो मिनिस्ट्रों की तनख्वाह ५०० रुपये रक्खी थी और ४६ में जो ब्रिटिश रिजीम में एडवाइजर्स थे तो ३,७०० रुपये एक एडवाइजर पर खर्च होते थे। क्या माननीय शिक्षा मंत्री साहस के साथ कह सकते हैं कि आज एक मंत्री पर ६ हजार से ज्यादा रकम खर्च नहीं होती। आज एक मंत्री ६ हजार से ज्यादा रकम खर्च करता है। तो वह मंत्री कैसे कह सकता है कि अध्यापक भूख को बर्दाश्त करें और उदार बनें। वह खेतों के कामों से पैसा पैदा कर लेते हैं इसलिये उनको तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं करना चाहिये। एग्जाम्पिल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। अपने आप उदाहरण बनिये तब दूसरों को शिक्षा की बात कहिये। अगर पहले हम अपने लिये उदाहरण प्रस्तुत न करें अपने को माडल न बनावें तो जो जनता आज सरकार के पास अपनी मांग पूरा कराने के लिये आती है, अपनी दिक्कतों को ले कर, अपनी कठिनाइयों को लेकर जब उस सरकार के मंत्री गण के पास से वह जनता लौटती है तो किस आदर्श से ओतप्रोत हो कर आती है। क्या वह त्याग, बलिदान,और निर्माण में सारा जीवन लगाने के आदर्श को लेकर आती है। जब वह अध्यापक एक मंत्री को आलीशान बिलडिंग में रहते देखते हैं तमाम अय्याशी (ऐशो आराम) के सामान को अपने बंगले में रखता है, फर्स्ट क्लास गलीचे रखता है, फर्स्ट क्लास की पिक्चर्स उसके बंगले में होती हैं तो किस आदर्श को लेकर वह वापस जायगा। क्या भावना लेकर आयगा। क्या त्याग की भावना को लेकर जायगा? क्या वह यह समझेगा कि यह वही पुरानी कांग्रेस है जिसके सदस्य चार-चार आने पैसे के लिये घर-घर घूमते थे, सादी वेशभूषा में रहते थे? क्या यह वही महात्मा गांधी की कांग्रेस है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह 'अय्याशी', का शब्द पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है। उसका अर्थ शायद सदस्य दूसरा समझते हों।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर कोई उसके लिये कोई दूसरा अर्थ समझता हो तो क्षमा चाहूंगा लेकिन मैंने जिस भाव से कहा है उसी भाव में सदस्यगण उसको लेने की कृपा करेंगे। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि ऐश इशरत में जो अपनी जिन्दगी बिताते हों उस ऐश इशरत की जिन्दगी को वे जरा जंगल के रास्ते पर ले चलने का प्रयत्न करें, एक आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिये, एक आदर्श की पूर्ति के लिये वे कटिबद्ध हों तब वह समाज को आदर्श की शिक्षा दें तो वह शिक्षा अच्छी लगती है। वर्ना उस शिक्षा का अर्थ बेकार हो जाता है। इसी के साथ साथ श्रीमन् मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा विभाग में धांधलियां हो रही हैं उनकी ओर ही वह ध्यान दें, उस करप्शन, धांधलियों और उत्पात को ठीक तरह से वह दुरुस्त करें तब भी अध्यापकों की तनख्वाह से संबंधित बहुत सी मांगे पूरी हो सकती हैं। एक उदाहरण मैं पाठ्यक्रम की पुस्तकों के बारे में देना चाहता हूं। यह पुस्तकें छपने के लिये पब्लिशर्स को दी जाती हैं। सरकार की ओर से केवल तीन पुस्तकें छापी गई हैं और उससे २४ लाख रुपये की प्राप्ति सरकार को हुई। माननीय शिक्षा मंत्री अगर आंकड़ों में गलती हो तो वह मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। (एक आवाज) माननीय मंत्री शायद ८ लाख कहते हैं। हो सकता है कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई हो उसमें त्रुटि रह गई हो। अगर ८ लाख भी मानते हैं तो जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर

[श्री राजनारायण]

उसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ता। अब जब ३ पुस्तकों से ८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई तो जो अगणित पुस्तकें बाहर छपती हैं, उनको अगर सरकार छापे और उनसे जो आमदनी हो वह अध्यापकों पर खर्च की जाय तो भी अध्यापकों की मांग पूरी हो सकती है इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में जो धांधलियां होती हैं उनका इस वक्त जिक्र करने का अवसर नहीं है। जब बजट पर सामान्य वाद विवाद हो रहा था उस वक्त उनको कहा जा चुका है। और जब साधारण नीति की आलोचना और सुझाव देने के लिये हमने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं तो उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा उन बातों पर प्रकाश डाला जायगा कि आगे शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी आगे निर्माण कैसे होगा आगे सरकार किस उद्देश्य को, शिक्षा व्यवस्था को चलायेगी मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री इस पर कुछ बोलेंगे। मगर मालूम ऐसा होता है कि नरेन्द्र देव कमेटी जो स्थापित हुई थी, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के सामने न आ जायगी और वे उसका अवलोकन न कर लेंगे, तब तक शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, उसके विषय में उनकी क्या नीति हो इसको वे प्रकाश में नहीं लाना चाहते। लेकिन चाहे उस कमेटी की रिपोर्ट उनके पास पूरे रूप में न आयी हो फिर भी उसने जो सुझाव दिये हैं उनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को अवश्य ही होगी। अगर उनको जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अखबारों की उन प्रतियों को मांग कर पढ़ें जिनमें यह चीज प्रकाशित हुई है। क्योंकि शिक्षा मंत्री के लिये यह आवश्यक है कि इन तमाम बातों की जानकारी वह रक्खें।

श्रीमन्, मैं दूसरे मुल्कों का क्या उदाहरण दूं, क्या ब्रिटेन का उदाहरण दूं, क्या अमेरिका का उदाहरण दूं, क्या रूस का उदाहरण दूं, क्या चीन का उदाहरण दूं, जब कि माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को पहिले ही स्वयं मान चुके हैं कि उनकी शिक्षा की नीति उद्देश्यहीन है। उदाहरण तो तब दिया जाता जब कि उनकी शिक्षा की नीति हमारे सामने होती। हम नहीं जानते कि सरकार की शिक्षा की नीति क्या है शिक्षा मंत्री के कथनानुसार जब कि रूस की शिक्षा की नीति अच्छे कम्युनिस्ट को पैदा करने की है और अमेरिका की शिक्षा की नीति एक अच्छा डेमोक्रेटिक पैदा करने की है लेकिन हिन्दोस्तान की शिक्षा की नीति क्या पैदा करने की है यह पता नहीं जहां तक हमारी प्राचीन शिक्षा का संबंध है उसका उद्देश्य देशवासियों को सत्यं शिवं और सुंदरम् बनाया था। जो रास्ता सत्य हो, शिव हो, और सुन्दर हो, उस रास्ते की ओर ले जाने की जब शिक्षा की सुनियोजित नीति होगी तभी हमारे देश का निर्माण हो सकेगा। मगर श्रीमन् मैं यह बहुत दुख के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा का जो भी स्वरूप हो लेकिन वह स्वरूप असत्य न होना चाहिये, हाइप्रोक्रेट (भाव को छिपाने वाले) नहीं होना चाहिये, हम में वस्तुस्थिति को विकृत करने की आदत नहीं पड़नी चाहिये। अगर किसी वस्तुस्थिति को विकृत करने की परम्परा को विकसित करते चले जायेंगे तो हमारी शिक्षा का और हमारे देश का क्या हाल होगा, यह श्रीमन्, आप भी जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी समझते होंगे। मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, श्रीमन् कि यह बात तो साफ हो चुकी है कि हम जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति दोनों को अख्तियार करना चाहते हैं, दोनों का समन्वय करना चाहते हैं यानी ऐसा नहीं चाहते कि जैसा कि अमरीका में है जो डेमोक्रेसी के मीन्स में ही विश्वास करते हैं और न रूस की भांति जो केवल 'माडिल' में विश्वास करते हैं। हम मीन्स और माडिल दोनों में यानी प्रजातंत्र की पद्धति और प्रणाली दोनों में विश्वास करते हैं और दोनों का अटूट संबंध समझते हैं। जब इस चीज को सरकार मानती है.....

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय, आप के लिये कितना समय दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—२० मिनट का दिया गया है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने अभी तक उद्देश्य की सफाई न हुई हो तो वे अपने मस्तिष्ट को साफ़ कर लें। हमें शिक्षा व्यवस्था से जो बातें मिलनी चाहिये वे "यह कि उससे समाज में सच्चाई हो, समाज में सत्यं, शिवं और सुन्दरम की प्रतिष्ठा हो और समाज में जनतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था दोनों का अविछिन्न संबंध स्थापित किया जाय और मनुष्य (from the realm of necessity to the realm of freedom) यानी मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के क्षेत्र से निकल कर स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के वातावरण में विचार करे। तो मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था वह अध्यापक करेगा जो कि अधपेट है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिये उसके पास मकान नहीं है। जो अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं सकता, उनकी दवा दारू का इंतजाम नहीं कर सकता। क्या उसके द्वारा दी गयी शिक्षा राम राज्य को लायेगी या कि रावण शाही को। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है उसमें गुरुजनों के साथ हेय नौकर सरीखा बर्ताव किया जाता है यह हमारे लिये लज्जा की बात है और माननीय शिक्षा मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि वे अध्यापकों की श्रेणी गुरुजनों में रखते हैं या नौकरों में रखते हैं। अगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में अध्यापकों का स्थान गुरुओं का होगा तो वे उनके साथ दूसरा व्यवहार करने के लिये बाध्य होंगे और अगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में अध्यापकों का स्थान नौकरों का होगा तो वे उनके साथ दूसरा ही व्यवहार करेंगे। जिस तरीक़े से कि साधारण ढंग से नौकरों के साथ व्यवहार किया जाता है मेरी समझ में वही व्यवहार माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा कुछ ज्यादा समय न लेकर माननीय शिक्षा मंत्री से निहायत अदब के साथ अपील करना चाहता हूं कि वे अध्यापकों को धमकी न दें कि अध्यापकों को या तो निकाल दिया जायगा या दूसरे लोगों को भर्ती करके शिक्षा का काम चलाया जायगा या शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर दिया जायगा। इस तरह का डिक्टेटोरिअल (हिटलरी) भाषण उनको नहीं करना चाहिये था। और यह अशोभनीय है कि अगर गुरु अपनी उचित मांग लेकर सरकार के सामने आये हुये हैं तो उसके लिये इस तरह की धमकी सरकार की ओर से दी जाय। माननीय शिक्षा मंत्री के मुखारविन्द से इस तरह की बात निकलना इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये असह्य होना चाहिये। हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी प्रार्थना को क़बूल करें इस विनम्र निवेदन को क़बूल करें। किसी राजनैतिक द्वेष भाव से यह मांग नहीं की जा रही है। जो अध्यापक अपनी मांग लेकर सरकार के सामने आये हुये हैं वे आपके मुखापेक्षी हो कर आये हुये हैं। आप अध्यापकों के साथ उदारता का व्यवहार करें, अध्यापकों से बातें करें उनसे मिलें, उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करें और जितनी जन संस्थायें हैं उनसे विचार विमर्श करें और कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता निकालें। कहने के लिये तो कहा जाता है कि जनता के चरणों पर जनराज्य शक्ति लौटती है लेकिन यही जनता के अंग जो अध्यापक हैं उनके साथ नौकरों के समान व्यवहार करना और इस तरह की धमकी देना, क्या इसी को जनता के चरणों पर जनराज्य के शक्ति को लौटना कहते हैं? श्रीमन्, सरकार से मैं फिर निवेदन करना चाहता कि इसको वे धमकी न समझें। अभी भी मौक़ा है, अभी भी अवसर है। अध्यापक कोई हठवादिता नहीं अख़्तियार कर रहे हैं। ये अध्यापक हर तरीके से, सम्मानजनक तरीके से किसी भी समय अपनी मांग को सहूलियत के साथ निबटाना चाहते हैं, इस लड़ाई को समाप्त करना चाहते हैं। अध्यापक किसी राजनैतिक पार्टी के बहकावे में नहीं हैं। अगर माननीय मंत्री जी को ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने .....

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में बोलते समय यह उचित न होगा यदि मैं शिक्षा मंत्री के सम्मुख "कारलायल" के कुछ शब्द रखूं। कारलायल ने कहा था "Some are born great some acheive greatness and some have greatness thrust them !"

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

[कुछ बड़े पैदा होते हैं, कुछ बड़प्पन पाते हैं और कुछ पर बड़प्पन थोपा जाता है।]

मैं माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर यह छोड़ता हूं कि इन तीन श्रेणियों में से जिसमें चाहें अपने आप को रखें। किन्तु, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, इस वेलफेयर स्टेट के शिक्षा मंत्री जी ने अपना नाम प्रख्यात कर लिया है। हर एक विद्यार्थी के मुख से, हर एक अध्यापक के मुंह से, असंख्य बेरोजगार Matric बी० ए० और एम० ए० के मुंह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम का उच्चारण गायत्री मंत्र के समान किया जा रहे हैं। किन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने नाम के जप से संतुष्ट न रह कर एक देव या दानव के समान बलि की पुकार कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि उनकी यह बलि की पुकार भी शीघ्र संतुष्ट हो जायगी, किन्तु भय यह है कि आंध्र देश के देव या दानव से विभिन्न इस देव या दानव को संतुष्ट करने के लिये एक से अधिक बलि चढ़ानी पड़ेगी। निःसन्देह हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपना नाम बना लिया है। नाम या बदनाम इसका यहां पर जिकर करना या फैसला करना असंगत होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनते समय एक बात का अवश्य दुःख हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में बहुत कुछ कहा किन्तु, जैसा कि राजनारायण जी ने बताया, उन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा नीति के संबंध में कुछ नहीं कहा। सम्भवतः शिक्षा की नीति भी और विषयों की तरह माननीय शिक्षा मंत्री के विचाराधीन हो किन्तु मैं यह समझता हूं कि इस विचाराधीन शब्द का प्रयोग अधिक न करें तो अच्छा है। अपने कार्यों को कर्तव्य का रूप देने की चेष्टा करें। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सरकार की शिक्षा नीति यहां पर नहीं बतायी, कम से कम मैं यह नहीं मानूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी और हमारी सरकार वर्तमान शिक्षा की नीति से संतुष्ट है। मैं जानता हूं, और इसीलिये उनका वर्णन करना न उचित और न आवश्यक समझता हूं, कि शिक्षा की नीति की और शिक्षा विभाग की गलतियों से हमसे अधिक शिक्षा मंत्री जी इन ग़लतियों को जानते हैं, किन्तु नीति के संबंध में मतभेद की गुंजायश है। हमारी यह उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री महोदय हमको यहां पर मौक़ा देंगे कि हम भी अपने तुच्छ विचारों को उनके सामने नीति के संबंध में प्रस्तुत कर सकें। शिक्षा की एक ही नीति हो सकती है और वह यह है कि:

"For education is to make men, so it is now, so it was then."

[शिक्षा से मनुष्य बनता है, अब भी यही है, पहिले भी यही था।]

मनुष्य को शिक्षा द्वारा मनुष्य बनायें। अब इसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक नहीं। शिक्षा विभाग और विशेषकर शिक्षा विभाग के मंत्री और काम करने वाले कर्मचारी शिक्षित ही होंगे। इसका मतलब वह स्वयं लगा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने कुछ आंकड़े भी रखे। मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सामने वह अधूरे आंकड़े न रखें। शिक्षा मंत्री जी हमको बताते हैं कि उन्होंने इस साल में इतने स्कूल बनाये। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमको केवल यह न बतायें कि उन्होंने इतने स्कूल बनाये किन्तु इसके साथ साथ यह भी बतायें कि आर्थिक दुर्दशा के कारण और प्रतिज्ञा की हुई सहायता के न मिलने के कारण कितने स्कूल टूटे। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको केवल यह न बतायें कि इस वर्ष गत वर्ष से तुलना करके इतने अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और सफल हुये, किन्तु इसके साथ साथ यह भी बतायें कि इन विद्यार्थियों में से कितनों ने बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हमको केवल यही न बतलायें कि अब इस प्रदेश के लगभग हर स्कूल में केवल क्वालिफाइड टीचर्स ही पाये जायंगे बल्कि यह भी बतलायें कि उन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद भी कितने अध्यापक ऐसे हैं जो अपूर्ण वेतन पाने की लाचारी से अपने को असुरक्षित ठहराते हैं।

अध्यापकों के संबंध में क्या कहूं, बहुत कुछ कहा जा चुका है और विशेषकर जब कि सरकार ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। सब को विदित कर दिया गया है कि यह जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की है, अच्छा न्याय है सरकार का। साथ ही सबको यह भी बतला दिया गया है कि मौजूदा वेतन से भी बहुत कम वेतन पर सैकड़ों मनुष्य इन नौकरियों को भरने के लिये तैयार हैं, सरकार को इसके लिये भी बधाई। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि असमर्थ और कमजोर अध्यापकों पर दया करना चाहिये और सहानुभूति सहित उनकी मांगों की जांच कराना चाहिये। सत्याग्रह, वह शस्त्र जिसने एक विदेशी सल्तनत के होशहवास ठिकाने कर दिये थे, आज दूर सिंहासन पर बैठे भाइयों की आंख खोलने के काम में न लाये जायं। सरकार आज चाहे तो करवाये बेचारे अध्यापक क्या कर सकते हैं। अब समय बहुत कम है और शिक्षा मंत्री के सम्मुख और अधिक बात रखना आवश्यक भी नहीं है, उनके दल के सदस्य ही, यहां नहीं तो कहीं और, उनको काफ़ी सुना रहे होंगे, यहां चाहे आज वह जो कुछ कहें। इतनी बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यह न भूलें कि "a teacher affects entirely. he can never tell where his influence stops"

(एक शिक्षक का अनन्त पर प्रभाव रहता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहां समाप्त हो जायगा।) विचार करने की बात है और इस सिद्धांतवादी सरकार से मैं यह कहूंगा कि वह यह न भूले कि "when time shall have softened passion and Prejudice when reason shall have stripped the mask of mis representation, then justic holding evenly her scales, shall require much of past cnsure and present praise to change places."

[जब समय आवेश और पक्षपात को कम कर देगा और जब वास्तविक तथ्य पर पड़ा हुआ परदा विवेक द्वारा हटा दिया जायगा, तब न्याय जिसका कि पलड़ा सर्वदा बराबर रहता है, वर्तमान स्थितियों को समयानुकूल परिवर्तित कर देगा।]

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इस बजट पर बधाई देता हूं। यह मैं केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कहता परन्तु मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष जब इस महत्वपूर्ण विषय का भार हमारे सम्पूर्णानन्द जैसे प्रकांड पंडित से श्री हरगोविन्द सिंह जी को दिया गया था तो हमारा विचार हुआ था कि यह किस तरह से चलेगा किन्तु जिस कौशल और योग्यता से उन्होंने इसका नेतृत्व किया है उसके लिये वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की रिपोर्ट को पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की अवस्था में शिक्षा में जो प्रगति हो सकती थी वह इसमें की गयी है। उसके संबंध में मुझे अधिक नहीं कहना है। मुझे तो आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय, उन के सम्मुख यह रखना है कि इस समय जो शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है और यह निर्विवाद है कि वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। आज इन संस्थाओं से जो युवक और युवतियां शिक्षा लेकर निकलती हैं वह देश के लिये किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं। शिक्षा पाने के पश्चात् हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर, देश के ऊपर एक भार स्वरूप होती हैं। उन्हें चारों तरफ सर्विस की तलाश रहती है। इसके लिये आज जो वातावरण है वह अनुकूल है, हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहर लाल नेहरू, हमारे राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी, डा० पट्टाभि सीतरमैया ने स्पष्टरूप से कहा है। इसमें अगर मैं एक दो बयान आप के उद्धृत करूं तो असंगत न होगा। हमारे राज्यपाल ने आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर कहा था—

"Let me tell you this frankly. The vast human material represented by our young friends, whom I see before me, have not been prepared for the strenuous work and determined leadership which Free India demands from everyone of her educated sons and daughters.',

[मैं आप को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। यह जो विस्तृत मानव समुदाय हमारे युवक मित्रों के रूप में मेरे समक्ष हैं। वह कठिन कार्य और दृढ़ नेतृत्व के लिये उद्यत ही नहीं है स्वतंत्र भारत जिन चीजों की अपने शिक्षित लड़कों या लड़कियों से आशा करता है।]

[श्री जगदीश प्रसाद]

फिर उन्होंने कहा है—

"Naturally, education has been a failure. It gives no mental discipline, steadfast character or stern selfrestraint; and gives neither the will nor the technique to work."

[स्वाभाविक रूप से शिक्षा विफल रही है। इससे मानसिक अनुशासन, दृढ़ चरित्र या दृढ़ संयम प्राप्त नहीं होता और यह कार्य के लिये प्रोत्साहन एवं दक्षता प्रदान नहीं करती।]

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इससे अधिक और क्या कह सकते थे। इसके पश्चात् मैं एक बयान आप के सामने और रखूंगा जो हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर रखा था।

श्री अध्यक्ष—यदि आप अंग्रजी में पढ़ते हैं तो हिन्दी में उसका खुलासा कह देना पड़ेगा, वरना अंग्रेजी में पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद—आगे हिन्दी में पढ़ूंगा। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था "वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क तथा दफ्तर के बाबू ही तैयार करने में समर्थ है। इसमें चरित्र निर्माण के लिये कोई स्थान नहीं है और न ही चरित्र निर्माण का कोई महत्व समझा जाता है।"

उन्होंने आगे चल कर कहा—

"जब तक इस पद्धति में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा, ये संस्थायें केवल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने में ही सफल रहेंगी जो वास्तव में अयोग्य होंगे और उसके साथ ही अपने जीवन से, समाज और सरकार से असन्तुष्ट भी रहेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह कहने जा रहा था कि जो शिक्षा पद्धति इस समय हमारे सामने है और जिसको हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार, सब अनुभव करते हैं कि यह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती उस में सुधार से काम नहीं चलेगा। सरकार ने अपनी कमेटियां बना दी हैं, उनकी रिपोर्टें भी आ रही हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उसमें मौलिक परिवर्तन से काम चलेगा। मुझे इससे हर्ष है कि जो प्रतिवेदन हमारे सामने रखा गया है, उसमें जो शिक्षा की प्रगति दिलाई गई है उसके आमुख में स्वयं मंत्री जी ने माना है कि मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उस मौलिक परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ वाक्य पं० जवाहरलाल नेहरू के भी उद्धृत करूंगा कि उससे उपयुक्त मौलिक परिवर्तन हमारे सामने क्या हो सकता है। उन्होंने सेवा ग्राम में तालीमी संघ का उद्घाटन करते हुये कहा था कि उन्हें इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि बुनियादी तालीम देश की अशिक्षा और बेकारी को दूर करने के लिये ठीक दिशा में एक उचित प्रयत्न है। उन्होंने आगे कहा था कि—

"मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने आर्थिक साधनों पर ही शिक्षा के विकास के लिये अवलम्बित रहेंगे तब इसके लिये हमें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह एक शुभ सूचना है कि बुनियादी तालीम बिना अधिक व्यय के शिक्षा प्रसार की दिशा में एक नया मार्ग बतला रही है।"

मुझे इससे भी हर्ष हुआ अध्यक्ष महोदय, कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो रिपोर्ट हमारे सामने दी है उसमें भी उन्होंने इसकी तरफ इंगित किया है। उन्होंने यह कहा है, "इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया कि शिक्षार्थियों को श्रम करने के अवसर उपलब्ध कराये जायं जिस में कि वे किसी अंश तक अपने व्यय का भार वहन करने में सहायक हों और दूसरी ओर उनकी विधायक शक्तियां उत्पादन कार्य में लगें।" परन्तु यह पर्याप्त न होगा। उस में आमूल परिवर्तन करना होगा और इस वक्त यह जो आप करने जा रहे हैं इसका तो यह अर्थ है कि हमारे विद्यार्थियों की थोड़ी सी शिक्षा चली जाय और उसमें आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता।

नयी तालीम के विषय में धीरेन्द्र भाई जी, अखिल भारतीय चरखा संघ के अध्यक्ष ने लिखा है कि "इस शिक्षा पद्धति में उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रत्येक विषय की जानकारी होती है, यानी इसमें उन्होंने शिक्षा का माध्यम ही शरीर श्रम द्वारा उत्पादन कार्य बना दिया है। इस पद्धति में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये श्रम करते हुये मनुष्य की सारी बौद्धिक शिक्षा पूरी होती है। इसीलिये उसका नाम बुनियादी तालीम रखा गया है, क्योंकि इस पद्धति में जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा में मनुष्य को अपने स्वाभाविक कार्यों के लिये समयानुकूल शिक्षा मिलती है।" अध्यक्ष महोदय, मैं यह केवल वाक्यों के लिये नहीं कह रहा हूं। मेरा यह विश्वास है कि जिस तरह से आप बुनियादी तालीम देना चाहते हैं वह किसी प्रकार सफल नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप को यह तय करना पड़े कि हम को यह शिक्षा पद्धति उठानी होगी। उसके कुछ मौलिक कारण हैं। उसका कारण यह है कि बुनियादी तालीम का उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक शिक्षा दी जाय। उसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी के जीवन, यापन में और सरकार को उन संस्थाओं के चलाने में कुछ आर्थिक सहायता होगी। उसका मस्तिष्क बिलकुल उसी तरफ लगा रहेगा जब कि अगर आपने यही शिक्षा प्रणाली रखी तो उसका मस्तिष्क परीक्षा की तरफ ही लगा रहेगा। और थोड़े दिनों में आप को परेशानी महसूस होगी कि हमें इस संस्था को चलाने में कठिनाई हो रही है, इसलिये हम इस पद्धति को नहीं चला सकते। गांधी जी ने जिस समय हमारे सामने बुनियादी तालीम को रखा, तो उसके अन्दर एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। गांधी जी तीन प्रकार की क्रान्तियां देश के अन्दर करना चाहते थे। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक क्रान्ति में अंग्रेजों से देश को लेना और विकेन्द्रीकरण था। आर्थिक क्रांन्ति में उद्योग का विकेन्द्रीकरण और सामाजिक क्रान्ति में वह चाहते थे कि प्रक्रियावादी शक्तियों से समाज को ले लें। वह एक चीज पूरी कर गये। राजनीतिक क्रान्ति, अंग्रेजों से देश को छुड़ा कर पूरी कर गये। शेष क्रांति नई तालीम द्वारा ही आ सकती है।

अब समय नहीं रह गया है। मैं एक मिनट में बतला दूं कि मौजूदा तालीम और गांधी जी की बुनियादी तालीम में क्या अन्तर है। हमारे राष्ट्रपति ने अपने व्याख्यान में कहा है कि लगभग ३१ लाख ऐसी संख्या हैं जो यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में विद्यार्थी एक साल में पढ़ते हैं। वह ३१ लाख की संख्या जो हर समय अपने सूट और टाई को देखते हैं, स्टेशन पर एक छोटा सा हैंडबेग लेकर जाते हैं और उसके लिये कुली कुली चिल्लाया करते हैं, अगर बुनियादी तालीम दी जायगी तो उनको अपना सामान उठाने के लिये दूसरों की आवश्यकता नहीं होगी, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। आप को यह बतलायेंगे कि हम अपना कपड़ा आप को देंगे, इतने सूत आप को देंगे, इतने जूते हम निर्माण करेंगे आदि, आप की दोनों समस्यायें हल हो जायंगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के दो माननीय सदस्यों श्री राजनारायण सिंह, और श्री बालेन्दु शाह के भाषण मैंने सुने। विरोधी दल के भाषणों में चाहे अनपार्लियामेंटरी लैंगुएज न रही हो, लेकिन शिष्टाचार से शून्य जो शब्द आये हैं उससे शिक्षा की जो मांग इस बजट में मांगी गयी है उसमें कोई सहायता नहीं मिली। माननीय सदस्य अच्छी तरह समझते हैं कि विरोधी दल के भाषण में भी एक व्यवस्था होती है। उससे भी लाभ होता है। केवल उखड़े उखड़े शब्दों में विरोध करने से, नाराजगी प्रगट करने से न तो उसमें कुछ उन्नति हो पाती है और न सदन के बाहर लाभ हो पाता है। वास्तव में शिक्षा के संबंध में शिक्षा क्या होनी चाहिये, दोनों भाषणों में दो बातें आयीं। एक सत्यं शिवं सुन्दरम् की अनिश्चित कल्पना की बात कही गयी कि शिक्षा का क्रम सत्यं शिवं सुन्दरम् होता है। माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि इसका निश्चित रूप क्या होगा। जब उसका निश्चितरूप सामने आये तो शिक्षा का क्रम उससे पूरा होगा। लेकिन सत्यं शिवं सुन्दरम् कहने से कोई उद्देश्य, कोई मुख्य रूप सामने आता नहीं। दूसरे माननीय सदस्यों ने

[श्री पद्मनाथ सिंह]

कहा कि एजूकेशन इज फार मेकिंग मैन। मैं उनके शब्दों को वैसे ही उद्धृत नहीं कर रहा हूं लेकिन उनका मतलब था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाने का होता है। शिक्षा का उद्देश्य अगर मनुष्य बनाना नहीं होता तो क्या राक्षस बनाने के लिये शिक्षा दी जाती है। इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया कि शिक्षा का रूप यह होना चाहिये। केवल उखड़े उखड़े शब्दों से जो बातें कही गयी हैं उससे न उनका सम्मान बढ़ता है न सदन का सम्मान बढ़ता है। जो शिक्षा का क्रम है वह कई पुस्तकों में प्रकाशित है। एक वर्ष के अन्तर्गत सदन के माननीय सदस्यों में और बाहर भी यह भलीभांति देखा गया है कि माडर्न शिक्षा प्रणाली और यूनीवर्सिटी प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था आई है जिससे श्रम और उत्पादन की ओर शिक्षा में ध्यान दिया जाने लगा है। यूनीवर्सिटी और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों ने एक ही काम किया है और वह यह है कि एजीटेशन किसी न किसी रूप में करें और समाज में एक अव्यवस्था चलती रहे आज जो सत्याग्रह चल रहा है यदि वह इस दिशा में चलता जिससे देश का उत्पादन बढ़ता तो उसका स्वागत किया जाता। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि शिक्षक अपनी तनख्वाह का तकाजा करते हैं। अगर उनसे उनके कार्य का तकाजा करना आरम्भ कर दिया जाय कि प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले टीचर इतना परिणाम दिखलायें तो न जाने उनकी क्या दुर्दशा होती या विरोधी पक्ष की क्या हालत होती, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां वह काम करते हैं, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनके अभिभावक आज अध्यापकों से कुछ नहीं कह सकते। यदि यह हो जाय कि अध्यापक इस समय से इस समय तक काम करें और अपने कार्य से अभिभावकों को संतुष्ट करें तो यह भी बात मानने के लायक है कि अभिभावक एजूकेशन देने वाले अध्यापकों से तकाजा करें और यह देखा जाय कि अभिभावक उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। मैं उनको दोष नहीं देता हूं बल्कि मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि जिसका काम किया जाता है वह संतुष्ट है या नहीं और जो काम करता है वह संतुष्ट है या नहीं।

यदि आज शिक्षक इस बात का आंदोलन करते कि शिक्षा प्रणाली में यह होना चाहिये, वह होना चाहिये और इन चीजों की आवश्यकता है तो गालिबन वह अपनी तनख्वाह के लिये अच्छा आंदोलन कर सकते थे और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। लेकिन वह केवल अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और यह बिलकुल दुनियादारी की बात की जा रही है। देश की नाजुक परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और ध्यान दिया जाता है केवल ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलने की बात पर और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने की बात पर और मुकाबला किया जाता है कि फलां को इतनी तनख्वाह मिलती है।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री क्रमशः तनख्वाह की छुट्टी कर दें तो हम भी छुट्टी कर देंगे। अच्छा हुआ होता यदि उनकी ओर से जिनकी ओर से वह बोलने का दम भरते हैं, वह पहले छोड़ देते और बाद को देखते कि दूसरे लोग करते हैं या नहीं; मुझे तो विश्वास है कि कांग्रेसी सदस्य बलिदान और त्याग में देश के उत्थान और निर्माण के लिये किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह अजीब सा लगता है कि नेतृत्व तो करने वह चलते हैं और त्याग के लिये वह कांग्रेस वालों के लिये लालायित रहते हैं। यह बात तो अच्छी नहीं होती है।

माननीय राजाराम शास्त्री ने प्रेस को एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि ४९--५० की कमेटी की रिपोर्ट मैनडेटरी है। उनसे यह भी आशा की जाती थी कि उसके बाद जो गवर्नमेंट का दूसरा सरक्यूलर निकला था और उसमें कहा गया था कि यह रिपोर्ट मैनडेटरी नहीं है तो उसको भी वह एक सभ्य और भलेमानुस की तरह से व्यक्त करते। जो आज भ्रम पैदा होता है। किसी माननीय समस्य को या माननीय मंत्री जी को यह एक पोलिटिकल गेम है तो इसमें उनका दोष मालूम नहीं होता है, कोई बात गलत नहीं मालूम होती है। ऐसी परिस्थिति

में यह आन्दोलन हो रहा है कि मैं समझता हूं कि यह केवल देश के विरोध में हो रहा है और यह केवल प्रतिक्रियावादी आंदोलन है। ऐसे समय में जब देश के निर्माण की बात है, ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी शक्ति से दिन रात अथक परिश्रम करके खाने पीने की परवाह न करके देश के उत्पादन को बढ़ाना है। तो फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात कहां तक लाभदायक है। एक तरफ तो कहते हैं कि टैक्स न लगाओ, दूसरी कोई बात कहीं न करो लेकिन तनख्वाह बढ़ाओ। तो यह तो एक भूल है, प्रतिक्रिया है, देश को गड्ढे में झोंकना है। यह कोई प्रगतिशील बात नहीं है। यह कोई देश को आगे ले जाने वाली बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके साथ अब तक सबकी सहानुभूति है, जो अध्यापक अब तक हमारे सब के गुरू रहे हैं वह ऐसा करके उनके साथ जो सबकी हमदर्दी है उसे खो रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय जब शिक्षा के क्रम पर विचार होता है तो निश्चय ही आज जैसा हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा की नीति पर कोई बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण होना चाहिये था। असल में जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें बहुत कुछ दे दिया गया है लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से भी सुझाव आना चाहिये था।

मुझे एक बात कहनी है कि यह जो आन्दोलन चल रहा है, प्राइमरी शिक्षकों का वह आन्दोलन चाहे गलत हो चाहे सही हो लेकिन तनख्वाह का एक प्रश्न सामने रखा गया है। हमारे देश में सैलरी का, तनख्वाह का प्रश्न इतना अनआर्गेनाइज्ड है कि आज एक ही कैडर के लोग सेक्रेटेरिएट में कुछ तनख्वाहें पाते हैं, हाई कोर्ट में दूसरी पाते हैं और शिक्षा संस्थाओं में तीसरी पाते हैं। हाई स्कूल पास २०० पाता है तो एम० ए० पास १५० पाता है। तो अच्छा यह होगा मैं समझता हूं कि कोई ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ले कि यह तनख्वाह, सैलरी आर्गेनाइज्ड हो जाय और साथ ही साथ सरकार एक और भी स्टेप ले कि जो बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वह भी देश के निर्माण के काम में अपना योग दें। एक हजार रुपया या उससे ज्यादा पाने वाले जो हैं चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही हो लेकिन फिर भी उससे कुछ न कुछ तो बच ही सकता है। वह भी अवश्य किया जाय कि उनकी तनख्वाह कम की जाय।

यह भी कहा गया कि एजुकेशन के सिस्टम के संबंध में भी एक निश्चित रूपरेखा सामने उपस्थित होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उपस्थित है। युनिवर्सिटी एजुकेशन की जो बातें कही गईं और श्रम के संबंध की जो बातें कही गईं और इसी तरह की दूसरी बातें देश को आगे बढ़ा सकेंगी और बढ़ायेंगी।

हज कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि हज समिति के लिये जो रिक्त स्थान थे उसमें तीन सज्जनों का नाम आया है।

१—हकीम हबीबुर्रहमान

२—हकीम बशीर अहमद

३—श्री मंजूरुल नबी साहब

इसमें दो सज्जनों ने अपना नाम वापस ले लिया श्री हकीम हबीबुर्रहमान और हकीम बशीर अहमद ने। श्री मंजूरुल नबी साहब इस हज कमेटी के सदस्य चुन लिये गये।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान–अनुदान संख्या १९–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग तथा ३७–शिक्षा (क्रमागत)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय का प्रस्ताव पेश करता हूं। इसका उद्देश्य है वाद-विवाद करना।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप को प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान्, शिक्षा सम्बन्धी अनुदान में करीब साढ़े ८ करोड़ के खर्चा दिखाया गया है। इसमें करीब करीब आधा रुपया प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च होगा माध्यमिक शिक्षा के ऊपर लगभग १ करोड़ १६ लाख है। विश्वविद्यालय के ऊपर सरकारी और गैर सरकारी कालेजों के ऊपर कुल मिलाकर ७६ लाख २४ हजार रुपया दिखाया गया है। श्रीमान् जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि उनकी स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, उनके पास आ गयी है और पांच छै दिन से वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही सदन के सदस्यों के सामने रख दी जायगी। जहां तक प्रयाग विश्वविद्यालय का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको १ लाख रुपया और दिया गया है। १३ लाख रुपये की ग्रांट है और उसके अतिरिक्त १ लाख रुपया और दिया गया है। प्रयाग विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय है। उसके ऊपर २० लाख रुपये से ज्यादा कर्जा हो गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि किस प्रकार से वे प्रयाग विश्वविद्यालय की मदद करेंगे यह तो नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय को ऐसे आर्थिक संकट में छोड़ दिया जाय। मेरा अपना विचार है कि प्रयाग विश्वविद्यालय को जितना दिया जाता है, वह कम है। अगर उस को देखा जाय जब कि विश्वविद्यालय में केवल १६ सौ या १८ सौ विद्यार्थी थे, तो करीब करीब उतना ही दिया जा रहा है जब कि आज विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या छः हजार से ज्यादा बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ेगा कि चाहे वह प्रयाग का विश्वविद्यालय हो या और कोई विश्व-विद्यालय हो, उसको किस तरह से उचित रीति से सहायता दी जाय। यह भी मानना पड़ेगा और सदन यह स्वीकार करेगा कि विश्वविद्यालयों को ऐसी दशा में हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह वैसी ही जरूरी है जैसी कि प्रारम्भिक शिक्षा या सेकेंडरी स्कूलों की शिक्षा।

आज हम विश्वविद्यालयों से आशा करते हैं कि वहां से योग्य विद्यार्थी निकलेंगे जो हमारे राष्ट्रीय और विकास के कार्य में भाग लेंगे तो आवश्यक यह हो जाता है कि हम विश्व-विद्यालयों को सुचारुरूप से चलायें और उनको आर्थिक संकट से बचायें। इसी संबंध में मैं विश्व-विद्यालय के एटोनामी के प्रश्न पर भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहांतक एटोनामी का संबंध है मैंने पहले निवेदन किया था कि सरकार को यह अधिकार है कि अगर विश्वविद्यालयों की व्यवस्था गड़बड़ हो तो वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसमें हस्तक्षेप करें और उसको ठीक करें लेकिन श्रीमन् मेरा निवेदन है और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक सीमा रखी जाय और उस सीमा से आगे सरकार न बढ़े, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता भी एक विशेष स्थान रखती है और अगर उस स्वतंत्रता को तोड़ा गया या उसमें हस्तक्षेप किया गया तो उससे भी काफी नुकसान हो सकता है। आज यह भ्रम हो रहा है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस भ्रम को

दूर करें कि कुछ लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों को भी जैसे कि और सरकारी मुहकमे चलाये जाते हैं· उसी प्रकार से चलाया जाय। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति भी उसी प्रकार से करदी जाय लेकिन भ्रम लोगों में है और उनका यह विचार है कि अगर हस्तक्षेप की सीमा और बढ़ा दी जाय या अगर बढ़ाने का विचार हो तो हस्तक्षेप उस सीमा तक पहुंचेगा कि जिससे यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता में गड़बड़ी मचे। मेरा निवेदन है कि सरकार कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि यूनिवर्सिटीज के स्वतंत्र वातावरण में कोई इस प्रकार की बात आये। यूनिवर्सिटीज को अधिकार होना चाहिये कि जहां तक उनके कोर्स का संबंध है, जहां तक उनके शिक्षकों और प्रोफेसरों की नियुक्ति का संबंध है और जहां तक उनके रुपये खर्च करने का संबंध है उसमें उनको पूरी स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता आवश्यक है क्योंकि इस स्वतंत्रता से विश्वविद्यालयों का वातावरण स्वतंत्र रहेगा जिससे कि हमारे नवयुवक अच्छी तरह से अपनी बुद्धि और मन का विकास कर सकें। तो मैं यह निवेदन करूंगा हालांकि अभी पूर्णरूपेण वह प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी सरकार इस जनता के भ्रम को दूर करेगी। दूसरा प्रश्न जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह टेक्निकल स्कूलों के संबंध में है। आज टेक्निकल स्कूल इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंड के अन्तर्गत हैं। सरकार साढ़े आठ करोड़ इस शिक्षा पर खर्च कर रही है लेकिन जहां तक कि टेक्निकल स्कूलों का संबंध है वह शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

यह काफी गम्भीर विषय है। जहां तक मुझे पता लगा है, इस संबंध में कई साल पहले एक रिपोर्ट भी सरकार के सामने आई। केन्द्रीय सरकार के सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन ने यहां हमारे प्रान्त में बृटिश मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के दो एक्सपर्टस राबट और वुड भेजे थे और मेरा अनुमान है कि सन् ३६ में या उसके लगभग उनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है उसकी शिक्षा विभाग के साथ ही रहनी चाहिये। आज हमारे सामने बड़ी समस्या यह हो रही है कि जिस ढंग से विद्यार्थी निकल रहे हैं अगर उसी पर उनको छोड़ दिया जाय तो हमारे यहां के पढ़े लिखे हाई स्कूल पास विद्यार्थी जब निकलेंगे तो वह केवल मुहर्रिरी करने ही लायक होंगे और उसके अतिरिक्त उनमें और योग्यता नहीं होगी। यह आवश्यक हो जाता है कि उनको प्रारम्भिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ टेक्निकल शिक्षा भी दी जाय। मेरा अपना विचार है कि अगर कुछ हिस्सा टेक्निकल शिक्षा का शुरू ही में रख दिया जायगा तो वह उचित होगा और इस संबंध में काफी विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारी सरकार के सामने जहां विश्वविद्यालय का संबंध है, बूथम इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट की जांच चल रही है और कुछ काल के बाद उनकी भी रिपोर्ट आ जावेगी। मैं यह जरूरी समझता हूं कि जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सवाल है इसके लिये भी इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की जाय। कुछ साल पूर्व यह शिक्षा केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा ही होती थी लेकिन ५,६ बरस पहले सरकार की ओर से भी जिलों में स्कूल कायम किये गये और कुछ दिनों तक वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के साथ-साथ चले। लेकिन पिछले चुनाव के कुछ समय पूर्व वह स्कीम बन्द कर दी गई और सारी शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन कर दी गई। जिससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर काफी भार हो गया है और इस संबंध में देखने की जरूरत है कि कहां तक यह शिक्षा ठीक चल रही है।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)——उपाध्यक्ष महोदय, एक राज्य को चलाने के लिये ७ प्रमुख अंग होते हैं। उनमें कोष को बहुत महत्व दिया गया है। यदि राज्य के शेष ६ अंग दृढ़ भी हों और यदि राज्य का कोष निर्बल हो जाय तो वह राज्य चल नहीं सकता है। इस दृष्टि से बजट को बड़ा भारी महत्व प्राप्त हो रहा है और यह ठीक ही है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बार उदयपुर राज्य के पानी महल में गया था। वहां मैंने एक चित्र देखा। उस चित्र में यह खूबी थी कि सामने से देखें तो सिंह का चित्र प्रतीत होता

[श्री नरदेव शास्त्री]

था, दाहिनी ओर से देखें तो उष्ट्र अर्थात् ऊंट का चित्र प्रतीत होता था और बाईं ओर देखने से व्याघ्र अर्थात् शेर का चित्र दिखाई पड़ता था। ऐसा कुशल चित्रकार था वह जिसने उस चित्र को बनाया कि एक ही चित्र को तीन स्थान बदलने से तीन प्रकार का दिखाई पड़ता था। उसका कारण यह है कि "स्थान भेदात् दृष्टि भेद" अर्थात् स्थान के बदलने से दृष्टि का भेद हो जाता है। इसी प्रकार यह बजट जो हमारे सम्मुख आया है उसका स्थान भेद की वजह से नाना प्रकार का दिखलाई देने लगता है। हमारे सामने बैठे हुये भाइयों को और प्रकार का मालूम होता है, इधर के बैठे हुये भाइयों को और प्रकार का मालूम होता है और बाहर के बैठे हुये लोगों को जिनके सामने केवल समाचार पत्र होता है उनको और प्रकार का मालूम होता है, इसलिये बजट नाना प्रकार के स्थान पर नाना प्रकार का प्रतीत होता है। कोई वस्तु सर्वथा गुणयुक्त अथवा सर्वथा दोषयुक्त नहीं हुआ करती। गदहे में भी गुण होते हैं और सूर्य में भी दाग होते हैं यह सिद्ध हो चुका है। इसलिये इस दृष्टि से यह मानकर चलना चाहिये कि जो बजट आया है वह सर्वथा वेदवाक्य है और उसमें कामा और फुलस्टाप भी नहीं बदलने योग्य है और न हमारे सामने बैठे हुये भाइयों की तरह जिन्हें केवल दोष ही दोष दिखाई दें ऐसा नहीं होना चाहिये। इस बजट में बहुत सी त्रुटियां भी हैं, बहुत से दोष भी हैं और बहुत से गुण भी हैं। मैंने गत दो तीन दिनों में बजट की दो तीन बड़ी-बड़ी पोथियों को उलटा है और मुझे आश्चर्य हुआ कि खेती संबंधी बहस होती है, इंजीनियरिंग पर बहस होती है नाना विषयों पर नाना प्रकार की बहसें होती हैं लेकिन संस्कृत के विषय में कहने वालों में से एक भी व्यक्ति ने, न इधर के और न उधर के, कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि संस्कृत की उन्नति के लिये केवल संस्कृत कालेज बनारस को ८० हजार रुपये की ग्रांट देने के लिये लिखा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें एक भी शब्द नहीं है कि संस्कृत की उन्नति के लिये सरकार ने क्या किया है। हमारे शिक्षा मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि हमारे सूबे में संस्कृत के लगभग १२ सौ विद्यालय हैं और इन विद्यालयों की आजकल सरकार की अनवधानता के कारण वह दुर्दशा हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके विषय बढ़ा दिये गये हैं, अध्यापकों को बढ़ाने के लिये सख्ती हो रही है लेकिन फंड के लिये कोई इंतिजाम नहीं किया गया है। जमींदारी उन्मूलन हुआ, वह तो ठीक हुआ लेकिन जमींदारों के बारे में यह अवश्य था कि वे पाठशालायें खोलते थे, विद्यालय खोलते थे और उनकी ओर से सैकड़ों अन्न सत्र चलाते थे। केवल बनारस में ही २३ हजार विद्यार्थी इन सत्रों के कारण पलते थे जिनको एक वक्त भोजन वहां मिलता था और दूसरे वक्त दो पैसे, या कोई चना दे देता था या कोई कुछ दे देता था और इस प्रकार २३ हजार विद्यार्थी भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन वहां पर रहकर किया करते थे। लेकिन अब संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है यह ठीक है लेकिन उसकी पृष्ठ पर जब तक संस्कृत का वरदहस्त नहीं रहेगा तब तक वह राष्ट्रभाषा के रूप में भी नहीं चल सकती। संस्कृत हिन्दी के लिये अक्षय भंडार है। अभी एक पत्रिका संस्कृत की निकलती है "संस्कृत विज्ञान प्रचारकम्" उसने एक लेख लिखा था कि विधान सभा में नरदेव शास्त्री हैं, सीताराम शुक्ल हैं, और बहुत से शास्त्री लोग हैं लेकिन कोई भी संस्कृत के विषय में कुछ नहीं करते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं। यहां तो संस्कृत के लिये केवल ८० हजार रुपये रखे गये हैं। आठ और नौ करोड़ के शिक्षा के बजट में केवल ८० हजार एक संस्कृत कालेज की उन्नति के लिये दिया गया है और इसके सिवा और एक पाई भी नहीं है। यह तो हमारी संस्कृति की दशा है, संस्कृत की बहुत ही बुरी दशा है। हमें मालूम होता है कि जो संस्कृत अनन्त काल की परम्परा से हमारी और हमारे भारतवर्ष की रक्षा करती चली आ रही है, जिसने हमारी रक्षा की है वह बिल्कुल नष्ट हो जायगी। ऐसी हमें चिन्ता होने लगती है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह इस ओर अपना ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि अभी थोड़े ही मास हुये जब कि बनारस में एक संस्कृत विश्व परिषद् हुई थी। इस परिषद् में यह बात आई थी कि शीघ्र ही बनारस में एक संस्कृत का विश्व-

विद्यालय की स्थापना होगी। बनारस वाले क्या बात करते हैं और लखनऊ वाले क्या बात करते हैं। हमें देखना तो यह है कि हमारे यह विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें आज संस्कृत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि ८–१० विश्वविद्यालय और भाषाओं के खुल जायेंगे तो संस्कृत का भी उद्धार होगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज इतने व्याख्यान खेती-वाड़ी वगैरा पर देते हैं और संस्कृत जिसके सहारे हमारी संस्कृति विद्यमान है, हमारे वेद शास्त्रों की परम्परा विद्यमान है और हमारे धर्म की परम्परा विद्यमान है, हमारे भारतवर्ष का नाम उज्वल है और हमारी जाति बची हुई है, उसकी तरफ हमारी सरकार की यह हालत देख कर हमें बड़ा आश्चर्य होता है.....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—वह रुपया इसी विश्वविद्यालय के लिये है।

श्री नरदेव शास्त्री—यह रुपया तो बहुत ही थोड़ा है। और फिर विचित्र बात तो यह है कि मैं तो इससे आश्चर्य में पड़ा रह गया कि संस्कृत की इतनी बड़ी परिषद् हुई और उसका सभापति कोई महामहोपाध्याय या कोई संस्कृत का महान् विद्वान् न होकर एक ऐसा व्यक्ति सभापति हो गया जिसको संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है। यह संस्कृत के पंडितों की अवहेलना नहीं है तो क्या है। फिनलैण्ड से एक अंग्रेजी का विद्वान आया था उसने १५ मिनट तक बराबर संस्कृत में व्याख्यान दिया और बाकी सब हिन्दी में बोले। मैं समझता हूं कि संस्कृत के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है मैं समझता हूं कि हमारी पंचवर्षीय योजना से भी ज्यादा इसका महत्व है।

हमारे स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में यहां लड़कों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है सही। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस बात को मानता हूं। आज हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा और न जाने क्या–क्या नाम हैं जिनके लेने में कठिनाई होती है। इन स्कूलों से जो आज विद्यार्थी निकलते हैं वह साक्षर होकर निकलते हैं। अगर साक्षर को उल्टा कर दिया जाय तो राक्षस बनता है। अगर यह राक्षस बन कर निकलेंगे तो कांग्रेस की जड़ पर ही कुठाराघात करेंगे और उस दशा में इधर–उधर के मेम्बरों का यहां बैठना मुश्किल हो जायगा। जिनमें धर्म नहीं, नीति नहीं वह क्या करेंगे।

माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि क्या गीता स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है। बम्बई में एक विद्यालय में ऐसा हुआ कि इंसपेक्टर ने शिकायत की कि इस स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, इसकी ग्रांट बन्द कर दी जाय। हम गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, ऊंचे तत्त्व की बातें नहीं पढ़ा सकते है तो मैं नहीं समझता कि फिर हम इनको राक्षस बना कर क्या करेंगे। इसलिये अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत की तरफ आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जहां तक मैं उद्देश्य समझा हूं वह यह है कि एक विद्यार्थी अपने राइट को ठीक तरह से समझ सके, वह अच्छा नागरिक बन सके, वह गृहस्थी का काम धन्धा अच्छी तरह से चला सके और अपनी जिन्दगी के साधनों को मुहय्या कर सके। और अपने समाज के लिये कल्याणकारी हो सके। लेकिन इस कल्याणकारी राज्य में विद्यार्थी इतने निकम्मे होते चले जा रहे हैं और पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना लो होता चला जा रहा है कि वह अपनी रोजी के लिये कुछ काम नहीं कर सकते। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वह पढ़ाई ऐसी हो रही है कि जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकलते हैं, उन्हें जो प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है वह सब व्यर्थ चला जाता है। रोजाना विषय बदलते रहते हैं और उन विषयों के बदलने से मां-बाप का रुपया भी अधिक खर्च होता है। विषय अधिक होने से विद्यार्थी पर बोझा इतना अधिक पड़ जाता है कि वह स्कूल तक जाने से थक जाता है और

[श्री हरिप्रसाद]

कुछ दम लेने के बाद मास्टर साहब भी उन्हें क्या पढ़ाते हैं यह देखने की वस्तु है। बाबू सम्पूर्णानन्द के समय में जो पाठशालायें देहातों में खोली गई थीं तो कहीं लड़के नहीं हैं और कहीं मास्टर नहीं हैं। अगर कहीं अध्यापक और लड़के दोनों हैं तो पढ़ाई वहां क्या होती है। उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाता है। पंडित जी उनको यह काम सिखाते हैं मानों पंडित जी के यहां यह काम होता हो और वह मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा सकते हों। गवर्नमेंट को चाहिये कि पंडित जी के बजाय गांव से एक कुम्हार बुला कर उसे नौकर रख लिया करे, अपना चाक लेकर वह स्कूल में उन बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छी तरह से सिखा सकता है और तनख्वाह भी कम ही देनी पड़ेगी। चुनार में टी पाट अच्छे बनते हैं लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन नहीं देती।

इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में तकली कातना सिखाया जाता है। जो लड़के रुई कातते हैं आधी उसमें से खराब करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उस सूत को बुनने का कोई इन्तजाम नहीं है। वह सूत इस तरह से खराब होता है। जब वह बुना नहीं जाता तो वे लड़के उसे ले जाकर घर छोड़ देते हैं। इससे न सरकार को ही फायदा होता है और न लड़के ही कुछ सीख पाते हैं।

गांव में कुछ स्कूलों में खेती करना भी सिखाया जाता है। इन प्राइमरी स्कूलों में ज्यादातर गांवों के लड़के ही पढ़ते हैं। गांव की जो जनसंख्या आज कल है वह ५,४५,०९,०४३ है। गांवों की संख्या १,११,७२२ है और इन प्राइमरी स्कूलों में सब से ज्यादा लड़के गांवों के ही पढ़ते हैं और इन स्कूलों में बच्चों को तकली कातना और मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाता है। अगर उनको खेती का काम सिखाया जाय जो काम उनके यहां रात दिन होता है, जो उनका पुस्तैनी पेशा है लेकिन वह उनको सिखाया नहीं जाता और कहीं सिखाया जाता भी है तो एक डेढ़ बीघा खेत उनके स्कूल को दे दिया जाता है उसमें उनको चुकन्दर और मटर की फलियां बोना सिखाया जाता है लेकिन वह न चुकन्दर बोना सीख पाते हैं और न मटर की फलियां बोना। चुकन्दर बोते बोते वह चुकन्दर ही हो जाते हैं। शहरों में जो गांवों के लड़के पढ़ने आते हैं वह सीखते हैं फैशन बनाना, सिनेमा देखना, नुमाइश देखना। नतीजा यह निकलता है कि वह देहात में जाकर न वह देहाती जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और न अपने मां बाप का कोई भला कर सकते हैं। शहरों के लड़के भी इसी तरह से अपने मां बाप का कोई भला नहीं कर पाते। स्कूलों में जो बातें सिखाई जाती हैं उनमें हाथ से काम करने की चीजें नहीं सिखाई जातीं ऐसी हालत में वे लड़के दरवाजे दरवाजे नौकरी तलाश करते फिरते हैं और हर जगह से उन्हें जवाब मिल जाता है कि हमारे यहां नौकरी नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलती तो भूख की ज्वाला को वह कहां से बुझा सकता है और घर वाले भी उसे कब तक खर्चा दे सकते हैं। ऐसी हालत में शिक्षा मंत्री जी को उन्हें कुछ काम सिखाने की योजना करना चाहिये, लकड़ी का काम सिखाया जाय, खेती क्यारी का काम सिखाया जाय जिससे वह उनके कुछ काम आ सके। गांवों में जो काम होते हैं उन्हें वे आसानी से सीख सकते हैं, और कर सकते हैं। अगर वे ऐसे कामों को सीख जायेंगे तो उन्हें दफ्तर दफ्तर मारे मारे फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव के प्राइमरी स्कूल में अगर लुहारी का काम सिखाया जाय तो गांव का जो लुहार का लड़का है वह उसे आसानी से सीख सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उसे अच्छी शिक्षा न दी जाय लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस काम को वह हमेशा से करता चला आया है उसमें वह आसानी से अच्छी तालीम पा सकता है और अच्छे से अच्छा काम भी कर सकता है तथा उस काम को वह हमेशा से जानता है और करता चला आया है। उस काम को वह अच्छी तरह से सीख सकता है, कर सकता है।

इसी तरह से तकली का जो काम है वह जुलाहों और कोरियों को दिया जावे,

वे स्वयं सीख कर और लोगों को सिखायें। सरकार की ओर से ऐसा प्रयत्न तो किया नहीं जाता तथा और और कामों में रुपया खर्च कर दिया जाता है। गांवों के लड़के कालेजों में भेज दिये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि वे मारे मारे फिरते हैं। उनकी पढ़ाई का दुरुपयोग होता है, मां-बाप का पैसा बरबाद होता है,. उनका, चालचलन, खराब होता है और आखिर में बेकार मारे मारे फिरते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गांवों के प्राइमरी स्कूलों में गांवों के माफिक शिक्षा दी जाय।

रही सब्जेक्ट्स की बात। वह तो इतने रख दिये गये हैं कि अगर १ सेर का लड़का है तो ९ सेर का बोझ उसके ऊपर किताबों का रख दिया गया है। जितना बड़ा लड़का नहीं है उससे ज्यादा उसके ऊपर सब्जेक्ट्स लाद दिये गये हैं। जब किताबों को लाद कर गांव से स्कूल पहुंचता है तो बच्चा हांफ जाता है, वहां जाकर दम लेता है। थोड़ी देर इधर उधर करके शाम को घर आता है पर सीख कुछ भी नहीं पाता और इधर मां-बाप का काम भी कुछ नहीं कर पाता।

दूसरी तरफ अध्यापकों की समस्या भी चल रही है। सरकार कहती है कि अध्यापक खेती कर लेते हैं और इसी वजह से उनको कम तनख्वाह दी जाती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कितने मास्टर अपने घर के करीब रहते हैं और कितने मास्टर अपने घर से दूर। जो मास्टर अपने घर से दूर रहते हैं या पढ़ाते हैं वे खेती कैसे कर सकते हैं? खेती नहीं कर सकते। फिर उनके खाने पीने के लिये उनको चाहिये ही, अगर उनको कुछ चीज चाहिये तो फिर उनकी तनख्वाह भी वैसी ही होनी चाहिये। इस नौकरी में कोई मास्टर भर पेट नहीं खा सकता, अपने बालबच्चों को नहीं खिला सकता, बीमारी में उनकी दवादारू नहीं कर सकता। इसलिये सरकार को उनकी आवश्यकताओं पर अवश्य कुछ ध्यान देना चाहिये। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वे किसी काबिल बन सकें तो उसको वैसा ही काम करना चाहिये जिससे वे इस काबिल हो सकें।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बालक का विद्यार्थी जीवन प्रारम्भिक पाठशालाओं से ही प्रारम्भ होता है और जितने गुण किसी मनुष्य में होते हैं वे उसमें बचपन से ही बीजरूप अन्तर्निहित होते हैं जो अनुकूल वातावरण पाकर विकसित और प्रस्फुटित होते हैं। ब्रिटिश शासन काल में प्रारम्भिक पाठशालाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था लेकिन जब से हमारी कांग्रेस सरकार ने शासन की बागडोर संभाली उसका ध्यान इस ओर गया और उसने प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ४६ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बहुत कम अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता था लेकिन अब पहले के मुकाबले में साढ़े तीन करोड़ रुपया ज्यादा दिया जाता है और सरकार के इसी प्रयत्न के फलस्वरूप प्रदेश में कितनी ही पाठशालायें खोली गई हैं। और जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे उन्हें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अवसर मिला। लेकिन जिस वातावरण की आवश्यकता प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिये है उस वातावरण को उत्पन्न करने में हम सफल हुये यह नहीं कहा जा सकता। अगर केवल रिपोर्टों के आंकड़े देखें कि कितनी प्रारम्भिक पाठशालायें खुलीं तब तो थोड़ा बहुत संतोष हमें होगा लेकिन अगर हम पाठशालाओं की स्थिति देखें तो पाते हैं कि न तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये ब्लैक बोर्ड्स हैं, न नक्शे हैं, न मेज है, न कुर्सी है और न अन्य साधन ही हैं। कई पाठशालाओं में तो तीन तीन दर्जों के विद्यार्थी और दो दो अध्यापक एक ही कमरे में पढ़ते पढ़ाते हैं। वे क्या पढ़ पाते होंगे, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। कहीं स्कूल है तो उसकी छत नहीं है कहीं इमारत अधबनी पड़ी है, कहीं छत गिरनेवाली है। जब तक ऐसी हालत रहेगी तब तक प्रारम्भिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को जैसी शिक्षा मिलनी चाहिये नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत

[श्री गोवर्धन तिवारी]

अच्छी नहीं है, साधन सीमित हैं जिसकी वजह से वे अच्छी इमारतें नहीं बना सकते, ब्लैक बोर्ड्स, फर्नीचर, नक्शे वगैरह भी मुहय्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार को इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिये कि चाहे जैसे भी हो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अधिक से अधिक अनुदान दे। बार बार यह कहा जाता है कि अपने सीमित साधनों के कारण वह न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर सकती है और न इससे ज्यादा अनुदान ही बोर्डों को दे सकती है। यह बात सही है कि अगर हम सन् १९४६ व ५३ के आंकड़े देखें तो चाहे वेतन के रूप में हो, चाहे अनुदान के रूप में उसमें काफी अन्तर मिलेगा। सवाल यह नहीं है कि सन् ४६ और ५३ के दौरान में कितनी वृद्धि हुई बल्कि सवाल यह है कि जिस समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिस समाज के ढांचे को हम बनाना चाहते हैं उसकी मंजिल के कितने नजदीक हम पहुंचे हैं। हमने बार बार कांग्रेस के प्रस्तावों के जरिये इस बात को कहा है कि हम अपने मुल्क में आर्थिक विषमता को कम करना चाहते हैं। हम देखें कि चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी उनकी वैतनिक विषमता को कम करने में हम कितने सफल हुये हैं और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के नजदीक कितना अधिक हम पहुंच पाये हैं। यह सही है कि अगर हम समाज के मौजूदा ढांचे को बनाये रखना चाहते हैं, समाज का जो आर्थिक ढांचा है उसमें कुछ चिकतियां लगा कर सुराव करना चाहते हैं तो न सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अधिक और अनुदान दे सकती है न छोटे कर्मचारियों के वेतन को ही बढ़ा सकती है। यदि सरकार चाहती है कि इनका वेतन बढ़े तो उसे चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को और अधिक अनुदान दे। अगर हम चाहते हैं कि प्रारम्भिक पाठशालाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे तो यह तभी हो सकता है जब कि हम मौजूदा आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करें। अपने सम्पूर्ण आर्थिक ढांचे को बदलें और उसमें इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन लावें कि जिससे मालूम हो कि लोगों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आये दिन यह कहा जाता है कि अगर ऊंचे वेतन वालों का वेतन कम कर दिया जाय तो उससे आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती है। यह सही है लेकिन हमारे मंत्रिगण ने भी जब अपने वेतन को कम किया था तो उससे भी कोई ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। हमारी कांग्रेस का एक उसूल रहा है और अपने उन उसूलों को सामने रख कर ही हम कोई काम करते हैं इसलिये चाहे हमें आर्थिक रूप में अधिक लाभ न हो पर ऊंचे वेतनों को कम करना ही चाहिये। हमारे सामने प्रश्न केवल ऊंचे वेतनों को कम करने का नहीं है बल्कि समाज के समूचे आर्थिक ढांचे को बदलने का है। चाहे सरकारी नौकरों के वेतन में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, सभी दिशाओं में समान रूप से तब्दीली होनी चाहिये। आज चाहे हमने जितना भी परिवर्तन किया हो लेकिन स्थिति यह है कि जहां ४० और ५० रुपये वेतन पाने वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और सरकारी कर्मचारी हैं वह सैकड़ों हजारों और लाखों रुपये की आमदनी वाले लोग भी मौजूद हैं। इसलिये जब तक हम इस आर्थिक विषमता को कम नहीं कर लेते तब तक हम नया वातावरण अपने प्रदेश में पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम परिवर्तन लायें और ऊंचे वेतन पाने वालों का वेतन कम करें और जिन लोगों को कम वेतन मिलता है उनको कुछ अधिक दें तो इससे संतोष पैदा होगा। धनाभाव-जनित जितनी तकलीफें और मुसीबतें होंगी वह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक न्यूनाधिक रूप में सब में बट जायेंगी। इससे शान्ति होगी और जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं वह अच्छा होगा और उसमें हमको सबका सहयोग प्राप्त होगा। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह वर्तमान समाज के ढांचे को बदलना चाहती है और मुझे विश्वास है कि वह ऐसा चाहती है क्योंकि कांग्रेस ने बराबर इस प्रकार

उत्पादन का पूंजीवादी ढांचा है उसके अन्दर परिवर्तन लाना होगा तो वह इसको बदलने का प्रयत्न करेंगे। जब तक हम उत्पादन वितरण की पद्धति जो गतिशील नहीं है और समाज को आगे नहीं ले जा सकती है बदलेंगे नहीं, तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है।

प्रारम्भिक पाठशालाओं के सम्बन्ध में यह सुना जा रहा है कि उसके पुनसंगठन की एक योजना सरकार के सामने है। मुझको यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त योजना के अनुसार जो नजदीक की पाठशालायें हैं उनको तोड़ दिया जायगा। अगर ऐसा किया जायगा तो उनकी तादाद कम हो जायगी और साथ ही अध्यापकों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो यह देश के लिये हानिकर होगा। हमने जनता के सामने शिक्षा प्रसार की योजना रखी है फलस्वरूप बहुत जगहों पर वहां की जनता ने स्वयं अपना बहुत सा धन लगा कर इमारतें बनवाई हैं और स्कूल खड़े किये हैं। अगर अब हम कहें कि अमुक स्कूल बन्द कर दिये जायंगे तो इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी और हमारे प्रतिकूल होगी। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई ख्याल ऐसा हो तो वह लाभप्रद नहीं होगा। हमको तो ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि यदि और अधिक स्कूल न भी खोल सकें तो कम से कम जो इस समय हैं उनको तो कम नहीं ही करें।

राजकीय पाठशालाओं के बारे में जो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने धन इकट्ठा करके इमारतें बनाई हैं और इस प्रकार बहुत सी इमारतें बनीं लेकिन सरकार ने राजकीय पाठशालाओं की इमारतों के लिये जो एक हजार रुपया देने का वादा किया था वह सब नहीं दिया। अल्मोड़ा जिले में २१७ पाठशालायें ऐसी हैं जिनको रुपया नहीं मिला। किसी इमारत की अगर छत रह गई है तो रुपया न मिल सकने के कारण वह इमारत वैसे ही पड़ी हुई है और खराब हो रही है। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और लोगों ने इस भरोसे पर कर्जा लेकर उन पर खर्च कर दिया है कि सरकार से उनको रुपया मिलेगा लेकिन उनको सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। उनके ऊपर इस प्रकार का जो कर्जा है उसको वह अदा नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो राजकीय पाठशालायें बन चुकी हैं अथवा अधबनी हैं और जिनको धन देने का सरकार ने वायदा किया था उनको वह रुपया दे दिया जाय। उच्च माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के लिये इन्डाउमेंट फंड में १५ हजार रुपया जमा करना लाजमी है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि देहाती क्षेत्रों में रुपया इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। जब तक लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होता तब तक अपने पास से इन्डाउमेंट फंड में इतनी बड़ी रकम जमा करना आसान नहीं है। अगर कोई अपने इलाके में अपने खर्चे से विद्यालय की इमारत, छात्रावास तथा लाइब्रेरी बनाते हैं तो उनके रास्ते में यह रुकावट नहीं होनी चाहिये कि १५ हजार रुपया जमा करने पर ही स्कूल को मान्यता दी जायगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब हमारी नीति शिक्षा प्रसार की है तो मान्यता के लिये उसे १५ हजार रुपये की रुकावट हटा देनी चाहिये। अगर सारे प्रान्त के लिये ऐसा कर दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि इस रुकावट के हटने से शिक्षा का ज्यादा प्रसार होगा और अगर सारे प्रान्त के लिये इसकी आवश्यकता न समझी जाय तो कम से कम पहाड़ी जिलों में जो अभावग्रस्त हैं और अभी अर्से तक अभावग्रस्त रहने के जिनके आसार हैं, इस शर्त को जरूर हटा दिया जाय।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है जिला अल्मोड़े में वह घटी है। सन् १९५१ की मर्दुमशुमारी के हिसाब से सन् १९४१ में ४ प्रतिशत और अब केवल ३ प्रतिशत सन् ५१ में साक्षर स्त्रियां वहां हैं। इसलिये लड़कियों की शिक्षा की ओर वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सालाना बजट के पेश होने के मौके पर यह उम्मीद की जाती थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारी उस तवक्को को पूरा करेंगे जो बहुत दिनों से पब्लिक करती चली आ रही थी और जो चीज इंडियन यूनियन के मिनिस्टर साहब और प्रेजीडेंट साहब ने तसलीम की है कि मौजूदा को तर्जेतालीम यहां का है वह मुनासिब नहीं है लेकिन बहुत ही अफसोस है कि इस सिलसिले में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपनी किसी वाजे पालिसी का इजहार नहीं किया और उन्होंने अपनी तकरीर में ज्यादातर टीचर्स के स्ट्राइक पर ही जोर दिया और यह वाकया है कि इस मौके पर टीचर्स का जो तरीकेअमल है वह मुनासिब नहीं है और मंत्री जी ने जो दलायल इस सिलसिले में हमारे सामने रखे वह निहायत अच्छे थे और उनके बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह जाती और मैं समझता हूं कि उनको सुनने के बाद हर एक को मुतमईन हो जाना चाहिये। उन का तरीके अमल जो कुछ भी है वह स्टेट के लिये मुफीद है या न हो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन की बाज मांगें ऐसी जरूर हैं कि हमारी सरकार को उन पर तवज्जह करना चाहिये। इसलिये कि यह जो टीचर्स की तरफ से मांगे की जा रही हैं और जैसा कि खुद शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया कि बहुत से अजला में उनकी तनख्वाहें तीन तीन महीने में मिलीं और कहीं कहीं फिर भी बाकी हैं। इस मामले में यह बहुत ही जरूरी है कि सरकार खास तौर से तवज्जह करे क्योंकि यह हम सब ही जानते हैं कि टीचर साहबान जो इस काम को करते हैं वह एक ऐसा इरादा है कि जो बहुत ही जरूरी है, उन का जरियामाश इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिये इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट बहुत ही हमदर्दी के साथ उनके मसायल पर गौर फरमाये। उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों को गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि जिन में ऐसा हो रहा है, मैं खुद अपने प्रमरोहा में देख रहा हूं कि वहां प्राइमरी एजूकेशन देने वाले बेचारे टीचर्स की तीन तीन महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जनाबवाला, आप खुद ख्याल फरमा सकते हैं कि आज जब कि इतनी गिरानी है उस हालत में किस तरह से वह लोग जिन के ऊपर आप की आने वाली नेशन की तरक्की मुनहसर है अपने फरायज को अन्जाम दे सकते हैं और इस पर भी अगर उन से यह उम्मीद की जाती है कि वह जिम्मेदारी जो उन पर हमारी सरकार ने डाल रखा है उस को वह पूरा करेंगे और अपने इस अहम फर्ज को अंजाम देंगे तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सरकार इस मसले पर फौरन गौर करे।

जहां तक हमारे मौजूदा तरीके तालीम का ताल्लुक है उसके नाकिस होने के बावजूद भी इस मौक़े पर सरकार की तरफ से किसी नई पालिसी का इजहार नहीं किया गया है और कहा गया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिये उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस बात से मुत्तफिक़ हैं कि जो तरीका तालीम यहां इस वक्त रायज है वह अपने मुकाम पर ठीक नहीं है। चन्द साल पहले हायर सेकेन्डरी एजूकेशन की नई स्कीम आई और इसमें भी शक नहीं कि हमारी सरकार ने जितनी तौसी उसमें की वह काफी है और पिछले साल से इस बजट में भी इजाफा किया है और बहुत से प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खोले गये हैं लेकिन आजकल जो कैरिकुलम रायज है वह इतना नाकिस, मुबहम और खराब है कि उस से न तो एजूकेशन के हाई आफिसर, न अध्यापक न गारजियन्स न तुलबा मुतमईन हैं इसलिये हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि जहां तक

हो सके हमारी सरकार इसकी तरफ तवज्जह करे कि वह सही पालिसी पर पहुंच कर उन नक़ायस को जल्द अज जल्द दूर करे जो हमारी तालीम में पाये जा रहे हैं। इसीलिये जो तालीम हो रही है उस से जो तुलबा निकलते हैं वह अपने मकान पर सही तालीम लेकर नहीं निकलते जिससे अनएम्पलायमेंट बढ़ता चला जा रहा है और उस की वजह से सूबे पर बहुत काफी असर पड़ता है।

इस में कोई शुबहा नहीं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी काफी तरक्की की कोशिश कर रहे ह लेकिन जहां वह तरक्की की कोशिश कर रहे हैं मैं यह देखता हूं कि वहां ट्रेंड टीचर्स की कमी को इतना महसूस नहीं किया जितनी की वाकई हो रही है। हर जगह प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि क्या वह मुतमईन हैं कि जैसी तादाद स्कूलों की बढ़ रही है, तुलबा की बढ़ रही है, उसी सूरत से क्या हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम रायज कर रही है जिस से वह टीचर्स जो ट्रेंड नहीं हैं वह ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो सकें। मुझे अफसोस है कि सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जाता है और वाकया भी यही है कि सरकार के पास इतने फंड नहीं हैं कि वह इतनी जल्दी इतने ट्रेनिंग स्कूल खोल सके। लेकिन अगर कोई स्कीम ऐसी पेश की जाती है कि जो असातज़ा की ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेंड कर दिया जाय और बगैर किसी फंड के स्कूल जारी कर दिये जायं तो हमारा एजूकेशन डिपार्टमेंट बजाय इसके कि उन स्कीमों को एनकरेज करे, वह डिस्करेज करता है।

मुझे मालूम है कि अमरोहे की तरफ से एक ऐसी स्कीम पेश की गयी थी जिस में यह बताया गया कि बगैर किसी मज़ीद ग्रांट के, बगैर गवर्नमेंट का एक पैसा लगे हुये टीचर्स को ट्रेंड किया जा सकता था और इस का तजुर्बा अमरोहे में हुआ भी। जो स्कीम हमने रखी थी उस के मातहत एक साल के अर्से में काफी तादाद टीचर्स की ट्रेंड हो गयी, लेकिन आगे चल कर गवर्नमेंट ने उस स्कीम को पसंद नहीं किया।

मुझे यह बतलाया जा रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसलिये मैं एक खास मसले पर शिक्षा मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा। जहां तक उन्होंने तालीम की तरक्की के लिये और जरिये अख्तियार किये हैं, जहां उन्होंने और जरूरी स्कीमें नाफिज की हैं वहां साइंटीफिक एजूकेशन की तरफ उनकी तवज्जह कम मबजूत हुई है और अमरोहे की ६५,००० की आबादी में एक भी साइंटिफिक स्कूल नहीं है। वहां के एजूकेशन आफिसर ने भी रिकमेंड किया कि वहां एक साइंटिफिक कालिज की जरूरत है और इस सिलसिले में यह जवाब दिया गया कि चूंकि फंड नहीं है, इसलिये कोई साइंटिफिक स्कूल नहीं खोल सकते। मैं अपनी सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा कि सन् १९०४ में १८,००० रुपया पब्लिक फंड में जमा किया गया था अमरोहे की तरफ से और वह स्कूल फंड में रखा गया है जो सर्फ में नहीं आ रहा है। वह अमरोहे की पब्लिक ने जमा किया था। अगर वह रुपया किसी पब्लिक स्कूल को दे दिया जाय, जहां कोई कमेटी हो या कोई इंतजाम किया जाय तो अमरोहे में ३ स्कूलों में से एक स्कूल जरूर साइंटिफिक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी इन चीजों की तरफ खास तवज्जह फरमायेंगे और आइंदा बजट में इसका इतमिनानदेह जवाब देंगे कि उन्होंने इस तरफ तवज्जह की और जो हमारे नकायस थे वह दूर हो गये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिये कितना समय है, क्योंकि मेरा कटमोशन है।

श्री उपाध्यक्ष---आप शुरू कर दीजिये। १० मिनट आप को मिलेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल—बस, थैंक्स ।

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने मंत्री महोदय को, उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को और इस विभाग के लरनेड और योग्य कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी मेहनत से ऐसा बजट आज सामने आया ।

उसके बाद मैं अपने विरोधी पार्टी के नेता साहब से सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि एक उर्दू का शेर है:

"वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं,
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में ।"

आप मुखालफत करते हैं, मगर खैर, मौका तो मिल जाता है आपकी बातों का जवाब देने का, अगर आप कुछ न कहते तो जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी आपने व्याख्यान दिया और सजेस्शन दिया और बहुत सी शिकायत की। मेरा खयाल था कि ऐडजर्नमेंट मोशन आया है उन अध्यापकों की हड़ताल पर या बजट पर स्पीच हो रही है। फरमाया क्या। रुपये की शिकायत कैसे करते हो ? अभी अभी किताबें छापी गई हैं। करीब आठ हजार रुपये का मुनाफा हो गया है और ज्यादा किताबें छपतीं तो ज्यादा मुनाफा होता। यह कहना भूल गये कि सरकार चाय की दूकान करले, उसमें फायदा हो सकता है। हुजूरवाला, बिजिनेस करने में फायदा होता है। लेकिन बदकिस्मती से तजुर्बा यह है कि सरकार जो बिजनेस करती है उसमें उसको घाटा होता है । डेरी फार्म के बारे में कई शिकायतें हुईं कि सरकार को उसमें घाटा हो रहा है। कुछ मिलें खोली गयीं, उनका हिसाब किताब देख कर बन्द करना पड़ा। तो बड़ी दिक्कत पड़ती है। जितनी मेहनत से लोग अपने काम को करते हैं उतनी मेहनत से पंचायत का काम नहीं करते।

अपने व्याख्यान के दौरान में बड़ी हमदर्दी जाहिर की अध्यापकों के साथ, आदरणीय प्रतिष्ठा के काबिल, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। और क्या कहना है। क्या क्या बातें फरमा दीं। लेकिन यह भूल गये कि यह प्रतिष्ठा करना, यह उनकी इज्जत करना, उन्हीं के व्याख्यान के खिलाफ जा रहा है। अजीब दिल्लगी है कि जब हमारे राष्ट्रपति ने काशी के पंडितों की पूजा की, प्रतिष्ठा की तो सवाल यह किया गया कि यह कैसे हो गया। यह पूजा कैसी, यह पाठ कैसा। अखबारों में लेख निकले कि यह क्या हो रहा है। सेक्यूलर स्टेट है, यह पूजा कैसी। एक तरफ अगर राष्ट्रपति पंडितों की पूजा करते हैं तो सेक्यूलर स्टेट के खिलाफ बात हो जाया करती है। और वही जब अध्यापक हंगर स्ट्राइक करते हैं तो वही बात खुद करते हैं अपनी ही बात के विपरीत बात करते हैं। जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिये। यहां लोग बैठे हुये हैं। उनकी बातों को सुनते रहते हैं।

कहा गया कि शिक्षा बढ़ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अनुशासनहीनता भी बढ़ती जा रही है, उच्छृंखलता भी बढ़ती जा रही है। जो बच्चे गुरुओं की आज्ञा मानते थे, उनकी प्रतिष्ठा करते थे, आज उनकी इज्जत नहीं करते। जो अध्यापकगण विद्यार्थियों को अपने बच्चे समझते थे, अपने बच्चों की तरह पढ़ाया करते थे उनमें वह प्रेम नहीं रहा। आजकल जो शिक्षा हो रही है उसमें एक तरफ अंग्रेजी का पांडित्य आ रहा है लेकिन दूसरी ओर उनका ध्येय यह है ईट ड्रिंक ऐंड बी मेरी। इसको संस्कृत के शब्दों में यदि कहा जाय तो । जब तक जियो खुशी से जियो, चैन से जियो, हर लो, छीन लो और सुरा पियो। यह पढ़ाने का नतीजा क्या हो रहा है। यह नहीं कि दूसरों की सेवा करें , परोपकार करें। जहां पर एक ओर अक्षर ज्ञान पैदा हो रहा है, कई जबानों में अखबार पढ़ सकते हैं, वहां

दूसरी ओर शिकायत है कि धर्म की भावना कम होती जा रही है। जरूरत है कि धार्मिक शिक्षा भी हम दें ताकि हमारे यहां विद्वान भी निकलें और चरित्रवान् भी निकलें। शास्त्रों में कहा है :

वह विद्वान् नहीं है जो अक्षर जानता हो, दरजा पास कर लिया हो। विद्वान वही है जो चरित्रवान् भी है। उसके बारे में बुजुर्गों ने यहां तक बतलाया है कि वह विद्वान् जो चरित्रहीन है वह ऐसा ही है जैसे गधे के ऊपर चन्दन लाद दिया हो। गधा जानता है कि हम बोझा लिये जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं जानता कि क्या लिये जा रहे हैं।

मेरी प्रार्थना है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा भी हो। अच्छी बातें बतलायी जायं। इसके लिये जरूरी है कि विद्वानों की पूजा हो। अगर हम पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी की राय से सहमत हूं कि पैसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बराबर चाहती है कि पैसा दे। कौन चाहता है कि हमारे भाई तकलीफ में रहें, कौन चाहता है हमारे अध्यापक उपवास करें, हंगर स्ट्राइक करें, हम जानते हैं कि उनको परेशानी है, दिक्कतें हैं मगर दूसरी तरफ यह भी ख्याल करते हैं कि दें कहां से ? बजट आपके सामने है, टैक्स लेना भी ठीक नहीं, बजट में पैसा भी नहीं है तो दे कैसे सकते हैं? मगर मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि शेखी भी करना ठीक नहीं। अगर हम किसी को भीख नहीं दे सकते तो उसकी तुमड़ी तो न फोड़ें। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमदर्दी तो है, आंसू तो हैं। पैसा तो हम देना चाहते हैं और देंगे। जैसे ही पैदावार बढ़ी, पैसा भी बढ़ेगा और पैसा आयेगा तो हम जरूर देंगे। मैं तो कहता हूं कि पैसा नहीं है तो इज्जत तो है, प्रतिष्ठा तो है वह हम उनको दें। और इसलिये पहले जमाने में उनकी इज्जत होती थी। संस्कृत के विद्वानों के कथन का सभी ख्याल करते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गये। राजा दशरथ ने उनका आदर किया और पूंछा कि क्या चाहिये? उन्होंने कहा कि लड़के दो लड़ाई में जायेंगे, ताड़ुक बहुत तंग कर रही है। राजा दशरथ ने कहा कि क्यों बुढ़ापे में लड़कों को अलग कर रहे हो, यह तो बड़ा दुष्कर काम है। उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे तो बड़ा नुक्सान हो जायगा। लिहाजा लड़के उनके साथ चले गये। तो ऐसी इज्जत पहले जमाने में संस्कृत के विद्वान् की होती थी। और आज हमारे भाइयों को अखरता है कि पूजा कैसे होगी? मेरे दोस्त, पहले संस्कृत के पंडित लोग साहित्य को याद कर लेते थे, कंठ कर लेते थे, जहां से न वह खो सकता था, न छीना जा सकता था, न चोरी किया जा सकता था, न जलाया जा सकता था। उस साहित्य को पढ़िये जिस का सारी दुनिया में तर्जुमा हुआ। आज गीता के नाम पर सारी दुनिया का सिर झुकता है। सारी दुनिया में उसका तर्जुमा हुआ है। उसी गीता के बल पर आप यहां बैठे हुये हैं। वह पढ़ते थे—

"नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
नैनं क्लेयंतापो न शोषयति मारुतः।"

आत्मा न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सोखा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है।

उसी गीता में पढ़ा गया था :

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयात नवानि देही॥"

जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर आदमी नये कपड़े पहन लेता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ जाता है और नये शरीर में प्रवेश कर जाता है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

इसको पढ़ कर लोग फांसी के तख्ते पर लटक जाते थे, गोलियों को खाने के लिये तैयार रहते थे। उन अध्यापकों का आदर होना चाहिये, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। अगर हम साथ-साथ अपनी संस्कृति की तरफ भी ध्यान दें, अपनी तहजीब की तरफ भी ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा समय तो समाप्त हो गया है लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। एक शिकायत मुझे अपनी ओर से भी है, मुझे अपनी शिकायत है, अपोजीशन की नहीं। हमारे विरोध में बहुत थोड़े से आदमी हैं। उनको हम अपने साथ नहीं ले सके। अगर हम प्रचार करते, सही बातों को बतलाते तो हम इन विरोधियों को अपना बनाकर छोड़ते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में नहीं हैं। छोटे मंत्री जी हैं। लेकिन जरा बड़े मंत्री जी की आवश्यकता थी। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी वह स्थान लेते हों तो दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी आ ही गये। मैं आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। पहले जब सप्लीमेंटरी बजट आया था तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोग जब किसी की बात करते हैं तो बहुत नीचे स्तर में गिर जाते हैं। आज जब मैं उनका भाषण सुन रहा था और जब वह यह कह रहे थे कि वे हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमें पढ़ाया है, और जब इस प्रकार उनकी तारीफ कर रहे थे, तब मैं यह सोच रहा था कि यह क्रोकोडाइल टीयर्स क्यों बहाये जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह पढ़ाया कि अगर हम अध्यापकों की मांग को मान लेते हैं, तो इस प्रांत को साढ़े छः करोड़ की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक ओर आज इस हुकूमत के सिपाही संगीनें लिये हुये कौंसिल हाउस के सामने खड़े हुये हैं और दूसरी ओर अध्यापक वर्ग ८ तारीख से सत्याग्रह करने वाला है। दोनों तरफ से फौजें खड़ी हैं। ऐसी दशा में माननीय मंत्री जी ने जो छः करोड़ की बात की है, हम उसे छोड़ने के लिये तैयार हैं, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी उनकी और मांगें मानने के लिये तैयार हैं? उन्होंने कह दिया कि हम पुरानी तनख्वाह दिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी भारी मेहरबानी वे कर रहे हैं। यहां यदि सरकार के किसी आदमी को पहली तारीख को तनख्वाह न मिले और उसको एक हफ्ते के अन्दर तनख्वाह दिला दी जाय, तो इसमें सरकार कौन बड़ा भारी काम करेगी। सरकार ने पहला आदेश सन् ४९ में दिया। ३ अगस्त को यह पहली चिट्ठी सरकार की ओर से निकली जिसमें उन्होंने कहा कि:

"The governor has been pleased to order that the following revised scale of pay for teachers under local bodies should be sanctioned"

[श्री राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उन अध्यापकों के लिये जो स्थानीय संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं निम्नलिखित संशोधित वेतनक्रम स्वीकृत किया जाय।]

काफी कांसिडरेशन के बाद यह चीज हुई, उसके बाद यह कहा:—

"These scales of salaries will come into effect from April 1, 1949, and all local bodies should take immediate steps towards their implementation."

[ये वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९४९ से कार्यान्वित होंगे और समस्त स्थानीय संस्थाओं को उनकी अभिपूर्ति के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।]

इसी गवर्नर के आर्डर में आगे कहते हैं—

"to order that the teachers drawing pay above Rs. 40 p. m, shall receive an additional amount of Rs. 5 per month."

[उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि जिन अध्यापकों को ४० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन मिलता है, उन्हें ५ रुपये प्रति मास अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा।] शिक्षा मंत्री जी वकील हैं। "शैल" के माने भी मैं समझता हूं कि यही होंगे कि उन्हें दिया जाना चाहिये। आखिर में उन्होंने कहा है उस आर्डर में:

"The Governor would be prepared, if necessary to assist them with short term loans repayable in five years in the case of I and II class local bodies and in ten years in case of others."

[श्री राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अल्पकालीन ऋण देने के लिये भी उद्यत होंगे जो ऋण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की स्थानीय संस्थाओं द्वारा ५ वर्षों में चुकाया जायगा और अन्य संस्थाओं द्वारा १० वर्षों में।]

यह हुक्म दिया गया और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने हमारे टीचरों को इस स्केल के मुताबिक तनख्वाह देना शुरू कर दिया। आज भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में यह स्केल दिया जा रहा है। इसके बाद सन् ५० में एक दूसरा सर्क्यूलर निकलता है। उसमें वे कहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डिस्क्रेशन पर है कि वे इसको इम्प्लीमेंट करें या न करें। आज अध्यापकवर्ग कहता है कि इस सर्क्यूलर से जो उनका पुराना एरियर है वह सन् ४९ से उनको दिला दिया जाय और जो पे ग्रेड उनको सन् ४९ में दिया गया वह पूरा दिया जाय। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी छः करोड़ की बात करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिये छोड़ते हैं, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी अध्यापक वर्ग को वे चीजें देने के लिये तैयार हैं, जिन के लिये वे बड़े कांसिड्रेशन के बाद ३ अगस्त, सन् १९४९ में राजी हुये थे? आज जब माननीय मंत्री जी ने छः करोड़ की बात कही, तब सब घबड़ा गये कि टैक्स लगेगा। माननीय मंत्री जी और बातों पर ही राजी हो जायं। हमारे राजाराम शास्त्री जी, जो प्रेसीडेंट हैं, उन्होंने इस बारे में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को रखा है। माननीय मंत्री जी इस बात को क़बूल करें और यह कह दें अगर सचमुच उनकी भावना ऐसी है कि वह टीचरों की मदद करना चाहते हैं और अध्यापकों को गुरू समझते हैं, तो टीचरों की मांगों को स्वीकार करें लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। यह तो सब ही कहते हैं। आज भी मेरे सामने कहा गया कि इसके अन्दर पार्टी प्रोपेगैन्डा है, आउट साइड और इन साइड, सदन के बाहर और सदन के भीतर। वह प्रोपेगैन्डा हो जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा सवाल है हम जब कोई मजदूर तबका या कोई ग़रीब आदमी सताया जायगा, उसके साथ होंगे चाहे वह हमारे साथ कभी रहा हो या न रहा हो। हमारी बदक़िस्मती है, जब पहले चुनाव हुआ था, इसी अध्यापकवर्ग ने हमारे ख़िलाफ होकर कांग्रेस को वोट दिया था और हमें एक भी वोट नहीं दिया। मैं आज फिर कहता हूं कि उनकी मांग पूरी हो और सरकार उनकी मांग को पूरा करे। अध्यापकवर्ग हमें फिर वोट न देकर कांग्रेस को ही वोट दे देंगे, हमें उनका वोट नहीं चाहिये। लेकिन तकलीफ जिस किसी को होगी हम उसके साथ रहेंगे। आज सरकार बन्दूकें दिखला कर और काउन्सिल हाउस के सामने सिपाहियों को खड़ा करके टीचरों के सत्याग्रह को दबाने की चेष्टा कर रही है। यह सरकार जानती है संगीन के बल पर हुकूमतें बहुत दिनों तक नहीं रहा करती हैं। हिटलर का क्या हाल हुआ और मैसोलनी का क्या हाल हुआ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखो भाई इस तरह से सत्याग्रह करने से और अनशन करने से महात्मा गांधी जी की आत्मा रोती होगी। मैं कहता हूं कि इस अध्यापक वर्ग के सत्याग्रह और अनशन करने से महात्मा गांधी जी की आत्मा नहीं रोती होगी बल्कि गांधी जी की आत्मा इस हुकूमत के कर्मों पर रोती होगी।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को बीस बीस रुपया डियरनेस अलाउन्स मिलता है मगर अध्यापकवर्ग को बारह रुपया मिलता है। मैं कहता हूं कि इनका डियरनेस अलाउन्स १२ रुपया से २० रुपया कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपये अगर यह सरकार मंजूर करने के लिये तैयार हो, अध्यापक वर्गों के लिये तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हालत संभल सकती है। परसों से सत्याग्रह बड़ा होने वाला है, अभी दो दिन का समय है। परन्तु यह बात होने वाली नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री उनको गुरू कहते हैं। एक तरफ से उनको गुरू कहते जाओ और एक तरफ से उनका अपमान करते जाओ। तो आप बाहर जा कर उनके ऊपर फूल चढ़ाइये।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां जो म्यूजियम हुआ करते हैं प्रान्तों में यह चीजें हिस्टारिकल होती हैं। क्यूरेटर साहब ने मंत्री जी को दिखा दिया है कि हम जहांगीर के वक्त के दो घड़े लाये हैं। वह कहते हैं कि यह घड़े जहांगीर के वक्त के हैं। वह घड़े बाजार में एक एक हजार में मिल सकते हैं।हिस्टोरियन्स की शिकायत है कि यह जाली घड़े हैं। ऐसे बाजार में भी बन सकते हैं। मैं भी बनवा सकता हूं। और मैं भी कुछ घड़े बनवाकर मन्त्री जी के नाम से म्युजियम में पेश कर दूं। क्यूरेटर साहब ईजिप्ट से ममी लाये। ऐसा मसाला होता है कि जिसके लगाने से लाश बहुत सालों तक खराब नहीं होती है। रास्ते में लाश सड़ गयी। उन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रास्ते में लाश सड़ गयी थी इसलिये हमने नदी में बहा दी। उन क्यूरेटर साहब को इस प्रान्त का डाइरेक्टर बना दिया गया।

इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह निष्पक्ष हो कर के इस मामले पर विचार करें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के भाषणों में मुझे एक जगह सब से बड़ा वैषम्य मिला है। जब मेरे दोस्त और साथी उपाध्याय जी ने यह फरमाया कि वह स्तर के नीचे भाषण नहीं देना चाहते हैं, और उस समय मैंने देखा उनके भाषण के उस हिस्से को जिसमें उन्हें पिछले चुनाव की याद आई और उस याद के सिलसिले में उनकी शिकायत अध्यापकों से हुई कि तुमने हमको वोट नहीं दिये थे फिर भी हम तुम्हारा साथ यहां दे रहे हैं। उसके आगे उनके मन में क्या था, उपाध्यक्ष महोदय, उसपर मैं प्रकाश डालना नहीं चाहता क्योंकि यह बात उनके और उन अध्यापक भाइयों के बीच की है जो बाहर सम्भवतः कभी हुई होगी। दूसरी बात स्तर के ऊपर होने के सिलसिले में यह भी देखी कि सरकारी अफ़सरों पर व्यक्तिगत आक्षेप हुआ चाहे वह मौसम में हो या मौसम के बाहर हो। वह विषय भी नहीं है। बात अध्यापकों की चल रही थी और एक दम कूद पड़े एक डाइरेक्टर साहेब के ऊपर। बहरहाल, जहां तक भाषण के स्तर का संबंध है उसे मैं यहीं छोड़े देता हूं।

हम तो आप के द्वारा यह प्रार्थना करेंगे अध्यापकों से कि माननीय मंत्री जी के आज के भाषण को सुनने के बाद, और जब मैं अध्यापकों के पिछले कार्यों को देखता हूं कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में कितना सहयोग दिया है और कितना रचनात्मक कार्य किया है, और इस आन्दोलन में भी जब कि और पार्टियों ने चारों ओर चक्कर लगाये कि वे उनका दामन पकड़ लें, वे काफ़ी देर तक रुके और अभी तक भी दामन पूरे तौर से पकड़ा नहीं है। जब इतना रचनात्मक जिसका दृष्टिकोण है क्या वे इस बात को विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं कि जब कि देश संकट काल में है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि देश पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है और इस समय भी वे पिछली तनख्वाहों को देने के लिये तैयार हैं और इसके साथ-साथ प्रतिमास रैगुलर तरीक़े से वेतन देने का प्रबन्ध कर रहे हैं, अध्यापकों की कार्यकारिणी की बात मैं नहीं जानता। उसमें यहां के बड़े नेता लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं लेकिन मैं गांव के अध्यापकों की बातों को कहता हूं और मैं कह सकता हूं कि यदि गांव के अध्यापक तक माननीय मंत्री जी की बात पहुंचे, तो उनपर माननीय मंत्री जी की अपील का प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हां, भड़काते तो हम हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, भड़काने वाली बात को भी कह सकता और प्रकाश डाल सकता हूं। इतनी प्रार्थना जरूर है कि जो फैसला सरकार ने किया है, चाहे अध्यापक अपनी हड़ताल जारी रखें या बन्द करें उसको फौरन लागू कर देना चाहिये। उससे जो अध्यापक का जेनरल वर्ग है, जो अध्यापक आज गांव में सैकड़ों और हजारों हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस आन्दोलन से अलग हो जायेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों के नेता लोग जो हैं वह भी पुनर्विचार करें और राष्ट्र की इस संकट की अवस्था को देखकर उस रास्ते को पकड़ें, जिस तरह से उसने सदैव सहयोग दिया है उसी तरह से आज भी सहयोग दें। और मेरे भाइयों की बात कि वह गरीबों का साथ देते हैं, गुरुओं का साथ देते हैं और राष्ट्र निर्माणकों का साथ देते हैं, यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुझे कुछ नई बातें करनी हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पारसाल एक संकेत किया था कि वह शिक्षा प्रणाली में कोई महान परिवर्तन करने वाले हैं। मैं इस सदन से सचमुच कहना चाहता हूं कि जब मैं इस देश की शिक्षा प्रणाली को देखता हूं तो मेरा हृदय रो पड़ता है क्योंकि यह देश और किसी चीज से नीचे नहीं जा सकता है बल्कि यह हर चीज का मुक़ाबला कर सकता है। आज हमारे सामने जो वर्तमान संकट हैं उनका भी मुक़ाबिला कर सकता है। हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी लेकिन उनको दूर करने का जो रास्ता है वह रास्ता अभी तक खुला नहीं है बन्द है और उसको बन्द कर के हम आगे जाना चाहते हैं और वह रास्ता है शिक्षा का। जवाहर–लाल जी परेशान ह, मौलाना आजाद परेशान हैं, हमारे इसी प्रान्त के शिक्षा मंत्री नहीं सारे प्रांतों के मन्त्री परेशान हैं और कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली दूषित है। मंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, सारा गांव गांव कहता है, मेम्बर कहता है, भारत कहता है, सारा देश कहता है शिक्षा प्रणाली दूषित है, फिर भी यह शिक्षा प्रणाली हमारे सिर पर लदी हुयी है, कैसे लदी हुई है, क्यों लदी हुई है यह समझ में नहीं आता। और कभी कभी तो जी में आता है कि इस देश के सारे शिक्षा मन्त्रियों को पकड़ कर लेकर समुन्द्र में कूद पड़ूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मरने और मिटने का प्रश्न है इसलिये मैं इतने जोर के साथ कह रहा हूं। रचनात्मक कार्यों की बातें की जाती हैं। तकली और चरखे के क्लासेज खुल गये। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो यह विश्वास नहीं करते कि केवल चरखा या तकली कतलवा देने से कोई परिव–र्तन हो जायगा। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो यह विश्वास करते हैं कि जो टेकनिकल स्कूल हमारे हैं उनमें जो पढ़ने वाले हैं वे केवल नौकरी के लिये पढ़ते हैं और समस्या हमारे सामने और विकट होती चली जाती है। मेरी प्रार्थना यह है कि इसमें ज्यादा सोचने की बात अब नहीं है। और जरा सख्ती और जल्दी से काम करने की जरूरत है। आप को तय करना होगा कि राष्ट्र को कितना पढ़ाना है? मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दूंगा कि हुकूमत जूनियर हाई स्कूल तक कम्पलसरी एजूकेशन कर दे और उसके पश्चात् फिर साइकालोजी के जो विद्वान हैं वह हर जगह पर अध्ययन करें कि कौन विद्यार्थी कहां जा सकता है, और उसके बाद जो हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें तरह–तरह के विषय हों, और जो जूनियर सेकेन्डरी स्कूलों से लड़के निकलें वहां उन्हीं विषयों में पढ़ाये जायें जिसमें उनकी रुचि हो। यह मखौल इस दिशा का बन्द होना चाहिये कि इतने मदरसे खोले जायं, यूनिवर्सिटी क़ायम होनी चाहिये। ऐसी यूनिवर्सिटियां, स्कूलों के रहने से क्या लाभ है जहां ऐसे विद्यार्थी पैदा किये जाते हैं कि देश बरबाद हो जाय। सब जगहों पर सरकारी तौर पर नियंत्रण हो जाना चाहिये। एक बात में मैं माननीय नेता विरोधी दल से पूर्णरूप से सहमत हूं कि किताबें सरकार द्वारा शिक्षालयों को दी जायं। यह चाय की दूकान खोलना नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण करने

[श्री रामनरेश शुक्ल]

की बात है। अगर आप राष्ट्र के मस्तक को बनाना चाहते हैं तो वैसी किताबें तैयार होनी चाहिये। यह रोजगार हो रहा है आज कमेटियों के द्वारा, किताबों के द्वारा या लेखक और पब्लिशर्स कर रहे हैं। यह सब बन्द हो जाना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है और किस प्रकार से और कौन से उसमें परिवर्तन करने चाहिये ? इन सब प्रश्नों पर मैंने भवन का समय लेना उचित इसलिये नहीं समझा कि मैं यह समझता था कि यह अवसर इन विषयों पर एक लम्बा सा भाषण देने का नहीं था। मैं तो यह समझता था अधिक से अधिक समय भवन के माननीय सदस्यों को इसलिये दूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो उनके अपने विचार हैं उनको वह इस सदन में व्यक्त करें और उनसे मैं भी कुछ शिक्षा लूं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात का दुख प्रकट किया कि शिक्षा मंत्री ने इन विषयों को छुआ तक नहीं इसमें सन्देह नहीं है और मैं माननीय सदस्य श्री बालेन्दु शाह का आभारी हूं। मंत्री के पद पर होते हुये भी मैं यह नहीं समझता कि यह कोई बड़प्पन की चीज है। अगर यह बड़प्पन की चीज है तो वह इस कारण से हो सकती है कि इसमें जनता की सेवा करने का अधिक अवसर मिलता है। इस कारण से तो यह भले ही बड़प्पन की चीज हो, लेकिन किसी और दृष्टि से नहीं। हां मैं किसी राजा के घर लड़का पैदा नहीं हुआ था। मैं तो एक ग़रीब किसान के घर पैदा हुआ था। उस समय कुछ कारणों से सोचा कि देश की बलिवेदी पर अपनी आहुति करना चाहिये। इसी से मैं यहां हूं। इस वजह से मैं नहीं हूं कि मैं यह समझता हूं कि इस पर रहने से बड़ा भारी बड़प्पन है बल्कि केवल इस कारण से हूं कि यहां जनता की सेवा करने का अधिक अवसर मिलता है।

शिक्षा प्रणाली की विशेष दशा है। अगर आज इस पर मत एकत्रित किये जायं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसमें इस नतीजे पर आयेंगे कि किस प्रकार से इन मतों को एक लडी में पिरोया जाय। इसमें संदेह नहीं कि हमारी आज जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली इस समय हो उसमें बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है। पहले हम आशा भी नहीं करते थे और यह उद्देश्य भी नहीं था कि इससे सुयोग्य नागरिकों का निर्माण हो। यह तो एक विशेष कारण से, एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति से यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश में प्रचलित की गई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह इतना सरल मसला भी नहीं है कि हम एक दिन में शिक्षा प्रणाली को पलट कर उसके स्थान पर ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दें जिसमें कल ही से सुयोग्य नागरिक पैदा होने लगें।

आप सोचिये कि हर एक संगठन में, हर एक आर्गेनाइजेशन में, जब कि वह बहुत दिनों से चल रहा होता है या कोई एक प्रणाली चल रही है तो उसकी इतनी गहरी लीक बन जाती है कि वह स्वयं परिवर्तन को रोकती है। वह समाज में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करता, यही कारण है कि बावजूद इसके कि आज इस देश में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं सब इस बात से असंतुष्ट हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन अभी तक कम से कम हमारे सम्मुख कोई ऐसी रूप रेखा नहीं आयी कि किस ओर से हमें इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आरम्भ करना चाहिये और किस छोर तक इस परिवर्तन को ले जाना चाहिये। यह ऐसा गूढ़ प्रश्न है जिस पर आप जानते ही हैं कि हमारे प्रान्त में एक माध्यमिक शिक्षा कमेटी बैठी हुयी है। आप यह भी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक सेकेण्डरी एजूकेशन कमीशन भी बनाया है। एक ओर तो हम यह चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हमारे बालक इतने निपुण हो जायं कि यदि उनमें इस बात की क्षमता न हो कि वह विश्वविद्यालयों में जा कर बड़ा भारी अनुसंधान कर सकें या ऐसे स्तर के विद्वान बन सकें जिससे वे देश को अपनी विद्वता से कुछ दे सकें, तो उनको चाहिये कि

वे कुछ ऐसा काम सीखें कि वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हों। लेकिन जीविकोपार्जन का शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। यह समझना ग़लत है कि शिक्षा जीविकोपार्जन बनाने का एक यंत्र है। यदि सच पूछिये तो शिक्षा तो वह यंत्र है जो यह बताता है कि जीवन को किस प्रकार से रखना चाहिये, किस प्रकार से जीवन को एक वैज्ञानिक ढांचे में रखा जा सकता है। यही शिक्षा का सब से प्रमुख कर्तव्य और यही उसका आदर्श और उद्देश्य है। एक ओर जहां यह समस्या है तो दूसरी ओर कौन–कौन सी चीजें उनको सिखलायी जायं ? यह कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि आज एक भाषण में आप उसे कह दें और कल से वह होने लगे। इसी कारण मैं तो यह चाहता था कि आपका समय न लेकर आपकी बातें सुनूं। आप बतावें कि किस प्रकार से यह शिक्षा होनी चाहिये ? किस ढांचे में इस शिक्षा को डाला जाय जिसमें जो इसका आदर्श है और जो हम चाहते हैं वह फल हमको उससे मिल सके। तो इसी कारण कुछ मैंने इसमें प्रकाश नहीं डाला। कहा जाता है कि वोकेशनल शिक्षा दी जाय। उनको हुनर और काम सिखाया जाय। उसकी भी दिक्कतें और कठिनाइयां आप को समझ लेना चाहिये। बड़ी सरल बात है। आज कल जहां भी कोई जाता है वह जरूर कहता है कि शिक्षा प्रणाली बड़ी रद्दी है। मैं भी कहता हूं कि शिक्षा प्रणाली बड़ी रद्दी है। इसके मानने में मैं अपने को किसी से कम नहीं समझता। लेकिन जैसा मैंने कहा मैं तो इस खोज और फिराक़ में लगा हुआ हूं और यह देख रहा हूं कि कौन सी प्रणाली यहां रक्खी जाय। आज आप टेक्निकल एजूकेशन में अपने स्कूलों को परिणत कर दीजिये। हर बच्चा ऐसा हुनर सीखे कि वह उत्पादन में वृद्धि कर सके, उसमें भाग ले सके लेकिन प्रश्न तो यह है कि उसका उत्पादन बाजार में यदि बिकता नहीं और उसको कुछ पैसा नहीं पहुंचता तो क्या आप समझते हैं कि उस शिक्षा से आप ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे जो बेकारों की पंक्ति में खड़े नहीं होंगे ? तो यह एक ऐसा उलझा सा सवाल है। मैं आप को थोड़ा सा इतिहास भी बतलाऊं। इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन कभी भी नहीं सफल हो पाता अगर वहां की समाज व्यवस्था से फ्यूडलिज्म को, सामन्तशाही को नष्ट न किया जाता। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि वहां के जो खेतिहर हैं यदि उनकी जेब में दाम न होगा तो यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप चीजों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उसके लिये बाजार नहीं होगा तो कारखाने अपने जगह पर बन्द हो जायंगे। यह एक उलझा सा सवाल है और आप यदि यह समझें कि इस सवाल को इस तरह से सुलझाया जाय कि अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया आमूलतः नष्ट कर के उसकी जगह टैकनीकल ऐजूकेशन कर दें तो सवाल यह भी पैदा होता है कि उसके लिये हमें जनसाधारण के धन में भी वृद्धि करने का उपाय सोचना होगा जिससे उनके पास कुछ पैसा हो। आज टेक्निकल एजूकेशन पास कर के जो लड़के निकलते हैं उनके पास यदि धन नहीं होगा तो वे उत्पादन कैसे कर पायेंगे ? पहली साल बख्शी तालाब के विद्यार्थी जो हरिजन थे उनके लिये एक ऐसा भी केन्द्र खोला गया और वहां लड़कों को ऐसी शिक्षा दी गयी जिससे वे गांवों में जा कर जीविका पैदा कर सकें लेकिन दूसरी साल ही लड़के मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि हम क्या करें हमारे पास धन नहीं है, हम एक सिलाई की मशीन भी तो नहीं खरीद सकते फिर भी किस तरह से जीविकोपार्जन करेंगे। इसलिये मैंने इस साल १ लाख रुपया बजट में रखने का आग्रह किया जिससे उनको आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे वे मशीन आदि खरीद कर अपना काम कर सकें। हमारे कहने का तात्पर्य तो यह है कि यह भले ही मान लिया जाय, और यह सत्य भी है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसको आमूल रूप से परिवर्तन करना ही चाहिये। अगर हम इसके लिये उद्यत भी हो जायं तो अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि किस प्रकार से आप उस समस्या को हल करने जा रहे हैं ? और इसी कारण से मैं चाहता था कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। लेकिन सिवाय यह कहने के कि शिक्षा प्रणाली खराब है, बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन बातों में किसी को कोई शक नहीं हो सकता, और कोई सुझाव आपने नहीं दिया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

मेरे दिमाग में एक यह चीज तो पहले से ही थी और मैं यह देखता था कि यह शिक्षा प्रणाली वास्तविक जीवन से बहुत दूर है इसके लिये सर्व प्रथम मैंने अपने गवर्नमेंट के स्कूलों में यह अनिवार्य कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी ऐसे काम हों जो विद्यार्थियों द्वारा हो सकते हों वे उन्हीं के द्वारा कराये जायं और उनको उसकी कुछ मजदूरी भी दी जाय। यह एक छोटा सा प्रयोग था। अब मैं यह भी चाहता हूं कि हर स्कूल के पास कुछ जमीन हों और वहां के उत्पादन में वहीं के विद्यार्थी और अध्यापक भाग लें और उससे जो कुछ मिले वह स्कूल के ही काम में लाया जाय।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जिस प्रकार सेंकडरी एजूकेशन के लिये कमेटी मुकर्रर कर दी गयी है वैसे ही प्राइमरी ऐजूकेशन के बारे में भी किया जाय। लेकिन मैंने इसलिये ऐसी कमेटी मुकर्रर नहीं की कि जब सेंकेन्डरी एजूकेशन की रिपोर्ट आ जायगी तो मैं यह देख लूंगा कि बीच की लाइन किस प्रकार की होगी। उसी के अनुसार नीचे और ऊपर बढ़ा जा सकता है। उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी और प्राइमरी स्कूल्स की एजूकेशन में घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैंने अपने एक भाई श्री करण जी से भी इस बारे में राय ली है और उसके लिये एक छोटी सी कमेटी भी बना दी है। यद्यपि उस कमेटी का शासन से कोई संबंध नहीं है तो भी यह कमेटी प्राइमरी एजूकेशन के बारे में हमें राय देगी कि बेसिक एजूकेशन किस रूप की होनी चाहिये। उस पर विचार किया जा रहा है और शायद थोड़े ही दिनों में उसका फल भी हमको प्राप्त हो जायगा। टेक्सट बुक्स की बात अध्यापकों के वेतन के संबंध में कही गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यापकों को गुरू के स्तर से नीचे घसीट कर नौकर बनाना, मेरे लिये यह बिलकुल असंभव सी बात है। मैं तो अपने उन गुरुओं को उसी स्तर पर देखना चाहता हूं, उसी आसन पर ही देखना चाहता हूं जिस पर कि वे रहे लेकिन उनको नीचे घसीटने वाले हमारे विरोधी दल के नेता या उनके साथी हैं जिन्होंने आज वेतन के लिये उनको इस रणक्षेत्र में उतार दिया है। जो यह कहें "सत्यं शिवम् सुन्दरम्" शिक्षा का आदर्श होना चाहिये। वे गुरू को उतार कर वेतन के लिये आमरण अनशन की शिक्षा दें और फिर हमें यह कहें कि तुम उनको गुरू नहीं कहते हो, तुम नौकर कहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विचार करें कि यह दोष उनका है या हमारा है। कम से कम ऐसा गुरू मैंने कभी नहीं देखा था जो अपने वेतन के लिये अपनी जान की बाजी लगाता फिरता हो। स्वयं उस स्तर की हमारे इन भाइयों ने प्रेरणा दी, इनको शिक्षा दी और इनके उदाहरण से ही शायद वे नीचे उतर रहे हैं। इसीलिये मैं बार बार आपसे अपील करता हूं और फिर दोबारा भी अपील करता हूं कि वे इनके चंगुल में न फंसे, इनकी बातों में न आयें। ये तो राजनैतिक दांव पेच के आदमी हैं और हम भी उसी राजनैतिक दांवपेच के आदमी हैं। हम भी उससे अलग नहीं हैं। तुम इससे छुटकारा पाकर फिर उसी आसन पर जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे लिये यह श्रेयस्कर होगा, तुम्हारे लिये यही बड़ी बात होगी, इतिहास इसी लिये तुम्हारा आदर करेगा लेकिन यदि तुम इनकी बातों में आते हो तो उसमें तुम्हारे लिये, तुम्हारे भविष्य के लिये, तुम्हारे बच्चों के लिये, तुम्हारे देश के लिये, तुम्हारी जनता के लिये यह कल्याणकारी चीज नहीं होगी। मैं यही स्वयं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं और फिर उनसे यह कहता हूं कि वे अपने इस संकल्प को छोड़ दें, देश के नाते छोड़ दें। आज निर्धन देश उनसे पुकार कर रहा है। माना थोड़ी देर के लिये कि यही है कि और लोगों को उनसे अधिक तनख्वाह मिलती है। माना यह भी सही है कि उनको कम तनख्वाह मिलती है, यह भी थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि तुम भूखे ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे लिये भूखे रह कर भी शिक्षा देना, यही तुम्हारा गौरव रहा है, इसलिये समाज में तुम्हारा ऊंचा स्तर रहा है। आज देश मजबूर है। न मैंने उनको कोई ठेस दी, न डांट दी न यह कहा कि यह नहीं करोगे तो वह होगा। यह मैंने नहीं कहा, यह तो विरोधी दल के नेता के

लिये ही शोभा देता है कि वे ऐसी बातें मेरे मुंह में रखें क्योंकि तभी उनको इस बात का अवसर मिलेगा कि वे वहां जाकर कह सकेंगे कि उन्होंने तुमको यह धमकाया है। मैं आज भी आपके द्वारा चाहे उनके नेता इस भवन में हों या नहीं हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे हमारे इस संदेश को, हमारी इस प्रार्थना को मान लेंगे। मुझे उनसे प्रार्थना करने में कोई हेच या लज्जा नहीं है, मैं उनको गुरू मानता हूं, मानता रहूंगा और सदैव मानूंगा। लेकिन उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने को इस रास्ते से हटा लें। उनसे मुझे कोई द्रोह नहीं है, उनसे मुझे कोई बैर नहीं है, वे तो भाई हैं ही। और यदि किसी और कारण से नहीं तो केवल इस कारण से कि जनता के पास धन नहीं है, सरकार के पास धन नहीं है, धनोपार्जन के अनेक कार्य किये जा रहे हैं, उसकी एक विधि बनायी जा रही है जिससे धनोपार्जन में वृद्धि की जाय। तुम्हारा भी यह कर्त्तव्य है कि समाज के नेता होने के कारण, शिक्षा के शिक्षक होने के कारण तुम एक आदर्श जीवन निर्वाह करना चाहते हो इसलिये तुम्हारे लिये भी जरूरी है कि तुम अपना योग इसमें दो।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं फिर भी उनसे कहूंगा कि वह इस पर सोचें और इसको आवेश में आकर न सोचें। आवेश कोई मुफीद चीज नहीं होती है। आवेश तो उनके लिये हुआ करता है जो बुद्धिहीन होते हैं। जो दूसरों को मनुष्य बनाते हैं उनके लिये आवेश का कोई स्थान नहीं है। हमारे लिये यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है और सरकार के लिये यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है। इसमें प्रिस्टीज का सवाल कैसे हो सकता है। अगर हम गुरुओं से लड़ें तो इसमें क्या कोई प्रिस्टीज का सवाल हो सकता है? इससे अधिक हमारे लिये और क्या लज्जा की बात हो सकती है कि इस प्रकार के मामले में कोई प्रिस्टीज का सवाल हो। मैंने उनको साफ साफ कहा, पहले दिन कहा जब कि उन्होंने यह आन्दोलन आरम्भ नहीं किया था और तब कहा जब वह मथुरा जा रहे थे कि यह दोनों के लिये चीज है। यह हमारा कर्त्तव्य है और हम इसको मानेंगे और चाहे जिस प्रकार से होगा हम इन चार मांगों में २ मांगें तो कार्यान्वित करने के लिये तैयार हो सकते हैं। इससे आगे बढ़कर कोई ऐसी स्थिति पैदा न कीजिये कि जिससे एक संकट की अवस्था उपस्थित हो जाय। यह मेरा उनसे तब भी कहना था और अब भी कहता हूं।

कुछ बातें टैक्सट बुक के बारे में कही गयीं कि उससे २४ लाख रुपया सरकार को मिलता है। एक साहब कह रहे हैं कि ८ लाख रुपया। चलो २४ लाख से ८ लाख तो हुआ। शायद करोड़ों की बात हजारों में हो जाती है और हजार की बात करोड़ों की हो जाती है। आज मैंने देखा कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैंने उसी समय अपने डिपार्टमेंट से वह आंकड़े मंगाये कि आखिर इन किताबों से क्या रायल्टी मिलती है। तो मालूम हुआ कि १ लाख ३१ हजार रुपया एक साल में सरकार को मिलता है। इसको इस प्रकार का आडम्बर देना कि उससे २४ लाख रुपया मिलता है और वह उनको दे दिया जाय उचित नहीं है। हमारे भोले भाले अध्यापक जो कभी इन लोगों की हवा में नहीं रहे और जो इनके हथकंडे को नहीं जानते हैं उनको बहकाने के लिये इस प्रकार की बात कही जाती है कि सरकार को २४ लाख रुपया किताबों से मिलता है और वह तुम को मिलना चाहिये। वह समझते हैं कि ठीक है और हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो यह इस प्रकार से रखना गलत है। हां, एक बात कही गयी और वह इस भवन में कही जाती है और बार बार कही जाती है इसलिये मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रारंभिक भाषण में जब मैं बोल रहा था तो एक मित्र ने खड़े होकर यह कहा कि मिनिस्टर्स को तो १२०० रुपया तनख्वाह मिलती है। ठीक बात है। उसके साथ यह भी कहा गया कि इसमें समानता होनी चाहिये। मैंने भी कुछ समाज

[श्री हरगोविन्द सिंह]

संगठन का अध्ययन किया है और उसका जो बहुत बड़ा लिटरेचर है उसको भी देखा है। मुझे कहीं भी आइडियोलाजी में यह चीज नहीं मिली कि इस प्रकार की समानता कहीं भी संभव है। हां, एक बात जरूर मिली कि एक सोशलिस्ट महाशय ने एक सोशलिस्ट से यह कहा कि हर एक चीज में आमदनी की समानता होनी चाहिये। उसने यह कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुमने सोशलिज्म का कोई अध्ययन नहीं किया है और तुम इसको जानते भी नहीं हो। जब तक कि मनुष्य और मनुष्या में अन्तर होगा और उसकी बुद्धि में अन्तर होगा, उसकी कार्यशैली में अन्तर होगा, उसके बाहुबल में अन्तर होगा, उसके शरीर में अन्तर होगा तब तक यह नामुमकिन है कि आप सब को एक ही स्तर पर रखकर एक ही प्रकार की तनख्वाह दें। आज दुनियां के वह देश जो अपने को समाजवादी कहते हैं और जो नारे लगाते हैं कि हम सब को समानता देंगे वह भी इस चीज को आधारभूत नहीं मानते कि यह चीज सम्भव हो सकती है बल्कि वह यह कहते हैं कि इस चीज का कोई स्थान हमारी आइडियालाजी में नहीं है और यही कारण है कि उन देशों में उनके बड़े-बड़े मन्त्री और प्रधान मन्त्री वही तनख्वाह नहीं पाते हैं जो एक छोटा सा निम्न श्रेणी का मजदूर पाता है। मैंने यहां श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित से पूछा था उन्होंने चीन की बात बतलाई और साफ कहा कि चीन के मंत्री यहां के मंत्रियों से कहीं अच्छे तरीके से रहते हैं। खैर, हर समय इस तरह की बात करना एक नीच स्तर की बात है। जब तक आप का समाज आज जिस तरह से संगठित है और चाहे जैसे भी संगठन उसका हो जाय वह समाजवाद हो या साम्यवाद, लेकिन कभी भी किसी समय ऐसी अवस्था नहीं आने वाली है कि हर एक को एक ही तरह का वेतन मिलेगा। यह सही है कि हर एक को पाव भर आटा चाहिये, इतना आटा और उतनी दाल चाहिये लेकिन कभी प्रत्येक प्रोफेसर को, साइन्टिस्ट को, प्रत्येक जनरल को, प्रत्येक कमान्डर को वही पाव भर आटा और छटांक भर दाल दी जायगी तो आप का सम्पूर्ण देश और समाज नष्ट हो जायगा और भौतिक विकास के लिये कोई चीज ही नहीं रह जायगी। इस लिये यह जरूरी है कि आप बेपढ़े लिखे और अनभिज्ञ आदमियों में जा कर ऐसी बात न करें, वह समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और दूसरे लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात गेलरी को सुनाने के लिये करना कोई ऊंचे स्तर की बात नहीं है। यहां वादविवाद एक ऊंचे स्तर का होना चाहिये। यह कहना कि मंत्री इतना लेते हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चाहे जिस दृष्टि से देखें लेकिन उस दृष्टि से हम यहां बहुत सुखी नहीं हैं। अपने मुख्य मंत्री जी को ही देखिये, मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रांत का बड़ा भारी सौभाग्य है कि हमें इतना विद्वान् मुख्य मंत्री मिला हुआ है। यदि वह आज वकालत ही करते होते तो आज धन का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते थे जो काठगोदाम से नैनीताल की पहाड़ी का सामना करता लेकिन उन्होंने उस को लात मार कर आपके प्रदेश की जनता की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझा और आपके प्रांत में थोड़े ही लोग होंगे जो उनका मुकाबिला कर सकते हों। क्या आप समझते हैं कि वह १२०० रुपया लेने के लिये ही आप के मुख्य मंत्री बने हुये हैं। ऐसी बातें ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप करना आप को शोभा नहीं देता और भवन को तो शोभा ही नहीं।

यूनिवर्सिटीज की बात भी हमारे मित्र काटजू साहब ने कही। इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि मुथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट केवल एक सप्ताह हुआ मेरे पास आई है और वह तीन बड़े-बड़े वाल्यूम्स में है। मैं भी उस को पढ़ रहा हूं और हमारे डाक्टर सीता राम जी भी उस को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उसमें होना चाहिये। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटियों के ऊपर कर्जा है और यह कह ही दिया जा चुका है कि सरकार उसे अपने ऊपर लेगी। अभी थोड़े दिन हुये मालूम हुआ कि उन को ३ लाख की आवश्यकता है, उसका प्रबंध किया जा रहा है और आइन्दा भी किस वक्त उन की किस प्रकार की मदद हो सकती है, की जायगी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वह तो अभी मैं स्वयं इस नतीजे पर नहीं

पहुंचा हूं कि इसको प्रकाशित करना चाहिये या नहीं। अगर इसमें कोई ऐसी बातें हुई जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्तर को लोगों की नजरों में नीचे गिराने वाली हुई तो वह अगर लोगों के सामने न जाय तो अच्छा ही है। उसके सुधार का जो उपाय हो वही करना चाहिये। इसलिये अभी मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस रिपोर्ट को मैं प्रकाशित करूंगा या नहीं, लेकिन हां, इतना जरूर कहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित लोग हैं उनको इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जायगी। चाहे हम सब के लिये इसको पब्लिश न करें, लेकिन अभी मैं यह नहीं कह सकता कि पब्लिश करेंगे या नहीं। हां, यह जरूर है कि भविष्य में किस प्रकार से ऐसा किया जाय कि जो इतना कर्ज एकत्रित हो गया है वह १५ लाख हो, १८ लाख हो, २० लाख हो, यह तो मैं नहीं देख पाया कि उसमें कितना है, लेकिन जो भी है वह तो बिला जाने हुये सरकार ने अपने ऊपर बोझ ले ही लिया, लेकिन आगे इस बात का प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिये कि इस प्रकार से हमारी ये शिक्षा संस्थायें कर्ज न लिया करें।

अटोनामी का तो बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न है। कहीं अटोनामी खंडित नहीं हो रही है, उस पर कोई प्रहार नहीं हो रहा है, इसलिये इस प्रश्न पर मैं जाना नहीं उचित नहीं समझता।

हां, संस्कृत के बारे में नरदेवजी ने यह कहा कि इसमें एक ही रकम है जो संस्कृत कालिज के लिये रखी गयी है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि वह पारसाल की रकम देखें तो वह ३,१४ हजार थी जो संस्कृत के संबंध में थी। इस वक्त वह ४,४१ हजार रखी गयी है और उसके अलावा वह रकम केवल इसलिये रखी गयी है कि जब हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा तो उसका केन्द्र वही संस्कृत का बनारस का कालिज होगा और इसी लिये वह कालिज की मद में वह रुपया रखा गया है। संस्कृत यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, वह किस प्रकार की यूनिवर्सिटी हो और उस में क्या परिवर्तन होना चाहिये, उसका क्या संघटन हो, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर विचार हो रहा है। लेकिन यह रुपया केवल इसलिये रखा गया है कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या इसके बाद जो आवेगा, तबतक अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी न भी बन सकी तो इस रुपये से उस कालिज का स्तर ऊंचा किया जाय जिसमें वह हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय का केन्द्र हो जाय।

इसके अतिरिक्त एक वेधशाला भी वहां इसलिये बनाई जा रही है जिसमें ज्योतिष की ऊंचे प्रकार की शिक्षा वहां दी जा सके। इसलिये उनको यह असंतोष न होना चाहिये कि संस्कृत शिक्षा के लिये इस बजट में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वह कम भले ही हो, यह दूसरी बात है। एक ऐसी भाषा के लिये जितना भी किया जाय उतना कम ही है, लेकिन यह नहीं है कि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं था या उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया। हां, इतनी ही बात कह सकते हैं कि वह कम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि शीघ्रता होनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अब मैंने खत्म ही किया।

गोवर्धन जी ने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली और यह रुपये की कमी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि समाज की सीमा, संघटन तोड़ नहीं दिया जाता है। मैं उस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज संघटन उनके सामने ही गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जमींदारों का जमींदारी विनाश कानून जो लाया गया, क्या उस से वह समाज में परिवर्तन नहीं देखते हैं? या वही समाज संगठन अब भी चाहते हैं जो इसके पूर्व था। लेकिन यह जरूरत है कि प्रजातंत्र में यह क्रिया क्रमशः हो सकती है। यह दूसरा तरीका है कि क्रांति से वह हो जाय।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लेकिन प्रजातंत्र में यदि आप किसी दूसरे समाज संगठन को लाना चाहते हैं, जिसको हम सब लाना चाहते हैं, तो वह हमारे यहां क्रमशः ही होगा और वह हो भी रहा है। लेकिन उससे धन में वृद्धि हो जायगी यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। यह तो मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत जो आपके यहां धनी लोग हैं जैसे जमींदार आज नहीं रहे, आज वह साधारण व्यक्ति हो गये, वैसे ही थोड़े बहुत पूंजीपति जो हैं वह भी साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन समाज में धन की वृद्धि तो एक ही तरह से हो सकती है। उसका एक ही श्रोत सभी मानते हैं। वह यह कि हर एक आदमी श्रम करे और धरती से पैदा करे। तो समाज के संगठन में यह गुण नहीं है कि वह यकाएक धन की वृद्धि कर देगा। उसके लिये एक ही रास्ता है कि हर एक आदमी श्रम करे और श्रम से पैदा करे। तभी समाज में धन की वृद्धि हो सकती है।

जहां तक अध्यापकों के वेतन का सवाल है मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजूकेशन का पुनर्संगठन होने वाला है उसमें कुछ स्कूल तोड़े जायं, मैं समझता हूं कि यह सम्भव हो सकता है। अभी आज ही सुबह एक जगह के आंकड़े में देख रहा था। तो यह देखा कि यह प्रसार नीति कार्यान्वित करने के पहले उस जिले में ३१७ प्राइमरी स्कूल थे और ४० हजार बच्चे थे आज वहां ५०६ स्कूल हो गये हैं और बच्चों की संख्या केवल ९ हजार बढ़ी है। अगर हम हिसाब लगायें तो एक एक स्कूल में ३७, ३८ लड़के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन स्कूलों को दूसरी जगह उठाया जा सकता है जिसमें अपव्यय न हो। शिक्षा की सुगमता को बिना कम किये हुये, शिक्षा के स्तर को बिना गिराये हुये यह संभव है कि पुनर्संगठन में हमें कुछ ऐसे स्कूलों को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह, और दूसरी जगह से उठा कर तीसरी जगह करना पड़े यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई शिक्षा में गड़बड़ी हो। जब हम कहते हैं पुनर्संगठन में यह आवश्यक होगा कि जो सुगमता इस समय प्राप्त है वह इसी प्रकार रहेगी, उसमें कमी न होगी तो फिर अगर अपव्यय रोका जा सके तो क्या हानि है? तो जो पुनर्संगठन की बात आज मैंने कही उससे मेरा केवल इतना ही मतलब था।

पहले यह बड़े जोर से कहा गया कि इन अध्यापकों से किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। लेकिन मदन मोहन जी ने इस भवन में अपने ऊपर यह भार ले लिया कि अगर सरकार उनकी इतनी मांगें पूरी कर दे तो वह अध्यापकों को समझा देंगे। यह समझाने बुझाने वाली बात तभी सम्भव हो सकती है जब कि उसका उनसे ज्यादा संबंध हो। यह सम्भव है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि डेढ़ करोड़ रुपया सरकार और इसमें दे दे तो यह अध्यापकों का सत्याग्रह हटाया जा सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी आज की परिस्थिति में उसमें डेढ़ करोड़ रुपया, जो हमारे बजट में साढ़े तीन करोड़ रुपये की कमी है, उस में डेढ़ करोड़ और जोड़ कर पांच करोड़ कर दिया जाय यह हमारे लिये असम्भव है। यह पहले ही हमने कहा और फिर दुबारा कहता हूं लेकिन वह डेढ़ करोड़ यह कहना भी गलत है। जो अगर आज डेढ़ करोड़ कहते हैं तो वही पार साल दो करोड़ होगा, दूसरे साल ढाई करोड़ होगा और इस तरह से यह बढ़ता जायगा इसलिये कि इसी तौर पर आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी जो ८५ हजार अध्यापक हैं उनको और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को दें तो एडेड इंस्टीट्यूशंस के अध्यापकों को क्यों न दें? तो इस तरह से यह तो एक ऐसी चीज है जो एक जगह अगर मान ली जाय तो उसका आगे चल कर क्या आकार होगा, यह इस समय मैं बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत सी बातें कहीं और उनका थोड़े में हमको उत्तर देना है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि अगर थोड़े बहुत समय की और आवश्यकता पड़ जाय तो कृपा करेंगे। पहली बात माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कही कि विरोधी पार्टी निम्नस्तर पर जाकर बात करने लगी

है कि वह अध्यापकों को भूख हड़ताल करने के लिये प्रेरित करती है इत्यादि। मैं समझता हूं कि सदन के साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने यह बात की। जब यह शब्द कहे गये तो मैं बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार की हड़ताल करने के लिये, भूख हड़ताल करने के लिये राजनारायण ने उसको नहीं उसकाया, उनकी पार्टी ने नहीं उसकाया, और राजनारायण या उनकी पार्टी ने यह भूख हड़ताल करवायी होती तो राजनारायण पहले व्यक्ति होते जो पहले भूख हड़ताल करते। वह माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरह पीछे रह कर बात बनाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अगर अध्यापकों की तनख्वाह को बढ़ाने की मांग रखना निम्न स्तर की बात है तो मैं एक आर्डर जो गवर्नर महोदय की तरफ से गया वह पढ़ देना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूंछता हूं कि क्या गवर्नर महोदय भी निम्नस्तर पर गये :

"The Governor has been pleased to order the that following revised scale of pay for teachers under Local Bodies should be sanctioned :"

इसमें स्केल बढ़ाया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय का भी माननीय शिक्षा मंत्री जी अपमान न करें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इसी परिपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है और मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं देखें जो कि किसी के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। इस सरकारी आदेश में लिखा हुआ है कि :

"These scales of salaries will come into effect from Ist April, 1949, and Local Bodies should take Immediate steps towards their implementation."

अगर कोई तनिक भी अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा चाहे उसके बौद्धिक विकास की मात्रा माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष आयी हो या न आयी हो तो भी वह इसका क्या अर्थ लगायेगा ? इसका अर्थ यही है कि पहली अप्रैल, सन् १९४९ से यह लागू होगा, बिल के माने यही हैं यह मैंडेटरी है रिकमेंडेटरी नहीं। आगे भी तमाम "शैल" शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि मैंडेटरी होता है रिकमेंडेटरी नहीं। अगर शिक्षा मंत्री जी इसको भी वादविवाद का विषय बनाना चाहते हों कि यह मैंडेटरी था या रिकमेंडेटरी था तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी एक्सपर्ट कमेटी में इसको भेज दिया जाय जो इसका ठीक भाष्य बता दे और मैं चाहता हूं कि उस कमेटी के चेयरमैन माननीय गृहमंत्री सम्पूर्णानन्द जी बना दिये जायं। अब श्रीमान जी जब इसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती थी तो फिर जो एक साफ करने वाला दूसरा परिपत्र भेजा गया उस परिपत्र के क्या माने थे। इसकी क्या आवश्यकता थी ? यह सरकार के इरादे में जो घपला था उस घपले का द्योतक है। समय बहुत कम है वरना ये तमाम जो पोथें यहां पड़े हुए हैं उनसे मैं सरकार के घपले को साबित करता।

एक बात और उन्होंने कही। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के आंकड़े को लेकर के हमारे आंकड़े को ग़लत समझाकर के बुद्धि विभ्रम पैदा करना चाहा। ८ लाख की जगह २४ लाख ही कहे गये। इससे कौन सी अपनी बौद्धिकता का परिचय वह देते हैं। श्रीमन्, मैं समझने में असमर्थ हूं। तीन पुस्तकें मैंने बतायीं। ५ फीसदी देने के बाद सरकार को जो मिला हुआ है वह हमारी जानकारी में ८ ही लाख होता है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी एक लाख मानते हैं, डेढ़ लाख मानते हैं, और शायद वे एक पुस्तिका मानते हैं या उनके पास जो आंकड़ा आया है वह एक ही पुस्तिका का आया है, तो उसका पूरा हिसाब बतावें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुस्तकें निकलीं। अगर वे पुस्तकें सरकार के द्वारा छापी जायं तो उससे कुल कितनी आमदनी होगी। मेरा ऐसा मत है कि अगर सरकार अपने द्वारा तमाम पुस्तकें छपवाये और उनका वितरण करवाये, तो काफी रुपया बच जाता है जिससे अध्यापकों की तनख्वाह में वृद्धि की जा सकती है।

श्री हरगोविन्द सिंह—ज्यादा से ज्यादा ५० लाख।

श्री राजनारायण—५० लाख रुपये की रक़म माननीय शिक्षा मंत्री के लिये बहुत थोड़ी होगी। परन्तु हमारे लिये बहुत काफ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐसी बातों की ओर आना चाहता हूं जिनका ज्यादातर संबंध माननीय शिक्षा मंत्री जी से है। शिक्षा मंत्री जी ने एक संकटवाद खड़ा कर दिया और तमाम ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य कहने लगे भूखा भारत चिल्ला रहा है, एक संकटवाद है और उस संकटवाद का सामना करने के लिये अध्यापक भूखा रहे, नंगा रहे, बेघर का रहे, बे मकान का रहे, और जो सरकार इस समय कहती है उनके सामने झुके। यदि अध्यापक आज सरकार के सामने नहीं झुकता है तो यह कहा जाता हैकि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहकावे में है या किसी दूसरी पार्टी के बहकावे में है। मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता था मगर कहना पड़ रहा है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं में राजनीति को प्रश्रय दिया है उस तरह से पहले किसी शिक्षा मंत्री ने प्रश्रय नहीं दिया है। किस स्कूल को रेकमेंड किया जाय, कहां के हायर सेकेंड्री स्कूल को सरकारी सहायता प्राप्त हो और कहां के हायर सेकेंड्री स्कूल को सरकारी सहायता न प्राप्त हो, यह सारी बातें पार्टी पालिटिक्स से चलती हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं कि अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने सिफारिश की है, तो उसके लिये स्वीकृति नहीं मिली है। कांग्रेस के लोग जो भिन्न-भिन्न ग्रूप बनाये हुये हैं, अगर माननीय मंत्री जी के अन्तरंगग्रूप में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिफारिश आती है, तो माननीय मंत्री जी उनकोम ान लेते हैं। जब पिछड़ी जातियों का अनुदान आयेगा तब मैं कुछ कहने के लिये तैयार हूंगा। माननीय सम्पूर्णानन्द जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय जिन जिन विद्यार्थियों को और पिछड़ी जाति वालों को स्कालरशिप मिलता था, अपने दफ्तर से आंकड़े ला करके मैं दिखा सकता हूं कि कितने व्यक्तियों का स्कालरशिप वर्तमान शिक्षा मंत्री ने बन्द कर दिया है। क्या उनकी दशा अच्छी हो गयी है? क्या उनके धन में वृद्धि हो गयी? क्यों उनके स्कालरशिप को बन्द किया गया। यह सारे आंकड़े किसी भी समय मैं इस सदन में उपस्थित करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, राष्ट्रीय निर्माण और संकटवाद की बात यहां पर कही गयी, मगर मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निर्माण में अगर माननीय शिक्षा मंत्री के कथनानुसार अध्यापकों ने सहयोग नहीं किया, जिसको मैं मानता हूं कि ग़लत है, तो शिक्षा मंत्री ने भी कोई सहयोग नहीं किया है। आज यहां पर जितने सदस्य बैठे हुये हैं, राष्ट्रीय निर्माण योजना जो आज चल रही है, उसमें उनका और तमाम नागरिकों का कुछ भी सहयोग नहीहै। आज हमारे देश पर जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जाकरके अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों को कसौटी पर कसेंगे तो माननीय मंत्री जी पायेंगे कि हम सब जितने यहां पर बैठे हुये हैं उनसे ज्यादा राष्ट्रीय निर्माणमें अध्यापकों का सहयोग हो रहा है। हम भी अपने को उसमें शामिल करतेहैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बात यह कही थी कि अगर सामन्त शाही की व्यवस्था समाप्त न की गयी होती तो इंगलैंड में इंडस्ट्रियल रेवेल्यूशन की सफलता न होती। इसीलिये हम बराबर चिल्लाते हैं कि यहां पर सामन्त शाही की व्यवस्था समूल नष्ट की जाय, यहां जमींन का बटवारा किया जाय, तब जा कर यह तमाम बातें पूरी होंगी और तब जाकर के कहीं राष्ट्रीय निर्माण होगा। केवल "राष्ट्रीय निर्माण" शब्द के प्रयोग करने से राष्ट्रीय निर्माण नहीं होगा। राष्ट्रीय निर्माण होगा उत्साह से, त्याग से और बलिदान से उसको ऊपर से आना चाहिये, केवल नीचे से बराबर किये जाने से राष्ट्रीय निर्माण नहीं हो पायेगा।

संस्कृत कालेज, बनारस, के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी यहां पर फरमाया कि उसके लिये भी रुपया रखा गया है उसको विश्वविद्यालय बनाने के लिये। क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय नहीं जानते हैं कि आज जो वहां के प्रिंसिपल महोदय हैं, उनमें जो एक प्रिंसिपल के लिये रिक्विजिट क्वालिटीज होनी चाहिये, वह विद्यमान नहीं हैं। तीन चार साल से बराबर वहां के लोग शिकायतें करते चलते आ रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रजापार्टी के होंगे।

श्री राजनारायण—इस समय प्रजापार्टी का भूत माननीय मंत्री जी के शिर पर चढ़ कर बोला करता है, और हर समय उनको इसका इलहाम हुआ करता है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वे उसी को न देखें। मैंने कल माननीय शिक्षा मंत्री जी को वहां के दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई शिकायती पत्र को दिया है। उसका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया कि प्रिंसिपल की जगह को इस समय एडवर्टीजमेन्ट करने के लिये सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया है। मगर बाद में राजनीति आई और राजनीति में आकर के माननीय शिक्षा मंत्री की उस भावना की पूर्ति नहीं हुई। यह तमाम बातें मैं नहीं चाहता था कि इस सदन के सामने रखूं मगर माननीय मंत्री जी बाध्य करते हैं कि इन बातों को सदन के सामने रखा जाय। जो सदस्य उठता है वह बधाई देता है माननीय शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने जिस प्रकार का बजट रखा है वह सुन्दर है। जो भी बजट उपस्थित हो उससे संबंधित मंत्री को धन्यवाद दिया जाता है। एक ही मुखारबिन्दु से धन्यवाद दिया जाय और फिर उसी मुखारबिन्दु से उसकी आलोचना की जाय तो यह दोनों बातें सरकारी पक्ष के सदस्यों में विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम सही मानों में शिक्षा का संचालन करना चाहते हैं और सही मानों में शिक्षा को नियन्त्रित करना चाहते हैं तो अध्यापक लोग कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि अध्यापक जिस भावना और मंशा को ले कर आये हैं उसे पूरा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिगोविन्द सिंह से) क्या आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।

जो रिकगनिशन शिक्षा वाली बात कही गयी उससे सरकार से कोई संबंध नहीं है। वह इन्टरमीजियेट बोर्ड में रिकगनिशन होता है, मैं जानता भी नहीं कि कैसे होता और कैसे नहीं होता है। जहां तक स्कालरशिप की बात है वह डाइरेक्टर देते हैं और मुझे पता नहीं कि किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है। और जहां तक बनारस के उदय प्रताप कालेज का संबंध है, बनारस के प्रजा सोशलिस्ट के एक स्तम्भ रोज मेरी जान खाये जा रहे हैं कि बनारस उदय प्रताप कालेज में कुछ कीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—शिक्षा (लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७–शिक्षा) के अन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१ के अन्तर्गत ५४,५५,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जैसा कि मालूम होगा कि इस बजट में पिछले बजट से कुछ ज्यादा रुपया हरिजन सहायक डिपार्टमेंट में रखा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम उनकी दशा देखते हैं

[श्री हरगोविन्द सिंह]

और उनकी दशा से इस धन का अनुपात जोड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इस धन का कई गुना यदि उनमें खर्च किया जाय तब शायद उनकी अवस्था कुछ सुधर सके। उनके पढ़ने के लिये तो इसमें व्यवस्था है काफ़ी। लेकिन उनके जीवन के और एसपैक्ट्स के लिये इसमें बहुत ज्यादा धन नहीं है। उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं, और न कोई जीविकोपार्जन के साधन हैं। शिक्षा का जहां तक संबंध है वह मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर काफी है। जितने भी हरिजन बच्चे हैं उनकी शिक्षा का शुरू से लेकर यूनिवर्सिटी तक लगभग तमाम भार हम सहते हैं। यह काफ़ी संख्या है। वह यदि और बढ़ती जाय तो उसके लिये सरकार सदैव तैयार रहेगी। लेकिन और दिशाओं में जितना होना चाहिये उतना तो शायद इसमें नहीं है और यदि कहा भी जा सकता है कि वह बहुत ज्यादा धन नहीं है। लेकिन उसके लिये मैं चाहूंगा कि, जैसा मैंने पहले कहा, भवन उसी जगह में रख कर विचार करे जो देश की या अपने प्रान्त की आज हालत है। यह जो इतना उनके उत्थान के लिये लगाया जाता है इसके लिये भी मैं समझता हूं कि हरिजन मंत्री होने के कारण मैं और लोगों का आभारी हूं क्योंकि जो धन बजट में है उसमें यह है कि हरिजनों के पास अधिक उत्पादन के साधन न होने के कारण जो धन हमारे प्रान्त में इसके लिये व्यय होता है उसमें उसका हिस्सा बहुत कम होता है। लेकिन इसमें यह रखा गया है कि हम उनके लिये यह प्रयत्न करें कि वह हमारे समाज में घुलमिल जावें और उनके दिलों से यह भाव निकल जाय कि वे एक नीची श्रेणी के लोग हैं, तो यह हमारे लिये एक बड़ी बात होगी। आप जानते हैं कि जो पहले कानून था जिसके मातहत कुछ जातियां जरायम पेशा कही जाती थीं उनका सेटिलमेंट भी तोड़ दिया गया और वह क़ानून भी टूट गया। लेकिन उस क़ानून के तोड़ देने से तो समस्या का कोई हल नहीं होता जब तक कि उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध न किये जावें जिनमें लगकर वह जरायम न करें। उसके लिये इस बजट में हर साल की अपेक्षा अधिक रुपया रखा गया है। १ लाख रुपया इसलिये रखा गया है कि उसमें कुछ घरेलू उद्योग धंधों का काम शुरू किया जाय। ८० हजार रुपया इसलिये है कि जो लोग खेती करते हैं उनके लिये खेती के साधन उपलब्ध किये जावें। इसी प्रकार १० हजार रुपया इसलिये रखा गया है कि सैटिलमेंट के लड़कों को शिक्षा दी जाय। डेढ़ लाख रुपया और ५० हजार रुपया वेल्स के लिये रखा गया है जो पारसाल से ज्यादा है। जहां मकानों के लिये पहले ७०,००० रुपया है वहां अब १ लाख ७० हजार कर दिया गया है। यही हरिजन सहायक बजट के मुख्य अंग हैं जो मैंने भवन के सामने प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में कुल अनुदान में एक रुपये की कटौती पेश करता हूं।

हमारे देश में जहां तक अछूत, पिछड़ी और शूद्र जातियों का संबंध है हमारे हिन्दुस्तानी लोगों और विशेषकर हमारे हिन्दू भाइयों का और ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों का बड़ा ही अजीब रुख उनके साथ रहा है और इस प्रश्न का सुलझाव पिछले ढाई हजार वर्षों से हिन्दुस्तान में नहीं हो पाया है। इसी सुलझाव के न होने के मातहत इस हिन्दुस्तान में विदेशी जातियों के आक्रमण हुये। इस्लाम की शक्ल में जब पठानों की हुकूमत आयी तो उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या के हिन्दुओं को जो लाखों की गिनती में थे बात की बात में पामाल किया। पठानों की १६ पीठी ने हिन्दुस्तान पर राज्य किया। इसके बाद मुग़ल आये और उनकी भी १२ पीढ़ियों ने हिन्दुस्तान में राज्य किया और उसके बाद अंग्रेज आये और उनकी ८ पीढ़ियों ने यहां राज्य किया। इस लम्बेकाल की गुलामी का कारण अगर पूछा जाय तो एक ही है और वह है कि यहां की पिछड़ी जातियों, शूद्र जातियों की अजीब समस्या है और उनके प्रति यहां के दीगर हिन्दू भाइयों ने अजब रुख अख्तियार किया है। स्वतंत्रता के बाद यह आशा थी कि यह समस्या सुलझेगी लेकिन आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों वैसे ही पड़ी हुई है। हिन्दुस्तान में पिछले सन् ३१ के सेन्सस के हिसाब से हिन्दुस्तान में ५१.४३ फीसदी लोग पिछड़ी जातियों के थे और २२.८५ फीसदी हरिजन भाई

थे और मुसलमान भाई ११.४ प्रतिशत थे और ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों की तादाद १४.२९ थी। कुछ कमी बेशी के साथ हमारे सूबे में भी यही हिसाब है। हमारे सूबे में पिछड़ी जाति के लोग जैसे काछी, लोध, नाई, तेली, तम्बोली, दरजी, धोबी, सोनार, लोहार, बढ़ई और अछूत जाति के जैसे चमार, कोरी, धोबी, धुनहा, धानुक, नट, कंजड़ और इसी तरह से मुसलमान भाइयों में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जैसे मोमिन, अन्सार, धुनहा, जुलहा, डफ्फाल, कव्वाल, रंगरेज, रंगसाज वग़ैरः वग़ैरः तो यह जितनी जातियां हैं उसकी तादाद आज भी हमारे सूबे में ८५ फीसदी है। अगर हम पिछड़ी जाति के मुसलमान भाइयों से ऊंची जाति के मुसलमान भाइयों को अलग कर दें तो इन पिछड़े मुसलमान भाइयों की स्थिति हिन्दू जाति के पिछड़े भाइयों के बराबर है और यह ऊंचे जाति के मुसलमान भाई करीब आधी फीसदी के हैं और उनका स्टेटस डेढ़ फीसदी के क़रीब जो ऊंची जाति के हिन्दू भाई हैं उनके बराबर है। तो दशा यह है कि आज ८५ फीसदी कौन है यही पिछड़ी हुई जातियों के भाई, चाहे वे मुसलमान हों या हिन्दू। तो ये ८५ फीसदी हैं जिनमें पिछड़े मुसलमान, पिछड़े हिन्दू और कुछ अछूत हैं। इस प्रकार से ८० प्रतिशत की समस्या की तरफ सदैव से जब कभी भी यह सवाल आता है तो जैसे कि हिन्दुस्तान के लिये है वैसे ही हमारे सूबे के लिये भी यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का कुछ हल नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर हमारी सरकार में भी और नौकरियों में भी हर जगह बोल बाला ऊंची जाति के हिन्दुओं का ही है और दबी जुबान से यह भी कहा जाता है कि कुछ ऊंची जाति के मुसलमानों का भी है। इस तरह से ऊंची जाति के हिन्दुओं और कुछ ऊंची जाति के मुसलमानों का ही हर जगह बोलबाला है और उन लोगों को कोई कहीं नहीं पूछता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे विकास के मामले में हो।

इतना जरूर है कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण इन लोगों के कुछ आंसू जरूर पोंछ दिये गये हैं और हरिजन आन्दोलन को जारी करके जो अछूत भाइयों की कुछ टोली असेम्बली में दिखाई देती है तो इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ कुछ है, नौकरियों में उनका कुछ प्रतिनिधित्व है। और जो यह टोली दिखाई देती है तो यह ऊंची जाति वाले हिन्दुओं के पिछलग्गू हैं, ऐसा ही हम कहेंगे क्योंकि जब उनकी बेहबूदी का प्रश्न आता है तब भी ऐसे लोगों का रुख देख कर प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है जैसे कि ऊंची जाति वाले मिनिस्टर्स और अधिकारी चाहते हैं। या जो राजनैतिक पार्टी चाहती हैं जिनमें अधिकतर ऊंची जाति वालों का ही बहुमत रहता है। जैसा वह लोग चाहते हैं उसी हिसाब से यह लोग चलते हैं। इस हिसाब से यहां की असेम्बली में हरिजनों की तादाद ८४ है। इससे यह नहीं है कि बड़ा भारी मरहला हल हो गया हो। मैं तो समझता हूं कि दस साल के रिजर्वेशन के बाद भी हल नहीं हो सकता है, न अभी हल हो रहा है और न भविष्य में हल होने की उम्मीद ही है। इसकी मिसाल के लिये मैं ५०० वर्ष के बौद्ध धर्म के प्रचार को लूंगा क्योंकि बुद्ध जी ने.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बजट के ऊपर आ जायं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब उनके समय में २-३ मिनट ही बाक़ी रह गये हैं।

श्री वंशीदास धनगर—मैं कहूंगा कि ५०० वर्ष के बाद ज्योंकि त्यों दशा हो गई है और अब भी ज्यों त्यों उनकी समस्या ही लगी हुई है। यदि सही प्रकार से कहा जाय कि हमारे हरिजन भाइयों के प्रति जो हमारी सरकार का रुख है वह सौतेली मां का सा है और दूसरे अछूत भाइयों के प्रति जो व्यवहार सरकार का है जो नान हरिजन हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार है जैसा कि भगौड़ी मां के साथ किया जाता है। जैसे कि वह करती है और उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उनका मजा बना रहता है और जब उसका मजा पूरा हुआ तो वह भाग निकलती है।

पिछड़ी जाति के लोगों के साथ सरकार का बर्ताव इस तरह का है जैसे किसी बाप की रखैल

[श्री वंशीदास धनगर]

औरत हो और वह बच्चे भी पैदा करती जाय और बाद में उसके मजे में फर्क आये तो वह अलग हो जाय। यही हालत इनके साथ है....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उदाहरण जरा थोड़े से और भी सभ्य समाज के लायक हों तो अच्छा है।

श्री वंशीदास धनगर—हमारे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा रुपया जो इस प्रकार से इसके लिये रख दिया जाता है उससे कुछ भला नहीं होता है। असली भलाई तो देहाती समस्या को सही प्रकार से हल करने से है। उनकी शिक्षा का काम बहकावे और बातों से नहीं चल सकता। आज संसार में भौतिकवाद का बोलबाला है। इस भौतिकवाद में थोड़े से वजीफे देकर पिछड़ी जातियों का मसला हल नहीं हो सकता। वजीफे देकर इनको कुछ दिनों के लिये टरकाया जाय इससे काम नहीं चल सकता। इनकी वास्तविक स्थिति इतनी खराब है कि उसका सुधारना बहुत आवश्यक है। इनमें से ९८ फ़ीसदी किसान और मजदूर हैं और मजदूरों की संख्या अधिक है। मैं समझता हूं कि इनकी समस्या को सुलझाने के लिये उनकी जितनी तादाद है उस हिसाब से एजूकेशन विभाग से उन पर रुपया खर्च किया जाय। जब तक उनकी तादाद के हिसाब से उन लोगों को अलग से रुपया नहीं दिया जायगा तब तक उनके सुधार में कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। पंचवर्षीय योजना का नाम जो बड़े जोरों के साथ लिया जाता है, अगर यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तो उस योजना में इस प्रश्न को लिया जाना चाहिये था। उनके भौतिक विकास के लिये, उनकी शिक्षा के लिये उन पर उतना रुपया खर्च नहीं किया जाता है जितनी कि उनकी तादाद है। और जब तक उनके लिये अलग से उनकी तादाद के हिसाब से रुपया नहीं रक्खा जाता है तब तक मैं समझता हूं कि उन लोगों का कोई वास्तविक सुधार नहीं हो सकता है। हमारी सरकार इस प्रश्न को बहुत मामूली प्रश्न समझती है लेकिन मैं जब सही प्रकार से सोचता हूं तो मैं यह समझता हूं कि यह समस्या हमारी सरकार के लिये इतनी विकट समस्या हो जायगी कि आज जो मास्टरों का आन्दोलन हो रहा है या स्वीपर्स के आन्दोलन हो रहे हैं या पटवारी भाइयों के आन्दोलन हो रहे हैं, ये सब आन्दोलन उनकी समस्या के आगे पासंग के समान हो जायेंगे क्योंकि ये लोग भारतवर्ष में इतनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सही प्रकार से चेतना अभी नहीं हो पाई है।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो पिछड़ी जातियों के लिये है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं। पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान शिक्षा से ही नहीं होगा, बल्कि इसके लिये ४, ५ बातों की आवश्यकता है और वह यह है—पहिली शिक्षा, दूसरी भूमि, तीसरी उद्योग, चौथी नौकरी और पांचवीं अमानुषिक व्यवहार। जैसे छूतछात और भेदभाव का व्यवहार जो उनके साथ होता है वह बन्द हो जाय। यह ५ बातें हमारी सरकार भी करना चाहती है और उनको पूरा करने के लिये उनकी मदद भी करती है। शिक्षा के सम्बन्ध में सन् ४६ में यह अनुदान ६ लाख ९७ हजार था लेकिन बढ़ते बढ़ते सन् ५३ में ४९ लाख हो गई। उस वक्त इस शिक्षा अवधि में शिक्षा मंत्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द थे जिनको यह श्रेय दिया जा सकता है और जिनकी वजह से यह अनुदान ७ गुना हो गया। उनके प्रयत्न से ही यह हुआ है। अब इस वक्त यह अनुदान ५४ लाख ६२ हजार दो सौ है। वैसे तो यह बहुत कुछ बढ़ चुकी है लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मंत्री जी ने बतलाया यह बहुत अहम सवाल है और इस मसले के लिये करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। ठीक मैं भी यही कहता हूं। कम से कम दो करोड़ रुपया हो तो तब इस मसले का हल हो वरना जो कुछ प्रश्न आज हमारे

सामने है वे कम नहीं होंगे। लेकिन अब आशा है कि अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा और आगे बढ़ते गये तो बहुत कुछ सुधार हो सकेगा। मुझे तो यही सुझाव देना है कि एक तो शिक्षा के बारे में, दूसरे भूमि के सवाल के बारे में और उद्योग के बाबत किसी कदर सरकार ने सहायता दी है लेकिन अभी देना बाकी है, जितना होना चाहिये था उतना अभी नहीं हुआ। उसके बारे में भी अभी सवाल पेश है। सरकार ने सहायता तो दी है। मैदान में या पहाड़ों में जहां भी पिछड़ी हुई जातियां हैं वहां सब जगह एक ही बीमारी है जिसका इलाज तो हो रहा है और वह सरकार ने किया है। लेकिन जैसे किसी बीमार की बीमारी का इलाज होता है और जब वह बीमार आदमी बीमारी से अच्छा हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख पैदा हो जाती है। यही हालत इस समय हरिजनों की हो रही है। वह चाहते हैं कि जितना मिल रहा है उससे और ज्यादा मिले। इसलिये अब सवाल यह है कि यह भूख कैसे मिटेगी ? वह मिटेगी भूमि से, उद्योग से और नौकरियों से। भूमि कुछ थोड़ी दी गयी है लेकिन बहुत कुछ देने की आवश्यकता है, उद्योगों में थोड़ी बहुत सहायता दी गयी लेकिन बहुत कुछ देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ नौकरियों में जो १० फीसदी हरिजनों को दी गयी हैं वह भी ठीक अमल में नहीं लायी गयीं। उनकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर भी ख्याल किया जाय और इसके साथ ही साथ अमानुषिकता है, उनको अछूत कहा जाता है, उसको भी दूर करने की जरूरत है। इसलिये सरकार ने सामाजिक असमर्थता बिल बनाया, अभी इस बारे में भी नाम-मात्र का कार्य हुआ है। समयाभाव से मैं और कुछ नहीं बता सकता केवल संकेतमात्र ही करता हूं कि सरकार इन सब बातों को कार्यान्वित करे और हमारे माननीय मंत्री जी इसकी कोशिश करें क्योंकि यह अनुदान उन्हीं के हाथ में है। इसके साथ ही साथ मैंने पहाड़ों की जमीन के लिये बरसों से सवाल पेश कर रक्खा है। ५० हजार एकड़ भूमि की मांग पेश कर रक्खी है। सरकार मेरी इस मांग को जांच करने की कोशिश करे और हरिजनों को वह दी जाय। मैं वहां के रहने वालों में ४५ बरस से काम करता हूं और वहां की हालत को भली प्रकार जानता हूं, मेरा यह कहना है कि वहां की समस्या पर पूरी तरह विचार नहीं हुआ है। जब तक पूरी तरह से उस पर अमल नहीं हो जायगा तब तक यह रोना खत्म नहीं होगा। उदाहरणार्थ मां अपने काम में लगी हुई है, बच्चा रोता है, बच्चे के रोने में ताकत है, वह दूध के लिये मां को मजबूर कर सकता है, उसी प्रकार हरिजन लोगों की सरकार से प्रार्थना है। जब तक उनकी उदरपूर्ति नहीं होगी तब तक उनकी चिल्लाहट भी खत्म नहीं होगी। आशा है सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करेगी। क्योंकि वह काम सरकार के लिये यथाशीघ्र करना आवश्यक है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त मुझे आपकी मेहरबानी और कृपा से बोलने का समय मिल गया। जहां तक हरिजनों की ग्रांट का सम्बन्ध है उसके बारे में एक वाक्य महात्मा गांधी का है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"Swaraj (or independence), wrote Gandhiji in Young India of the 25th May, 1921 is a meaningless term if we desire to keep a fifth of India under perpetual subjection.....Inhuman ourselves. We may not plead before the Throne for deliverance from the inhumanity of others. Democratic India must therefore make the improvement of under-privileged section of the community as one of its first tasks. Victims of misfortune, millions of men and women have submitted to this fate for thousands of years."

[श्री जयपाल सिंह]

[२५ मई, १९२१ के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि स्वराज्य (या स्वतन्त्रता) निरर्थक शब्द है यदि हम भारतवर्ष के पंच मांश को निरन्तर पराधीनता में रखना चाहें... हमारे लिए भी यह अमानुषिक है। हम चाहे सिंहासन के समक्ष अन्य लोगों की अमानुषिकता की मुक्ति के लिये प्रतिपादन न करें किन्तु जनतंत्र भारत को सर्वप्रथम समुदाय के अन्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए सुधार कार्य करना चाहिए। लाखों स्त्री-पुरुषों को हजारों वर्षों तक इस दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा है।]

श्री अध्यक्ष —मैं समझता हूं कि आप इसका खुलासा थोड़ा कर दें।

श्री जयपाल सिंह—इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने कहा कि अगर हिन्दुस्तान स्वतंत्र भी हो जाता है तो १।५ हिस्सा गुलाम बने रहने से जो स्वराज्य की परिभाषा है वह अधूरी रह जायगी, वह बेमानी रह जायगी। इसलिये हिन्दुस्तान के जनतंत्रीय राज्य में छोटी और पिछड़ी हुई जातियां जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से गुलाम रही हैं उनकी उन्नति करना सबसे पहला काम है, यह इसमें कहा गया है। इस तरीके से मैं एक शब्द याद दिलाने के लिये कहना चाहता हूं कि माननीय जगजीवनराम ने नागपुर के सेशन में यह कहा था कि देश स्वतंत्र हुआ उसे स्वराज्य मिल गया, लेकिन दलितों की झोपड़ियों में अभी तक अंधकार है, वहां स्वाधीनता सूर्य की किरणों का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। यह सत्य है जब डिप्टी मिनिस्टर साहब महोदय टेहरी गढ़वाल में जाकर यह कहते हैं कि स्वराज्य जो है वह दरख्त पर लटका हुआ है, अभी जमीन पर नहीं आया हुआ है। मैं कहता हूं कि उनका यह कथन बिल्कुल सही है और मैं इसको शत प्रतिशत मानता हूं। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई मर्तबा इस बात को दोहराया है कि हरिजनों के सम्बन्ध में जितने ग्रान्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जितने रुपये की जरूरत पड़ेगी उसके लिये मैं कहीं न कहीं से रुपया लाकर दूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें बराबर कमी होती जा रही है। अब आप देखें कि पिछले दिनों एजूकेशन के सिलसिले में २६,७२,७०० रु० दिया गया था लेकिन इस समय २६,६९,९०० रु० रखा गया है। यह जो डेढ़ करोड़ हरिजनों की समस्या है उसके लिये २,८०० रु० की कमी कर देना कहां तक न्यायसंगत है? इसी प्रकार अगर आप हरिजनों की शिक्षा पर देखें तो २.८७ पाई पर हेड खर्च होता है। तीन करोड़ हरिजनों को सामने रखें तो कुछ एक लाख १० हजार रुपया खर्च होता है। आइडियल हरिजन बस्ती के लिये ७,३०० रु० खर्च किया जा रहा है। यदि आप आइडियल बस्ती को देखें तो पता लगेगा कि गोंडे में जहां ४० मकान बने थे वे साल भर के बाद ही गिर गये। इस तरह की आइडियल बस्ती बसाना जहां के मकान साल भर भी नहीं रह सकें इस तबके के साथ एक मजाक है। मैं समझता हूं कि पिछड़ी जाति के लोग जिनमें मोमिन व हरिजन भी शामिल हैं साढ़े ४ करोड़ के हिसाब से फी आदमी खर्च ७ पाई पड़ता है और अगर ५४ लाख पर ही हिसाब लगाये तो दो आना फी आदमी पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि यह कल्याण होने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने २,३६,२०,००० रु० के लिये सिफारिश की है लेकिन बम्बई में देखा जाय तो २,१३,००,००० रु० है। इसी तरह से मद्रास को देखा जाय तो ४,६७,६०,००० रु० है। इस तरह से मैं देखता हूं कि वहां की आबादी से हमारे यहां की आबादी में दुगुना फर्क है लेकिन हमारे यहां रुपया कम हो रहा है जब कि मैं समझता हूं कि हमारे यहां ज्यादा होना चाहिये। अगर आप पिछले साल के बजट पर नजर डालें तो देखेंगे कि हमारे यहां बराबर कमी होती जा रही है। पिछले दिनों हरिजन शिक्षा विभाग की करीब १३ लाख की डिमांड थी उसमें हम लोगों ने कुछ तरमीम करके उसे साढ़े ४७ लाख तक पहुंचा दिया लेकिन वह कम हो गया। मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो गया। हरिजन

[श्री जयपाल सिंह]

[२५ मई, १९२१ के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि स्वराज्य (या स्वतन्त्रता) निरर्थक शब्द है यदि हम भारतवर्ष के पंच मांश को निरन्तर पराधीनता में रखना चाहें... हमारे लिए भी यह अमानुषिक है। हम चाहे सिंहासन के समक्ष अन्य लोगों की अमानुषिकता की मुक्ति के लिये प्रतिपादन न करें किन्तु जनतंत्र भारत को सर्वप्रथम समुदाय के अन्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए सुधार कार्य करना चाहिए। लाखों स्त्री-पुरुषों को हजारों वर्षों तक इस दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा है।]

श्री अध्यक्ष —मैं समझता हूं कि आप इसका खुलासा थोड़ा कर दें।

श्री जयपाल सिंह—इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने कहा कि अगर हिन्दुस्तान स्वतंत्र भी हो जाता है तो १।५ हिस्सा गुलाम बने रहने से जो स्वराज्य की परिभाषा है वह अधूरी रह जायगी, वह बेमानी रह जायगी। इसलिये हिन्दुस्तान के जनतंत्रीय राज्य में छोटी और पिछड़ी हुई जातियां जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से गुलाम रही हैं उनकी उन्नति करना सबसे पहला काम है, यह इसमें कहा गया है। इस तरीके से मैं एक शब्द याद दिलाने के लिये कहना चाहता हूं कि माननीय जगजीवनराम ने नागपुर के सेशन में यह कहा था कि देश स्वतंत्र हुआ उसे स्वराज्य मिल गया, लेकिन दलितों की झोपड़ियों में अभी तक अंधकार है, वहां स्वाधीनता सूर्य की किरणों का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। यह सत्य है जब डिप्टी मिनिस्टर साहब महोदय टेहरी गढ़वाल में जाकर यह कहते हैं कि स्वराज्य जो है वह दरख्त पर लटका हुआ है, अभी जमीन पर नहीं आया हुआ है। मैं कहता हूं कि उनका यह कथन बिल्कुल सही है और मैं इसको शत प्रतिशत मानता हूं। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई मर्तबा इस बात को दोहराया है कि हरिजनों के सम्बन्ध में जितने ग्रान्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जितने रुपये की जरूरत पड़ेगी उसके लिये मैं कहीं न कहीं से रुपया लाकर दूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें बराबर कमी होती जा रही है। अब आप देखें कि पिछले दिनों एजूकेशन के सिलसिले में २६,७२,७०० रु० दिया गया था लेकिन इस समय २६,६९,९०० रु० रखा गया है। यह जो डेढ़ करोड़ हरिजनों की समस्या है उसके लिये २,८०० रु० की कमी कर देना कहां तक न्यायसंगत है? इसी प्रकार अगर आप हरिजनों की शिक्षा पर देखें तो २.८७ पाई पर हेड खर्च होता है। तीन करोड़ हरिजनों को सामने रखें तो कुछ एक लाख १० हजार रुपया खर्च होता है। आइडियल हरिजन बस्ती के लिये ७,३०० रु० खर्च किया जा रहा है। यदि आप आइडियल बस्ती को देखें तो पता लगेगा कि गोंडे में जहां ४० मकान बने थे वे साल भर के बाद ही गिर गये। इस तरह की आइडियल बस्ती बसाना जहां के मकान साल भर भी नहीं रह सकें इस तबके के साथ एक मजाक है। मैं समझता हूं कि पिछड़ी जाति के लोग जिनमें मोमिन व हरिजन भी शामिल हैं साढ़े ४ करोड़ के हिसाब से फी आदमी खर्च ७ पाई पड़ता है और अगर ५४ लाख पर ही हिसाब लगाये तो दो आना फी आदमी पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि यह कल्याण होने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने २,३६,२०,००० रु० के लिये सिफारिश की है लेकिन बम्बई में देखा जाय तो २,१३,००,००० रु० है। इसी तरह से मद्रास को देखा जाय तो ४,६७,६०,००० रु० है। इस तरह से मैं देखता हूं कि वहां की आबादी से हमारे यहां की आबादी में दुगुना फर्क है लेकिन हमारे यहां रुपया कम हो रहा है जब कि मैं समझता हूं कि हमारे यहां ज्यादा होना चाहिये। अगर आप पिछले साल के बजट पर नजर डालें तो देखेंगे कि हमारे यहां बराबर कमी होती जा रही है। पिछले दिनों हरिजन शिक्षा विभाग की करीब १¾ लाख की डिमांड थी उसमें हम लोगों ने कुछ तरमीम करके उसे साढ़े ४७ लाख तक पहुंचा दिया लेकिन वह कम हो गया। मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो गया। हरिजन

सहायक बोर्ड के डिमांड में भी बराबर कमी होती जा रही है। सप्लीमेंटरी ग्रांट में तो ७१ लाख ६६,६०० रुपया था लेकिन रिवाइज्ड बजट में ६१ लाख की रह गया। इस तरह से उसमें बराबर कमी होती जाती है। कहने के लिये तो बजट रिसट में ५४, ५५ लाख दिखला दिया जाता है लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे इसमें बराबर कमी होती जाती है और उसमें कम ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह से मैं सर्विसेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरियों के सम्बन्ध में पहले से ही एक जी० ओ० आया हुआ है लेकिन उस जी० ओ० के सम्बन्ध में शिकायत आयी है कि उसके अनुसार नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का भी एक एलान निकाला हुआ है लेकिन फिर भी अछूतों के साथ पक्षपात किया जाता है। भारत सरकार के एलान में यह कहा गया है कि अछूतों की नौकरी के सम्बन्ध में जो इसके खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में बराबर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ऐसा जी० ओ० में कहा गया है कि अगर सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलता है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखकर उसको प्रोबेशन पर नौकर रखा जा सकता है लेकिन बावजूद इसके कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहां पर अछूतों को नौकर नहीं रखा जाता है। हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अभी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिये नायब तहसीलदारों को नौकरी पर रखा गया है। उसमें मैं समझता हूं कि साढ़े सत्रह हजार में से उनको कोई अछूत नहीं मिला। यहां पर माननीय पुलिस मंत्री मौजूद नहीं हैं। मैं उनको बताऊं कि सहारनपुर में एक हरिजन को सेलेक्ट नहीं किया गया बावजूद इसके कि वह सेलेक्शन में पास हो गया लेकिन उसको नहीं लिया गया सिर्फ इस वजह से कि वह एक पर्टीकुलर जाति का नहीं था और उनमें से एक आदमी को सलेक्ट किया गया जो कि एक सिफ़ारिशी आदमी था और जिसकी एक बड़े आदमी ने सिफ़ारिश की थी। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी विभागों में इस तरह से हमारे साथ जो पक्षपात किया जाता है यह उचित नहीं है। जहां भी मैं देखता हूं सब जगह हम से श्रमदान लिया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग भी हम लोग बनाते हैं लेकिन जब उनकी नौकरी का प्रश्न आता है तो उसमें दूसरी जाति के लोगों को ले लिया जाता है। यह तरीका सही नहीं है। मैंने इसी तरीके से इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में देखा कि वहां पर कई होस्टल हैं लेकिन उनमें तफरका सिर्फ इसलिये किया गया है कि चूंकि वहां पर हरिजन विद्यार्थी कुछ रहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके को बदला जाय।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो आपने मुझको बोलने के लिये पहली बार अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर प्रथम बार ही अनुसूचित जातियों के लिये बोलने को खड़ा हुआ हूं। जो बजट माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसके विषय में कुछ प्रकाश डालने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज जो दशा अछूतों की है उसको सभी जानते हैं। किसी देश में समाज के ऊपर एक ही शासन होता है लेकिन भारतवर्ष में दुर्भाग्य से हरिजनों के ऊपर डबल शासन होता है। एक तो हुकूमत का शासन है और दूसरा समाज का शासन होता है और वह भी पीढ़ीदर पीढ़ी से चला आता है। स्वतन्त्रता की आवाज सुन कर हम लोग ताक लगाये हुये बैठे थे कि आजादी मिलने पर हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। लेकिन स्वतंत्रता मिली और जैसा कि हमारी कांग्रेसी सरकार ने वादा किया था और उसके लिये वैसा करने को वह कटिबद्ध थी, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसा वायदा किया था या जो अछूतों की दशा है, उसको करने के लिये वास्तविक रूप से जैसा कहा जाता है वैसा नहीं किया जाता है। आज हमारे यहां हरिजन सहायक विभाग हैं। प्रतिवर्ष यह चर्चा होती है कि उनके उत्थान के लिये सभी काम किये जायंगे

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

हालांकि पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उससे इस साल के बजट में ज्यादा रुपया रखने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे जिस तरह से घुमाफिरा कर रखा जाय इस साल पिछले वर्ष से कम रुपया रखा गया है। मैं आपको बतलाता हूं कि पिछले वर्ष १९५२-५३ के लिये ४९,६१,७०० रुपया रखा गया था, फिर दिसम्बर में ३,९३,१०० रुपये की वृद्धि हुई और फिर फरवरी में ७,७३,५०० रुपये और खर्च किये गये। यह कुल मिला कर ६१,२८,३०० रुपये दिये गये। इस साल ५४,५५,२०० रुपये दिये गये हैं। जब मैं इसको देखता हूं तो यह मालूम होता है कि ६,७३,१०० रुपये पिछले साल से कम दिये गये हैं। मैं यह देखता हूं कि इस बजट में जो रुपया रखा गया है वह अछूतों के उत्थान के लिये बहुत कम रुपया है और इसी प्रकार से जैसा कहा जाता है वैसा किया नहीं जाता है और अगर हम लोग किसी तरह की आवाज उठाते हैं तो हमें डर मालूम होता है और बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी भी एक प्रकार से हमें धमकी देते हैं और हम अपनी पुकार को कहने के लिये खड़े होते हैं लेकिन किसी कारणवश कह नहीं सकते। शिक्षा में हमने देखा कि इस वर्ष २६,६९,६०० रु० रखा गया है जब कि पिछले साल २६,७२,७०० रुपया रखा गया था। इस तरह से उसमें भी कमी कर दी गई है जब कि शिक्षा एक बहुत ही जरूरी चीज है। आशा की जाती थी कि इस साल पिछले साल से अधिक रुपया रखा जायगा लेकिन फिर भी बहुत कम रखा गया है। बराबर इस विषय में यहां कहा जाता है लेकिन सरकार की वितरण व्यवस्था ऐसी है कि कांग्रेस सरकार अगर रुपया देती भी है तो उसका सदुपयोग नहीं होता इस तरह की यहां की मशीनरी है। कुओं के लिये रुपया दिया जाता है लेकिन पता नहीं किस प्रकार उसका वितरण होता है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव की तरफ से भी कुएं बनते हैं जनरल ग्रांट में से, लेकिन चूंकि हरिजन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये उसका लाभ भी कुछ ऊंचे लोग ही उठा लेते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रमाण के लिये मैं बता सकता हूं। मकानों की ग्रांट का भी पता नहीं लगता कि किस तरह से उसको व्यय किया जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो कुछ भी सरकार रुपया दे उसका ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि जो कुछ भी वह हरिजनों के नाम पर दे उसका दुरुपयोग न हो और सदुपयोग हो। हरिजन सहायक विभाग जो है वहां पर भी धांधली होती है, पता नहीं वह किस तरह से स्कालरशिप देते हैं, कुओं की ग्रान्ट देते हैं और वहां से हमेशा उल्टा सीधा ही जवाब मिलता है और जिसकी वहां पहुंच हो जाती है उसी का काम बन जाता है।

हरिजन उत्थान का डंका बजाया जाता है लेकिन उनकी राजनैतिक गुलामी तो खत्म हो गई है पर देहातों में जो सामाजिक गुलामी है वह अभी बाकी है। अब भी देहातों में वह हरिजन जो चमार कहलाते हैं और जो चमारिन वगैरह हैं वह रात दिन नाल वगैरह काटती हैं, लेकिन उनको उसके लिये क्या मजदूरी दी जाती है उसको सरकार नहीं देखती है और न उसके उद्धार के लिये ही कुछ किया जाता है। आज भी जो मवेशी मर जाते हैं और जिसको चमार चमारिन उठा कर ले जाते हैं उसके लिये चरसा वसूल किया जाता है, उसके लिये लिखा पढ़ी भी की जाती है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। जवाब मिलता है कि यह तो पहले से ही चला आता है। जब कि सुधार का डंका पीटा जाता है तो इस तरह की बातें न होनी चाहिये। वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब हर पार्टी की तरफ से हरिजनों के लिये आवाज उठाई जाय और हम लोग भी अब सोये नहीं हैं और अगर सरकार हमारी कन्धे से कन्धा मिला कर मदद करें तो हम भी अपनी उन्नति चाहते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इन सब बातों की तह में जाकर, देखकर और समझ कर इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि जो तमाम त्रुटियां हैं उन सबकी तह में जाकर देखें और तमाम

खराबियों को दूर करने के लिये कटिबन्द्ध तैयार हो जायं तभी उनका वास्तविक सुधार हो सकता है और कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई लाभ न होगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह समाज के एक आवश्यक अंग से सम्बन्ध रखता है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है चाहे हम सामाजिक दृष्टि से देखें या किसी शिक्षा की दृष्टि से देखें। हमारी सरकार का दावा है कि :—

सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वेन्तु निरामयाः।
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुखमनुभवेत् :।।

अर्थात् हमारे राज्य में कोई दुखी न हो, कोई रोगी या और किसी कष्ट में न रहे लेकिन हम देखते हैं कि इस राज्य में कम से कम ५० फीसदी पिछड़ी हुई जनता है और इसके अतिरिक्त करीब २२ फीसदी हरिजन जनता ऐसी है जिसका जीवन स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। और उनके लिये हमारी सरकार ने जनरल एजूकेशन के साथ साथ एक विशेष व्यवस्था की है कि वह अपने जीवन को उठा सकें और वह जातियां जो एजूकेशन में ऊंची हैं और ऊंची जाति कहलाने वाली हैं उनके साथ एक तालमेल कर सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि इतनी बड़ी आबादी के लिये एक समान जीवन स्तर लाने के लिये जो रकम बजट में प्रोवाइड की गयी है वह सिर्फ ५४,५५,२०० रुपया है, जिसमें २१,७०,१०० रुपया उन कार्यों के लिये रखा गया है जिसमें कि प्रबन्ध या अधिकारियों का वेतन और निर्माण कार्य है। अछूत जातियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये केवल २६,६९,९०० रुपया रखा गया है जो पारसाल से भी कम है और ५० फी सदी जातियों के लिये जो कि आबादी का आधा हिस्सा है उसके लिये सिर्फ ६,१५,२०० रुपया रखा गया है। यह इतनी बड़ी आबादी के लिये जो ५० फीसदी है मजाक सा मालूम पड़ता है कि इससे इन जातियों का क्या उत्थान होगा। इस रुपये से अधिकांश, मैं जानता हूं कि वजीफे दिये जाते हैं। उन वजीफों की हालत यह है कि विद्यार्थियों को वह भी समय पर नहीं मिलते हैं। जब तक वजीफे तय हो पाते हैं तब तक उनका साल का अधिकांश हिस्सा निकल जाता है। जो कमेटियां जिलों में बनी हुई हैं और वजीफे देती हैं उनमें कोई भी बैकवर्ड जातियों का मेम्बर नहीं रखा जाता है, इसलिये जो भी वजीफे दिये जाते हैं वह भी ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूट नहीं होते हैं।

श्रीमान् जी, मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे में करीब साढ़े छः करोड़ आबादी है, उसमें १४ फीसदी उच्च जातियों के लोग हैं, ५० फीसदी करीब पिछड़ी जातियों के हैं, २२ फीसदी अछूत जातियां हैं और करीब ११ फीसदी मुसलमान भाई या अन्य भाई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक हमारी सरकार यह कहती है कि हम किसी को दुःखी नहीं देखना चाहते हैं और सबको उनका वाजिब देना चाहते हैं लेकिन यह केवल कहने ही की बातें मालूम पड़ती हैं और जो बर्ताव होता है वह दूसरी ही तरह का होता है। हम देख रहे हैं कि नौकरियों की बात लीजिये तो हमारे सूबे में जो कि सन् १९५२ की सिविल लिस्ट है उसमें गजटेड अफसरों की कुल संख्या ५,१४४ है। उनमें उच्च जातियों के ४,६४२ हैं, पिछड़ी जातियों के सिर्फ ३० हैं, हरिजन जातियों के ३५ हैं, मुसलमान भाई ४३७ हैं। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो कि ८० फीसदी या ७० फीसदी जनता है, जो कि पिछड़ी हुई है, यह मालूम पड़ता है कि उनका अनुपात इसमें बहुत ही कम या नगण्य रखा गया है। जब तक इनका विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक ये जातियां तरक्की नहीं कर सकती हैं।

[श्री विष्णु दयाल वर्मा]

इसी तरह से विधान सभा के मेम्बरों में देख लीजिये। केवल अछूतों के लिये तो एक अलग से आपके विधान में प्रावीजन है, इसलिये ८४ मेम्बर हैं, लेकिन पिछड़ी हुई जातियों का कोई प्रबन्ध इस तरह का नहीं है इसलिये उनके सिर्फ ३९ सदस्य हैं। ५० फीसदी में सिर्फ ३९ पिछड़ी जातियों के और अन्य जातियों के २३७ हैं। इस तरह से ४३० की संख्या है।

हमारा जो मंत्रिमंडल है उसमें भी उच्च जातियों के ९ मंत्री हैं, पिछड़ी जातियों का एक भी नहीं है, हरिजन एक मंत्री है, मुसलमान दो हैं। उपमंत्री ६ उच्च जातियों के हैं, पिछड़ी जातियों के कोई नहीं हैं, हरिजन कोई नहीं है, मुसलमान एक उपमंत्री है और सभासचिव सिर्फ दो तो हैं हरिजन, दो उच्च जातियों के और केवल एक पिछड़ी जाति के और एक मुसलमान है। तो यह सरकार का दावा कि हम सबको सबका वाजिब देते हैं, तो यह तो वाजिब नहीं मिल रहा है। यदि आप क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो जब तक पिछड़ी जातियों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक वह चीज नहीं बन सकती है। जिस तरह से उन्होंने अछूतों के लिये प्रबन्ध किया है उसी तरह से बैकवर्ड जातियों के लिये भी करना चाहिये। मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार यह दावा करती है कि पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए हम मार्ग दिखा रहे हैं, हम इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मेहतरों की हड़ताल में कितना उनको परेशान किया गया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी बतलाया था कि हमारे जो प्राइमरी अध्यापक हैं उनकी तनख्वाह पहले से करीब साढ़े तीन गुना बढ़ गई है लेकिन मेहतरों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है? उनकी हालत कितनी सुधरी है? उनके लिए क्या प्रबन्ध किया गया है? जो प्रबन्ध वह कर रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं कि ठीक नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के लिये इतना रुपया मंजूर करना काफी नहीं है। उनके लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये और तभी उनका उत्थान हो सकता है। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि अगर उनको वास्तविक दशा सुधारने की बात है तो उनके लिये नौकरियों में उच्च जातियों पर रोक लगा करके इन जातियों का नम्बर बढ़ाया जाय। तभी वह जातियां उन्नति कर सकती हैं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह जो माननीय मंत्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करते हुए दो शब्द कहूंगा। किसी भी जाति का उत्थान और पतन उस देश या उस प्रदेश की हुकूमत पर ही निर्भर है। जब कि सदियों से यह हरिजन सम्प्रदाय गर्त में पड़ा बिलबिला रहा था इसकी मानवता तथा आर्थिक और सामाजिक ढांचे को विदेशी सरकार ने चकनाचूर कर दिया था उस अवस्था में महामानव, मजदूरों और किसानों तथा हरिजनों के हृदय सम्राट् वीर सेनानी पूज्य बापू जी हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए खड़े आगे आये। स्वतंत्रता हासिल हुई, स्वतंत्रता हासिल होने के बाद जिस समाज को विदेशी सरकार ने चकनाचूर कर दिया था उस समाज के बच्चों ने अपने को लम्बी इमारतों में जो आंखों से टकरा जाती है, उन भव्यशाली शिक्षा भवनों में पाया। कालेजों और विश्वविद्यालयों की सीढ़ियों पर चलते हुए उन्होंने भी देश के अन्य नवजवानों की तरह अपने को नव-जवान साबित किया। फिर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़े हुए हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और शनै-शनैः अपने बजट में इसको ऊंचा स्थान दिया। गत वर्ष यह अनुदान जब कि ४९ लाख रुपये की तादाद में था, इस साल ५४ लाख कई हजार रुपये की तादाद में यह अनुदान है। इस पर भी कहा गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर, इस प्रान्त के अन्दर हरिजनों का उत्थान इस बजट में नहीं हो सकता। तो मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं, अभी--अभी हमारे माननीय सदस्य धनगर जी ने जो एक लम्बी तकरीर दी है उनसे मैं यह पूछना

चाहता हूं कि आपने इतिहास उठा कर के देखा होगा। किसी भी जाति के लिए, किसी भी सम्प्रदाय के लिये, किसी भी हुकूमत ने इस तरह का साधन नहीं दिया होगा जिस तरह कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ी जाति के लिए, गर्त में पड़ी हुई जाति के लिए दिया है। जब कि हमारे वह हरिजन बच्चे हिन्दुस्तान की शिक्षा ही नहीं बल्कि विदेशों की शिक्षा में भी अपने को ले जाना चाहते हैं और वहां की अच्छी अच्छी शिक्षा और उद्योग-धंधों और अन्य चीजों का वह अध्ययन चाहते हैं, उसके लिये भी हमारी सरकार का खुला हुआ दरवाजा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्रीमान् कि विरोधी दल के भूतपूर्व एम० एल० ए० गजाधर प्रसाद जी पहले इसी सदन में थे जिनके लड़के ने हिन्दुस्तान की ही तालीम तक अपने को नहीं रखा बल्कि अमेरिका की तालीम में जाकर सरकार के ६५ हजार रुपये को खर्च करके वहां की ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। यही नहीं देवरिया जो सब से पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है वहां के हमारे भाई सीताराम जी हैं जिनके ऊपर सरकार ने ५५ हजार रुपये खर्च करके एक विशेष विषय का अध्ययन करने के लिये विदेश में उनको भेजा था। इस पर भी कहा जाय कि हरिजनों का कल्याण नहीं, हरिजनों का उत्थान नहीं, जब कि डिग्री कालेज के एम० ए० और बी० ए० के विद्यार्थियों को ४०, ४० और ३०,३० रु० की छात्रवृत्ति दे करके उन विद्यार्थियों को अच्छी वेशभूषा में अवसर दिया जाता है, पढ़ने के लिये इस पर भी कहा जाय कि उनका उत्थान नहीं हो रहा है, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। कला कौशल और दस्तकारी की तरफ देखिए। आज नये-नये स्कूल खोल करके सरकार हरिजनों को उनमें कल पुर्जों और मशीनों की शिक्षा दे रही है और उनको कला-कौशल और दस्तकारी की शिक्षा देकर इस योग्य बना रही है कि आगे चल कर अपने को स्वावलम्बी बना सकें तथा योग्य नागरिक हो सकें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को एक ऊंचे स्तर पर ला सकें। उस पर यह कहा जाय कि यह हरिजनों के लिए कल्याणकारी बजट नहीं है। तो फिर कैसा बजट होता है।

लखनऊ के निकट ही बख्शी तालाब में सैकड़ों हरिजन बच्चों को जिस प्रकार ट्रेनिंग दी जा रही है, वह ट्रेनिंग प्राप्त करके किसी मशीन में, किसी कल-कारखाने में, किसी मिल में नहीं बल्कि अपने घरों पर ही बैठ कर आमदनी पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इस पर भी कहा जाय कि हरिजनों के लिए यह कल्याणकारी बजट नहीं है। तो फिर क्या कहा जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि बड़े लोगों ने समाज को दबा कर चकनाचूर कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक समय था, एक परिस्थिति थी जब कि समाज को दबाया गया। आज वह परिस्थिति है कि जिस समाज ने उनको दबाया, वही समाज आज कंधे से कंधा मिलाकर उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू हरिजन नहीं हैं, पं० गोविन्दवल्लभ पन्त हरिजन नहीं हैं, ठा० हरगोविन्द सिंह हरिजन नहीं हैं लेकिन हरिजनों को उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिये, उनके लिए नये-नये साधनों पर विचार करते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं। इस तरह से अगर किसी साम्प्रदायिक भावना से किसी बढ़ती हुई चीज के ऊपर कुठाराघात किया जाय तो उससे समाज का नुकसान होगा। मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा जो समाज दबा हुआ रहता है और आगे बढ़ता है तो यदि उसको ठीक प्रकार का नेतृत्व नहीं मिलेगा तो वह ऊपर जाकर बिगड़ जायगा। मैं उनसे कहूंगा कि इस बढ़ते हुए समाज पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये और साम्प्रदायिक नारे लगा करके आने वाली सन्तानों की उन्नति के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिये। आज जब कि अपनी सरकार है उसने उनको गर्त से निकाल कर वह स्थान दिया है जो हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान समझता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उन भाइयों को इस तरह से दलदल

[श्री शिव प्रसाद]

में न डाल उनको उठने का अवसर प्रदान करें। हरिजन भाइयों के साथ हमारी सबकी सद्भावनायें हैं। भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा हुआ करता है। आज कर्त्तव्य की तरफ हमें बढ़ना है।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के सुधार तथा उत्थान के लिए जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

हरिजनों के सुधार का प्रश्न सर्वप्रथम लाला लाजपतराय ने उठाया था कि इस देश की गिरी हुई या पिछड़ी हुई जातियों को बराबरी के अधिकार दिये जायं। उन्होंने इसके लिये बरतानिया सरकार से एक युद्ध किया, और मांग की कि उनको फौज तथा सरकारी विभागों में उनके अनुपात के अनुसार नियुक्त किया जाय। लेकिन चूंकि विदेशियों का शासन था। विदेशी चाहते थे कि गरीब जनता को दबा कर अपना शासन करें और इससे उनका शासन शक्तिशाली बनेगा। यही एक खास कारण था कि अंग्रेजों ने यहां बराबर छोटी जाति को दबा कर शासन किया।

उसके बाद सन् १९३० ई० में जब राउंडटेबिल कानफरेंस हुई तो हमारे पूज्य बापू ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं तो जो आज देश का सब से पिछड़ा वर्ग है उसे बराबर के अधिकार दिला कर रहूंगा और अपने प्राणों की बाजी लगायी। आज प्रत्येक भारत के निवासी को उन्होंने यह शिक्षा दी कि अगर उन पिछड़े हुये भाइयों को पूर्ण अधिकार देने हैं तो सच्चे हृदय से दो। दिखावट मत दिखाओ। हमारे जो कांग्रेस के नेता और सच्चे कार्यकर्ता थे उन्होंने हरिजन उद्धार में सच्चे हृदय से काम किया जिसके फलस्वरूप आज हमें यहां कुछ न कुछ यह आशा दिखाई देती है कि हम किसी अच्छे मार्ग पर चलने लगे हैं।

जहां तक विभागों में नौकरी देने का सवाल है हमारी सरकार ने और हमारे नेताओं ने १० फीसदी अधिकार हमारे हरिजन भाइयों के लिये सुरक्षित रखा है। परन्तु आज हम अपने विभागों में देख रहे हैं कि जैसा अभी हमारे माननीय नेता ने उदाहरण दिया कि क्या इस सूबे में यह दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें विदेश में शिक्षा के लिये भेजा गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि प्रत्येक विभाग में जब कि हम वर्षों से शिक्षा पाते आ रहे हैं हमारे लोगों की १० फीसदी की पूर्ति हो जाय। मैं चाहूंगा कि सिवाय मजदूरी के इस पिछड़े हुये वर्ग को शिल्पकारी भी सिखानी चाहिये जिससे इसका आर्थिक उत्थान हो सके। आज छोटे छोटे व्यवसाय नियंत्रण होने के कारण नष्ट होते जा रहे हैं और ये लोग बेकार बैठे हुये हैं। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनके अनुपात के अनुसार उनको लाइसेंस और परमिट दिये जाने चाहिये जो कि उन्हें नहीं दिये गये और आज वे मारे मारे फिरते हैं। यदि उन्हें शिल्पकार बना दिया जाता तो वे नौकरी के लिये मारे मारे न फिरते। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा शिल्पकारी की शिक्षा देने का प्रयत्न करें। महज नौकरियों से हरिजनों का उत्थान होने वाला नहीं है। उनको कृषि के लिये जमीन दिलानी चाहिये। हमारे हरिजन विभाग में सूची होनी चाहिये कि १० फीसदी पद हरिजनों के क्यों नहीं भरे। इसके बग़ैर हम अन्धकार में ही रहेंगे।

मैं आखिर में आपके द्वारा अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान के लिये अनुदान पेश किया है और इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

श्री गेदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा। इस वक्त पर जो कि पिछड़ी हुई जातियों के

सुधार का बजट है वह पिछड़े हुये वक्त पर ही आया भी है जब कि सदन में बहुत से मेम्बर भी पिछड़ गये। माननीय सदस्य लोग भी पिछड़े हुये हैं और वह यहां मौजूद नहीं हैं। कल पछतावेंगे। मैं एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट से जिस अर्थ व्यवस्था को वे कायम रखना चाहते हैं उसके लिये यह बजट पूरी तौर से सफल होगा और उसमें उनकी जितनी तारीफ की जाय या धन्यवाद दिया जाय उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह की हुकूमतें हमेशा स्कैयरसिटी की इकानामी (अभाव की व्यवस्था) को क़ायम रखना चाहती हैं। उसमें उनको यह लाभ होता है कि उनके पीछे बाजार लगा रहता है। वजीफा पाने वालों की बाजार, नौकरी पाने वालों की बाजार, फीस माफ कराने वालों की बाजार, यह बाजार लगी रहेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीछे और माननीय शिक्षा संचालक महोदय के पीछे या जो माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में लोगों को सहायता पहुंचा सकें, उनके पीछे। तो इसमें यह बजट पूरी तरह से सफल होगा। मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में माननीय शिक्षा मंत्री जी का पिछड़ी हुई जातियों और हरिजन जातियों के उत्थान करने का इरादा है, और इस प्रान्त में जो सब से निर्धन वर्ग है वह यही है, तो फिर उसकी एक दम फीस माफ कर देने में क्या हर्ज हैं। उसके लिये वजीफे की एक युनिफार्म पालिसी बना लेने में क्या हर्ज है। मैं जानता हूं कि वे यह चीजें नहीं करेंगे और उसका कारण यह है कि इस प्रकार स्कैयरसिटी की इकोनामी कायम रख कर जो उनके पीछे एक लीडरशिप की भावना या सुप्रीमेसी की भावना काम करती है, वह बनी रहेगी और उससे कुछ क्रीत दास हुआ करेंगे जो सही बात को ग़लत बात यहां पर भी और दूसरी जगह भी कहेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हरिजनों का उत्थान वाक़ई सरकार के ध्यान में रहता है, तो सब से पहले उनकी माली हालत सुधारने का काम होना चाहिये। यह अवसर ऐसा नहीं है जब मैं जमीन के बटवारे की चर्चा करूं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जिसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। टैकनिकल ट्रेनिंग की चर्चा हुई। अभी जो हमें मेमोरेंडम मिला है, उसमें यह लिखा हुआ है कि ५० फीसदी हरिजन नवयुवकों को टेक्निकल ट्रेनिंग अब नहीं दी जायगी क्योंकि बख्शी के तालाब में कुछ लोग आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बख्शी के तालाब की ट्रेनिंग का कुछ थोड़ा सा ज्ञान हमको है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे वहां के विद्यार्थियों से बात कर लें और उनसे पूछें कि उनकी क्या अवस्था है। उनकी क्या स्थिति है, इसकी उनको जानकारी हो जायगी।

मैं पानी की बात कहना चाहता हूं। आज भी गांवों में मील मील भर पानी भरने के लिये डोमों को जाना पड़ता है और डोम ऐसी जाति है जिसके हर दो एक गांव पर दस या १५ आदमी आबाद हैं। जेठ के महीने में जब कड़ी धूप होती है तब उनको या तो कहीं दूर नदी से पानी लाना पड़ता है या अगर किसी गांव में पानी लाने के लिये जाते हैं, तो घंटों रुकना पड़ता है, या तो कोई अगर दयालु हुआ तो अपने घड़े से उनको पानी दे देता है नहीं तो वे घंटों खड़े रहते हैं। तो उनके पानी पीने की यह हालत है। मैं इस चीज को मानता तो नहीं हूं कि उनके पानी पीने की व्यवस्था अलग होनी चाहिये, लेकिन फिर भी जब तक यह वस्तुस्थिति है तब तक उनके पानी भरने की व्यवस्था अलग होनी चाहिये। जो ढर्रा न मालूम कब से चला जा रहा है, वही आज भी कायम है।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप कहां की बात कह रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—मैं खास तौर से माननीय शिक्षा मंत्री के जिला जौनपुर को कहूंगा—और मैं यह चाहूंगा कि वे जौनपुर में डोमों की हालत स्वयं देख लें। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी इससे इन्कार करना चाहते हैं, तो मैं इतना कहूंगा कि वे दिन को रात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा

[श्री गेंदासिंह]

कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ चलने की तकलीफ गवारा करें और मैं उन्हें दो गांवों में, चार गांवों में, दस गांवों में दिखलाऊंगा कि डोमों की क्या हालत है। यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी को न दिखाई देता हो, तो मैं उसे आश्चर्यजनक बात नहीं समझता, लेकिन अगर माननीय हरगोविन्द सिंह जी को न दिखाई देता हो, तो मैं क्या कहूं। अभी उन्होंने कहा कि वे किसान के लड़के हैं और किसान के लड़के को यह न दिखाई देता हो कि डोम पानी नहीं भरने पाते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि वे दिन को रात कर रहे हैं।

कुछ दिन पहले जब पूर्वी जिलों में और माननीय शिक्षा मंत्री के जिला जौनपुर में स्कैयरसिटी या अकाल कुछ भी कहा जाय उसकी दशा हुई, तो उनके लाडले जो माननीय शिक्षा संचालक महोदय हैं उन्होंने एक हुक्म निकाला कि कुछ विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाय लेकिन उनका वह हुक्म निकलता ही रह गया। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी को याद ही दिलाते रह गये और उन्होंने यह कहा कि देखो इसको आन्दोलन का रूप मत देना, और हम लोगों ने उनका हुक्म मान भी लिया कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये, लेकिन एक पैसे की माफी नहीं हुई, जिसके कारण नहीं मालूम कितने ग़रीब पिछड़े हुये और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के नाम कट गये। १ लाख १८ हजार पिछले वर्ष शिक्षा के मद में रक्खा गया था। और इतना ही इस वर्ष इस सम्बन्ध में रखा गया है लेकिन उनकी मालीहालत में, कोई तब्दीली हुई। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की दिक्कत को गवारा ही नहीं करेंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वह एक कमेटी मुकर्रर करें और उसके जरिये से देखवा लें कि पिछड़ी हुई जातियों की हालत क्या है। माननीय शिवप्रसाद जी हमारे भाई हैं, वह देवरिया के रहने वाले हैं, उनसे कुछ दिन हुये मैंने इस हाउस में खड़े होकर कहा भी था। माननीय शिक्षा मंत्री जी पता लगा लें कि पूर्वी जिलों में हरिजनों के घर में गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। गोपालकृष्ण गोखले का नाम लिया जाता है और मालवीय जी का नाम लिया जाता है। आज भी यह प्रथा प्रचलित है। मैं माननीय शिव प्रसाद जी से कहता हूं कि फिर यह बजट कल्याणकारी कैसे है। मैं कहता हूं कि एक कमेटी बना ली जाय जिसमें बालेन्दुशाह और महीलाल जी जैसे व्यक्ति रखे जायं और वह पता लगावें कि पिछड़ी जातियों की क्या हालत है, मेहतरों की क्या हालत है और हरिजनों की क्या हालत है। और फिर वह उसको सदन के सामने रखें और फिर सदन उस पर विचार करे। उस वक्त फिर गवर्नमेंट की पोल खुले और माननीय शिक्षा मंत्री जी की पोल खुले और सही हाल फिर उन गरीबों को सामने आये।

सभा का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मेरा प्रस्ताव यह है कि आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—मैं इसका समर्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान अछूत और पिछड़ी जातियों का रखा गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो शिक्षा के ऊपर बहसें हो रही हैं उनके सुनने से मालूम हुआ कि हमारी सरकार ने जो कुछ भी हम लोगों के लिये किया है वह बहुत कुछ किया है। लेकिन उस करने के साथ-साथ हमारे लिए जो कुछ भी होता है उसमें कमी जो पाई जाती है उसकी तरफ किसी ने कुछ नहीं कहा। जब कि सरकार के अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते इस बात को देखते हैं कि उनकी मांग जो कुछ भी रखी जाती है या जो कुछ भी उनके साथ में किया जाता है वह सही तरीके से या ग़लत तरीके से किया जाता है। हमको यह मालूम है कि जो कुछ भी रुपया अलाट होता है किसी जगह शिक्षा के लिये दिया जाता है या शिल्पकारी और दस्तकारी के लिए दिया जाता है वह रुपया सही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। अभी एक सदस्य ने कहा कि सरकार हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। यह सब कुछ ठीक है लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि सरकार के अन्दर जो त्रुटियां आ गयी हैं वह हमारे लिए हैं या किसी दूसरे के लिये हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि जो भी जातियां हैं और जो भी सरकारी आदमी हैं सरकार उनके लिये बहुत कुछ करती है और उनके अन्दर ऐसी भावना पैदा करे कि सरकार अछूतों को कितना आगे उठा रही है। हम समझते हैं कि सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि आज शिक्षा के अन्दर जो कुछ भी हम को दिया जाता है, हमको जो स्कालरशिप दिया जाता है और वजीफे जो दिये जाते हैं उसके लिये लड़के साल भर तक देखा करते हैं कि अब हमको वजीफा मिले। उन लोगों के खाने पीने का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता। वजीफे समय पर नहीं मिलते। किताबें उनके लिये वक्त पर नहीं पहुंच पातीं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हमें दिया जाय वह समय पर जरूर मिल जाना चाहिये चाहे थोड़ा ही हो। ज्यादा मिलने से भी कोई फायदा नहीं है यदि समय पर न मिले।

रिजर्वेशन में भी मैं देखता हूं कि कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं है और जितना सरकार चाहती थी वह भी हमें नहीं मिला है।

शिक्षा से एक बड़ा अवगुण भी हो गया है कि जो शिक्षित हरिजन भाई हैं वे बेकार हैं। पहले तो वे मजदूरी करके अपना पेट भी भर सकते थे लेकिन पढ़ लिख कर अब वे बेकार बन रहे हैं और कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। उनके मां-बाप की हालत को देखिये कि जिन्होंने कितनी मुसीबतें उठा कर उनको पढ़ाया लेकिन जब उनको काम नहीं मिला तो उसका सारा परिवार दुःखी रहता है और नष्ट हो गया। ऐसी हालत में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना रुपया हम पर खर्च किया जाय वह किसी ऐसी दस्तकारी में हो जिससे हरिजन लड़के दस्तकार बन जायं और मेकैनिक बन जायं। मैं समझता हूं कि इससे हमारा हित होगा और यह जो अहसान हमारे ऊपर किया जा रहा है उससे लोग बेकार होते जा रहे हैं उससे भी निजात मिलेगी। जब मैं हरिजन लड़कों को देखता हूं कि इन पर इतना रुपया खर्च होता है और फिर भी बेकार रहते हैं तो हमें परेशानी होती है कि हम लोग यहां आकर इतना चिल्लाते हैं और लोगों से वहां जाकर कहते हैं कि इतना रुपया हमें मिला है लेकिन उसका फल यह होता है कि हमारे भाई बेकार रहते हैं

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उस समाज के विषय में आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो हरिजन कहे जाते हैं। निस्संदेह आज वे पतितावस्था में हैं लेकिन मैं २५ दिसम्बर, सन् १९४६ को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी उसकी तरफ इस सदन को ले जाना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में कोई बैलेंसिंग पावर है तो वह मुस्लिम जमाअत है। उसी तरह से आज हिन्दुतान में बैलेंसिंग पावर हरिजन कम्यूनिटी है। इसी की बदौलत आज यह सरकार यहां पर वर्तमान है। तो इस ७८ करोड़ के बजट में १९ करोड़ हमारे लिये होना चाहिये। यही मुनासिब अनुपात है। सिर्फ रिजर्वेशन करने से काम नहीं चलता। खाली कागज पर लिख देने से काम नहीं चलता। कोई प्रैक्टिकल काम उनके लिये करिये। नहीं धनगर भाई भी हमारे पीछे हैं अपने मतलब के लिये और हमारे सोशलिस्ट भाई भी अपने मतलब के लिये हैं क्यों इसलिये कि सब जानते हैं कि ताकत हमारे हाथ है। लेकिन यह सब होते हुये भी हम जहां के थे वहीं के वहीं हैं। आज जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा कि जानवरों के गोबर में से लोग गेहूं निकाल कर खाते हैं वह बिल्कुल ठीक है देवरिया और गोरखपुर जिले में ऐसा बराबर हो रहा है और हमारे बाबा राघवदास जी ने नारा लगाया और जौनपुर में पानी की दिक्कत हरिजनों के लिये है कुयें नहीं हैं। सही बात है ग़लत नहीं है। मुझे मालूम है। तो हरिजन सहायक बोर्ड से जो सहायता हरिजनों के लिये दी जाती है उसको प्रैक्टिकली खर्च किया जाय और इसके अलावा यह भी मुझे कहना है कि "कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय।" आज हालत क्या है माननीय शिक्षा मंत्री २८ सौ कदम पीछे चले आये और २८ सौ रुपया उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने २,८०० रुपया कम किया तो क्या इस तरह से काम चलेगा। पिछले साल जितना रुपया था उसमें उन्होंने २,८०० रुपये की कमी कर दी यानी इतना पीछे खिसक गये। इससे क्या हरिजनों का उत्थान हो जायगा। आज महात्मा जी की तरह से हरिजन कालोनी में बैठने वाला कोई नहीं है।

मैं उस समय बोल नहीं पाया था। अगर आप इजाजत दें तो मैं दो बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने रख देना चाहता हूं। हिसाब हमारे पास है अध्यापकों की हड़ताल के विषय में सरकार ने जिम्मेदारी अपने ऊपर मुफ्त में ले ली। हर सेक्शन में ३–४ रुपये फीस ली जाती है। इस हिसाब से एक एक सेक्शन से १३५ रुपये और १५७ रुपये ८ आने होते हैं और १८० रुपये होते हैं। इनमें से अगर हम ७० रुपये सिक्स क्लास के टीचर को दे दें तो ६५ रुपये बचते हैं, ८० रुपये दे दें सेवंथ क्लास के टीचर को तो ७७ रुपया ८ आने बचते हैं। इसी तरह से अगर १०० रु० दे दें एर्थ क्लास के टीचर को तो ८० रुपये बचते हैं। कुल २,६७० रुपये होते हैं। अगर हम इन २,६७० रुपये में से १,५०० रुपये तीन प्राइमरी स्कूलों को दें तब भी १,१७० रुपये बचते हैं। इनसे स्कूल की मरम्मत वगैरा का काम हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की शो है। इसलिये अध्यापकों की हड़ताल वहां होनी चाहिये। यह चीज जो हम बतला रहे हैं ग़लत नहीं है। हम बस्ती जिले का हिसाब बतला रहे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि हरिजन लड़कों की फीस का प्रश्न है। अभी तक सेकेंडरी स्कूलों को रुपया नहीं दिया गया है। जो कहिये वह पूरा कीजिये। सिर्फ कागज में लिखने से काम नहीं चलता है। प्रेक्टीकल काम होना चाहिये। पूज्य बापू जी के संदेश को आज घर घर पहुंचाने की जरूरत है तभी कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन २,८०० रुपयों की पूर्ति करें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सन्मुख रखा है उसके ऊपर में अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। मुझे इस बात का संकोच होता है कि जब कभी मुझे अवसर मिलता है तो मैं केवल बाल्मीकि समाज और मेहतरों की समस्या पर ही बात करता हूं। लेकिन जो परिस्थिति है वह मुझे ऐसा करने के लिये विवश कर देती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान में हमारे अभागे बाल्मीकि भाइयों का आज कितना उत्थान हुआ है और उनका कितना ध्यान रखा जाता है। लगभग दो साल पहले की बात है कि शाहजहांपुर में मुझे यह शिकायत देखने को मिली कि वहां के नाई बाल्मीकि लोगों के बाल नहीं काटते हैं। मैं १६ जनवरी को बिजनौर गया तो वहां पर भी यही शिकायत सुनने को मिली। मैंने उस नाई से कहा कि तुम बाल्मीकि लोगों के बाल क्यों नहीं काटते हो। उसने कहा कि मैं इनके बाल नहीं काटूंगा। मैंने थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई और थानेदार साहब से अपने साथ चल कर कार्यवाही करने के लिये कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि आप मुझे रिपोर्ट लिखवा दीजिये मैं बाद को सब देख लूंगा। मैं ८ फरवरी को कायमगंज तहसील में गया। वहां पर एक मेहतर की शिकायत थी कि हिन्दू दर्जी उसका कपड़ा नहीं सीता। मैंने उस दर्जी से पूछा तो उसने कहा कि मैं अगर उसके कपड़े सीऊंगा तो उसका नाप लेते समय उसका शरीर छू जायगा और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। आप चाहे जुरमाना करा दीजिये, चाहे सजा करा दीजिये लेकिन मैं इसके कपड़े नहीं सीऊंगा। क्योंकि मैं अछूतों के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने इसकी वहां के कांग्रेस के प्रधान जी से और तहसीलदार साहब से शिकायत की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी शिकायत की लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जैसा कि मैं कह रहा था शाहजहांपुर में दो साल से संघर्ष चला और एक बार बाल्मीकियों का डेपुटेशन भी श्री छेदीलाल जी हरिजन सहायक आफिसर से मिला और नाईयों की शिकायत की। इसी सिलसिले में मैं शाहजहांपुर गया और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत की लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वह शिकायत आज तक ज्यों की त्यों है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन विभाग की ओर से जो आर्थिक सहायता मकान और कुएं बनाने को हरिजनों के लिये मिलती है उसमें भी हमारे बाल्मीकि भाइयों को नजरन्दाज कर दिया गया है। मैंने स्वयं जाकर देखा कई जिलों में हमारे बाल्मीकि भाई गड्ढे और नालियों का पानी पीते हैं। शिकोहाबाद में गया था। गर्मी के दिन थे। जब पानी मुझे दिया तो वह बहुत गंदला था। मैंने समझा कि कच्ची खांड से बना हुआ शर्बत होगा। पानी पिया तो ठंडा तो जरूर था लेकिन बिल्कुल फीका। मैंने पूछा कि यह पानी कैसा है। क्या कुएं का पानी है। जवाब मिला हां, सुबह जब नहाने के लिये गया तो खेती की सिंचाई के लिये जो पानी बहता है वहां उन लोगों ने एक तलैया पास ही में बना रक्खी थी। उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर कहा कि इससे नहा लीजिये। मैंने कहा कि यह तो बड़ा गंदला पानी है। सारी मिट्टी सर और बदन में घुस जायगी और बजाय सफाई होने के शरीर और गन्दा हो जायगा, उन्होंने कहा कि कोई कुआं हमारे पास नहीं है। मैंने पूछा कि क्या यही पानी पीने के लिये दिया था ? उन्होंने कहा जी हां। तो मैंने कहा कि चलो प्रधान या सरपंच के पास मैं उससे शिकायत करूंगा। इस पर वे लोग हाथ जोड़ कर खड़े हो गये और मेरे पैरों पर गिर गये और कहने लगे कि अगर आपने शिकायत की जमींदार, प्रधान या सरपंच से तो हम लोग बरबाद हो जायंगे, हम परेशान किये जायेंगे, मारे जायंगे, पीटे जायंगे इस तरह से उन्होंने जब्र करके मुझे शिकायत करने से रोका।

इसी तरह से दो साल हुए इसी सेक्रेटेरियट में दो लड़के जो साइकिल चलाना जानते थे, हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़ लेते थे, २०, २२ साल के नौजवान थे चपरासी की जगह के लिये बुलाये गये। इंटरव्यू कार्ड उनको भेजा गया। जब वे आये तो उनसे पूछा गया साइकिल चलाना

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

जानते हो, उन्होंने कहा हां। पूछा गया पढ़े लिखे हो। उन्होंने जवाब दिया हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़े हैं। फिर पूछा तुम्हारी जाति क्या है। उन्होंने कहा बाल्मीकि। पूछा बाल्मीकि क्या होते हैं। उन्होंने कहा हम मेहतर हैं। उनको फिर जवाब दिया गया कि अगर मेहतर हो तो दफ्तर में झाड़ू देने का काम कर सकते हो, चपरासी का काम नहीं दिया जा सकता और इस तरह से उनको लौटा दिया गया। एक हफ्ते के उनमें से एक वही लड़का आया। श्यामलाल उसका नाम है वह यहीं दफ्तर में नौकर है और चपरासी की जगह पर है। नहर विभाग में वह है। एक हफ्ते के बाद वह ईसाई सार्टिफिकेट लेकर गया और उसको चपरासी की जगह मिल गई। इस तरह सिक्ख से अगर कोई कहता है कि वह बाल्मीकि है तो उसे जगह नहीं मिलती लेकिन अगर वह ईसाई हो कर जाता है या सिक्ख बन कर जाता है तो उसको जगह मिल जाती है। इसी तरह से एक बाल्मीकि लड़के ने अपना नाम राम सिंह रख लिया। डाढ़ी बढ़ा ली और हाथ में कड़ा पहन लिया और उसको नौकरी मिल गई। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं कहता कि बाल्मीकि हूं तो डिपार्टमेंट के लोग न तो कोई काम करवा सकते हैं, न पान मंगा सकते हैं, ना छू सकते हैं और घर का काम भी न करा सकते है इस तरह से नौकरी नहीं मिल पाती लेकिन सिक्ख बनने से मिल गई। इस तरह का भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे इस समाज को तरक्की के रास्ते पर उठाने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष तौर से ध्यान देंगे।

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद सत्य है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बढ़ा है और इसी प्रकार यहां का बजट जो है उसकी भी धनराशि ७८ करोड़ है लेकिन हम हरिजनों के लिये जो खर्च अनुदान में रक्खा गया है वह बहुत ही कम है। कहां करोड़ों का बजट और कहां लाखों की तादाद प्रस्तुत बजट में ५४,५५,२०० रुपया है लेकिन पिछले बजट के (मूल बजट को) जो मैंने देखा तो मालूम हुआ कि उससे तो ज्यादा धन है लेकिन मूल बजट और सप्लीमेंटरी बजट का जो योग है वह १९५३–५४ के बजट से ज्यादा है लेकिन अगर हम इस देश के और दूसरे प्रांतों को देखें तो मालूम होता है कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों पर बहुत काफ़ी तादाद में रुपया खर्च किया जाता है और वह करोड़ों की तादाद में है। मैं इन आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता केवल कुछ विभागों में जो कुछ होता है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। शिक्षा के संबंध में जो वैलफेयर सुपरवाइजर रखे गये हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ ऐसी रखी गई है कि वे कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वह कई अफसरों के अधीन होता है इसका नतीजा यह होता है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर टालते हैं और कोई उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता। इस तरह से वैलफेयर सुपरवाइजर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। वजीफा ठीक समय पर नहीं दिया जाता।

पुस्तकों के संबंध में मेरा यह कहना है कि शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां पर पुस्तकें ठीक समय पर दी जाती हों। जुलाई में नहीं तो अगस्त के आरम्भ में तो अवश्य ही मिल जानी चाहिये। यह बहुत बुरी बात है इसकी ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अगर रिपोर्ट आती है तो उनको अगस्त में तो दे ही देना चाहिये। इस तरह से ढील ढाल होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं और रुपया भी वापिस लौट जाता है।

शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि जनरल एजूकेशन तो दी ही जानी चाहिये, सरकार को टैकनीकल एजूकेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मेरे विचार से हायर एजूकेशन के बजाय हायर सैकेंडरी और टेकनिकल एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो ज्यादा फायदा होगा।

मैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि गवर्नमेंट के आदेश यह हैं कि १० प्रतिशत हरिजन नौकरियों में रखे जायं। अगर १०% से १५% कहीं हैं तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन १० प्रतिशत रखने का जो गवर्नमेंट का जी०ओ० है उसमें यह लिखा हुआ है, "इफ स्यूटेबिल कैंडीडेट्स आर फाउन्ड" इसके पीछे सरकार के विभाग वाले शिकार खेलते हैं। उनके स्यूटेबिल शब्द की जो डेफिनीशन है उसको तो शायद ईश्वर ही पूरी कर सके तो कर सके। इस प्रकार से यह अधिकारीवर्ग इसका ख्याल नहीं करता। हरिजन और पिछड़ा हुआ वर्ग पिछड़ा हुआ तो है ही। सदियों से उनके बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं रहे इसी कारण से प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने बड़े सोच समझ कर यह आज्ञा दी है। अतः उसका पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से पालन होना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है।

जब छटनी का प्रश्न आता है तो अधिकारी वर्ग कहता है कि हम क्या करें, मजबूर हैं अमुक व्यक्ति ठीक काम नहीं करता है। रोटी का प्रश्न सभी के सामने है। इस मामले में मैं केन्द्रीय सरकार की सराहना करता हूं। उन्होंने यह आज्ञा दी है कि जब तक उस विभाग में हरिजनों की संख्या कम है या जब तक उसकी पूर्ति न हो जाय तब तक हरिजनों की छटनी न की जाय। ऐसी केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था की है। मैं इस प्रदेशीय सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी उसी तरह से अनुकरण करे। कुछ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो वहां थोड़ा सा भेदभाव का ख्याल रख कर उनको प्रोमोशन नहीं देते हैं, खास करके पुलिस विभाग में। यद्यपि पुलिस की शिकायत हमेशा ही करता रहा हूं लेकिन जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको तो स्थान देना चाहिये, चाहे वे हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे जनरल के हों।

एक बात मैं और क्रीमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के सिलसिले में कहना चाहता हूं, हालांकि उसका कोई विशेष संबंध इससे नहीं है। देखने में आया है कि जिनकी निगरानी पहले से होती रही है यह अभी तक हो रही है और इसके लिये कोई आर्डर इश्यू नहीं हुआ कि जो आदमी अच्छे हैं उनकी निगरानी काट दी जाय और जो बदमाश हैं उनकी तो निगरानी होनी ही चाहिये, इसी तरह से चौकीदारों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यों तो चौकीदारों की पे ३ रु० से ५ रु० हो गयी लेकिन यह पे बिल्कुल असंतोषजनक है लिहाजा उनके लिये कुछ जमीन की भी व्यवस्था की जाय।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—उनको थोड़ी सी जमीन दी जा रही है।

श्री रामकिंकर—हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उनको थोड़ी सी जमीन भी दी जा रही है। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है।

सभा का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—परन्तु इस बार यह आखिरी होगा। बारबार इस तरह की चीज मैं उचित नहीं समझता। एक मर्तबा चाहे आप घंटा भर बढ़ा लें, मुझे उज्र नहीं है लेकिन बार बार ऐसा करना अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हमलोग ७ बजे तक बैठेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय मुझे यह भी यहां कुछ दो बातें हरिजनों के संबंध में कहने का यह अवसर मिल पड़ा है। मैं केवल इसलिये कि सरकार के जो उत्तरादायित्व इस संबंध में हैं और जो मेरा संबंध सरकार से है उसी नाते से नहीं बल्कि एक नागरिक के नाते भी कुछ बातें कहना चाहता हूं यदि हमारे देश को ऊंचा उठाना है तो हमें हरिजनों को सर्वोच्च स्थान अपने देश में पाने के योग्य बनाना है और इसकी जिम्मेदारी हम लोग पर है जो कि आगे बढ़े हुये हैं कि जो पिछड़े हुये हैं उनको आगे बढ़ावें। अगर किसी जंजीर की कोई भी कड़ी कमजोर रह जाती है तो सारी जंजीर कमजोर हो जाती है। इसलिये हमारे राष्ट्र को सबल बनाने के लिये भी इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम सब लोग, जो हरिजन हैं और जो पिछड़े हुये हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी तकलीफों को गवारा किया है, जिनकी मेहनत से और जिनके कष्टों से हम लोग हर तरह से आराम पाये हैं उनके कर्जे को वापस करने का अपना पक्का दृढ़ संकल्प करें। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हमारे देश को हानि होगी और जो मानवता का हमारा कर्त्तव्य है उसको भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे और हम जो संसार को आध्यात्मिकता के जरिये फिर पुनर्संघटित करके मानव समाज का हित करना चाहते हैं उनके करने की न तो हम में क्षमता होगी और न हम उस आदर्श को अपने सामने रख सकेंगे। अगर हम अपने भाइयों को भी बराबरी के दर्जे पर नहीं लेंगे और उनकी जो वास्तविक हमसे भलाई हो सकती है वह भी नहीं कर सकेंगे तो औरों के लिये फिर हमारा यह कहना कि हम सब का हित चाहते हैं थोथी बात हो जाती है। इसके अलावा कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस बात की प्रतिज्ञा की कि हम हरिजनों के लिये यथासम्भव जो हो सकेगा उनकी सेवा करने का यत्न करेंगे और आज हमारे ऊपर इस बात का दायित्व है कि हम उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। यह मैंने आपसे कुछ बुनियादी बातें कहीं।

कुछ बातें सरकारी बजट के बारे में कही गयीं। मैं चाहता हूं कि हरिजनों का उत्थान पैसे की कमी की वजह से न रुके और उसमें जहां तक हमसे हो सके उनको ऊंचा उठाने के लिये अपने साधनों का सदुपयोग करेंगे। पारसाल भी मैंने कहा था कि और जरूरत होगी तो हम और पैसा लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जरूरत हुई तो हमने जो रकम रखी थी उसको काफी बढ़ाया गया। आज भी मैं चाहता हूं कि जो जरूरत होगी उसको बढ़ाया जायगा, जो जरूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी। जितना हम कर सकते हैं उसको हम जरूर करना चाहते हैं। जो बजट में आंकड़े दिये गये हैं उनसे पूरा नक्शा सही सही नहीं दीखता क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने भी जेनरल और बजट के खर्चे हैं उनमें हरिजन भाई वैसे ही हिस्सेदार हैं जैसे कि और लोग हैं। यह तो उनके अतिरिक्त उनके लिये एक अनुदान यहां रखा जाता है। इसके अलावा कई और मदें हैं जो इसमें नहीं आती हैं। जैसा कि पालिटैक्नीक के लिये हमने ३०० सीटें रिजर्व कर रखी हैं। वह इसके अन्दर नहीं आती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में उनकी फीस वगैरह का सवाल होता है वह नहीं आता है। और कई मदें हैं जो नहीं आती हैं। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें और नहीं करना चाहिये या आवश्यकता हो तो न करें परन्तु किसी चीज का पैमाना सही सही होना चाहिये। जो बातें कन्हैयालाल जी ने कहीं कि कोई ब्राह्मण न खावे, कोई दर्जी कपड़ा न सीयें, कोई नाई हजामत न बनावे।

आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक यह जुर्म है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के मुताबिक वह सजावार है। मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारी इस तरफ ध्यान दें। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उसको रोकें और कानून के मुताबिक कार्यवाही करें क्योंकि इस तरह से कोई हमारे भाइयों के लिये करे तो यह बात शोभनीय नहीं है। इसलिये इसको हरगिज होने देना नहीं चाहिये और इसका इलाज करना चाहिये। मुझे खेद है कि हमारी म्युनिसिपैलिटी की जो मेहतरों की बस्तियां हैं वह बहुत ही इस तरीके पर रखी जाती हैं कि जो किसी इन्सान के रहने के काबिल नहीं होतीं। वह स्लम्प से भी बुरी जगह हैं। उनमें सड़क नहीं होती, रोशनी नहीं होती, पानी का इन्तजाम नहीं होता यह हमारे लिये कलंक की बात है। म्युनिसिपैलिटी का यह कर्त्तव्य है कि वह उनके लिये चाहे वह उनके मुलाजिम हों या न हों जो और नागरिकों के लिये काम करती है उससे कम नहीं बल्कि हरिजनों के लिये उससे ज्यादा होना चाहिये। जो लोग इस तरीके से अपना काम नहीं कर सकते हैं और उनको इस तरह से पिछड़ा हुआ छोड़े यह उनके लिये किसी तरह से उचित नहीं है। जहां पर मकानों को ठीक करने की बात हो या और तरीके पर सहायता देने की बात हो वह अवश्य होनी चाहिये। यहां पर यह कहा गया कि उनको टेक्नीकल एजूकेशन देना चाहिये और प्राइमरी एजूकेशन देना चाहिये और यूनिवर्सिटी एजूकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उनको टैक्नीकल एजूकेशन मिले। इसीलिये हमने पालिटैक्नीक में उनके लिये जगह रखी है। मैं चाहता हूं कि उनको जमीन मिले। इसलिये हमने हरिजनों के लिये खास तौर पर जमीन रखी है कि उनको फायदा पहुंचे क्योंकि आज समाज को ऊंचा उठाने के लिये और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिये जो बातें होनी चाहिये उन सब की आवश्यकता है ताकि वह कलक्टर हो सकें, वह हाईकोर्ट के जज हो सकें, वह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो सकें और समाज की ऊंची से ऊंची जगह उनको मिल सके और उनमें खुद भी स्वावलम्बन और कर्त्तव्य की भावना होनी चाहिये और इसके लिये उनको ऊंची शिक्षा मिलना जरूरी है। हमने भी इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके उनकी हायर एजूकेशन के लिये उनकी सहायता बढ़ाई जाय और उनको रुपया दिया जाय और हम इसको बहुत आवश्यक समझते हैं कि यह होना चाहिये और हमें उनके लिये यह सब करना चाहिये लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि वह अपना काम छोड़ दें, मुलाजिमतें जो पढ़े लिखों के लिये हैं वह तो बहुत थोड़ी हैं, समाज कितना ही पढ़े लेकिन उसकी पूरी जरूरत नौकरियों से पूरी करने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिये किसी को भी अपने पेशे को नहीं छोड़ना चाहिये, बाज लोग खाल निकालते हैं और जानवरों को हटाते हैं उनको अपने उस काम को छोड़ना उनके हित की बात नहीं है और यह भी मुनासिब नहीं है कि यह काम खास कर उन्हीं के लिये रखा जाय, कोई भी काम ऐसा भी न होना चाहिये कि जो उन्हीं से कराया जाय और खुद करने को तैयार न हो। आज दुनिया में रोजी का सवाल है इसलिये अपने पेशे को छोड़ना उन के हित की बात नहीं है, जो उनके टैक्निकल काम हैं उनको उन्हें करते रहना चाहिये और उसका अच्छा ढंग उनको मालूम होना चाहिये। हमने उनके लिये बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं वहां उनको अच्छे तरीके से अपना काम करने की ट्रेनिंग लेना चाहिये और इससे वह अपनी रोजी और अच्छी तरह से कमा सकते हैं, और सब लोग भी उनके काम को झपटने को तैयार हैं इसलिये उनको अपने काम से अलग होना फायदेमन्द नहीं है, उनको अपनी कमजोरी को भी समझना चाहिये और खामख्वाह जो लोग उनको लड़ाई में झोंकना चाहते हैं वह उनको सबल नहीं बनाते। जब कोई पेड़ ऊंचा हो जाय तब टक्कर खा सकता है लेकिन जब तक उसके अंकुर भी ऊपर न आये हों उसे पत्थर से लड़ा देना किसी के हित की बात नहीं है। इसलिये उनको अपने हित की दृष्टि से ही अपने कामों को करके आगे बढ़ना चाहिये।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सरकारी नौकरियों का जिक्र हुआ। हम चाहते हैं कि उनको भरसक सरकारी नौकरियां मिलें और जहां पर पबलिक सर्विस कमीशन ने भी कुछ दिक्कतें और कुछ अड़चनें बतलाई वहां भी हमने हरिजनों को लेने का प्रयत्न किया है और हम चाहते हैं कि वह हमारी सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आयें और कोई कारण नहीं है कि पूरे वह अपने अनुपात से न लिये जायं, चपरासी हर जगह मिलते हैं उनको लेना चाहिये और मैं नहीं कह सकता कि कोई दलील ऐसी हो सकती है कि हरिजन चपरासियों के लिये नहीं मिल सकते हैं मैं समझता हूं कि वह तो इस काम को औरों से बेहतर कर सकते हैं और इस वजह से उनको जरूर लेना चाहिये। जब कोई नियम बनाया जाता है तो उसके अनुसार काम भी होना चाहिये। जब हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे कामों से यह बात झलकना चाहिये और जब तक हम ऐसा न करेंगे तब तक हम उनके काम को पूरा नहीं कर सकते और उनको आगे बढ़ाने में हम कामयाब भी न हो सकेंगे और इससे तो हमारे देश की उन्नति ही रुक जायगी। इसलिये हम चाहते हैं कि उन के हित की सब बातों को बराबर ध्यान में रखकर उनकी हम हर प्रकार की सहायता करें। यह भी कहा गया कि सूटएबिल केनडिडेट यदि न हों तब भी उनको ले लेना चाहिये। नियम यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हरिजन केन्डीडेट्स से कम्पीटिशन में टक्कर लेता हुआ ही हो बल्कि अगर वह इस लायक हो कि वह काम के लायक हो तो उसको आर्डर आफ मेरिट का ख्याल न करके ले लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये भी यह उचित नहीं है कि नाकाबिल आदमियों को रख लिया जाय क्योंकि इससे उन्हीं की बदनामी होगी और बाद में काम में भी खराबी आ सकती है और न वह तरक्की ही पा सकते हैं। आज भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। इसलिये जो कम्पीटिशन में न भी आ सकें उनको लेना चाहिये बशर्ते कि वह काम चला सकें और वह उस हद तक सूटेबिल होने चाहिये जिस हद तक काम करने की सूटेबिलटी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें सभी लोग सहमत होंगे कि अगर बिलकुल अनसूटेबिल कोई हो तो उससे न उसका काम चलता है और जनता की सेवा हो सकती है। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि सरकार का काम तो थोड़ा है, उससे बहुत बड़ा काम है जनता का और समाज का। वह हरिजनों के हित को सामने रखते हुये निरन्तर उनके उत्थान के और उनकी बेहतरी के कामों को सक्रिय रूप से जितना कर सकेंगे उसे हमारे प्रदेश में करने से कोई पिछड़ेगा नहीं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री को सबसे पहले बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनके सहायक मंत्री को भी। बधाई देने का मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो अनुदान इस समय प्रस्तुत किया है वह संतोषप्रद है। मैं तो यह कहूंगा कि जो अनुदान अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये उन्होंने रखा है वह इन जातियों में असंतोष फैलाने वाला अनुदान है। मेरा बधाई देने का मतलब और मंशा इसलिये है कि जब से उन्होंने इस विभाग को सम्भाला है तब से अवश्य इन जातियों का कल्याण हुआ है, उनका उत्थान हुआ है, उनका बौद्धिक विकास हुआ है। यह मैं मानता हूं और इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं और मानते हैं कि जितना विकास उनका होना था उतना नहीं हो पाया हालांकि हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है और भविष्य में भी करेगी, जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया। वह हर प्रकार से हर समय इन समाजों का उत्थान करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही है। लेकिन क्या कारण है जिन कारणों की वजह से इन समाजों का उत्थान नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने, जहां तक मेरी बुद्धि ने विचार किया है, मुझे इस नतीजे पर पहुंचने का अवकाश मिला है कि हमारी सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके अन्दर

अभी तक इतनी जातीयता की भावनायें फैली हुई हैं, इतनी कम्युनल फीलिंग उनके अन्दर हैं कि वह इन जातियों को किसी भी हद तक उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुये नहीं देख सकते। वह कभी भी इस बात को नहीं सहन कर सकते कि अछूत आगे बढ़ें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अछूतों के अन्दर जितनी भी योग्यतायें हों उनके अन्दर सबसे बड़ी अयोग्यता उनका अछूतपन होना है। जब अधिकारी लोग यह समझ लेते हैं कि यह अछूत है, यह हरिजन है तो वह तुरन्त ही उसको अयोग्य ठहरा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों की आबादी का संबंध है अगर हम उस आबादी के अनुपात को इस प्रदेश की आबादी के अनुपात से नापें तो हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में इन अनुसूचित जातियों का अनुपात इतना है कि वह कुल आबादी के तीन चौथाई के लगभग हैं। लेकिन जब इस साल के बजट को हम देखते हैं जो कि ७८ करोड़ के लगभग है और उस में जब इस अनुदान को देखते हैं जो इन जातियों के लिये है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह अनुदान और यह मांग जो सरकार हमसे स्वीकार कराने जा रही है यह बिल्कुल नहीं के बराबर है। यह इन जातियों के लिये खिलवाड़ है, मजाक है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी सरकार चाहती है तो बहुत कुछ है, बातें तो बहुत कुछ करती है, लेकिन असल मानों में वह उसको कार्यरूप में परिणित नहीं करना चाहती।

जहां तक हमारे बहुत से भाइयों ने नौकरियों की और रिजर्वेशन की बातें कहीं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और मैं यह भी कहता हूं कि हमारी छोटी छोटी नौकरियों में जब हमारे भाई नहीं लिये जाते तो हम कैसे आशा करें कि हमारे अनुपात से बड़ी बड़ी नौकरियों में उनको रखा जायगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि मैं तो यह चाहता हूं कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्ति, हरिजन समाज के वह उम्मीदवार जो कम्पेटीशन में न आ सकें उनको भी लेना चाहिये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो कम्पेटीशन में आते हैं उनको नौकरियों में नहीं लिया जाता है ऐसी वास्तविकता है। इस बात के ऊपर परदा नहीं डाला जा सकता। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपसे बतला देना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इस वर्ष हमने उनका बजट पिछले वर्ष से कुछ बढ़ा दिया है। हां, देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस वर्ष तो कुछ बढ़ा है लेकिन जब माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष के मुख्य बजट को और सप्लीमेंटरी बजट को देखेंगे और उनका जोड़ करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इस वर्ष का बजट असली माने में कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध कर देना चाहता हूं कि वैसे तो हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न कर रही है और करती रही है कि अछूतों की हालत सुधरे लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जब तक अछूतों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जायगी तब तक उनका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ठीक नहीं किया जायगा तब तक अछूतों की हालत सुधारी नहीं जा सकती चाहें आप शिक्षा में कितनी ही उन्नति करें, चाहे उनको कितनी ही सुविधा दें, कितनी ही सहायता दें लेकिन जब तक उनकी तमाम कमजोरियों की जड़ जो पैसा है उसको ठीक नहीं किया जायगा तब तक अछूतों का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिये अन्त में माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि वह इन पिछड़ी हुई जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये ऐसा प्रयत्न करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। उनके अन्दर ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे पैदा करें जिसमें वह और उनके शिक्षित बच्चे, जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह उसमें लग जायं और अपनी जीविकापार्जन कर सकें, मैं यह जानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल नौकरी के लिये भटकें। मैं यह भी

[श्री हरदयाल सिंह पिपल]

जानता हूं कि जब तक वह शिक्षित वर्ग और अछूत शिक्षित वर्ग अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा और पैरों पर तभी खड़ा होगा जब कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हमारी सरकार बराबर प्रयत्न करती रहे, तब तक उनका उत्थान संभव नहीं है। इसलिये अन्त में मेरी यह प्रार्थना है सरकार से कि वह उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की आवश्यकता तो नहीं थी मगर इस सदन में एक सम्मानित सदस्य ने, शिव प्रसाद जी ने कुछ जानकारी मुझसे हासिल करने की बात कही है तो मैं उन्हें और उनके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में या हमारी विरोधी पार्टी के बारे में यह कत्तई भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम जाति द्वेष के आधार पर चलना चाहते हैं। उनसे हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी तबियत बड़ी खुश हुई, उनके भाषण को सुनकर के और उनकी शैली जो थी वह बहुत अच्छी थी, इस लिये मेरी और भी इच्छा हुई कि मैं अपने कुछ विचार उनके सामने व्यक्त करूं। यह हिन्दुस्तान है और हिन्दोस्तान की तुलना अगर वह दूसरे मुल्कों से करेंगे और समाजवादी व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने की बात करेंगे तो धोखा खा जायेंगे और उसमें जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक नागरिक की हैसियत से भी इस समस्या को सुलझाने के लिये वह सचेष्ट हैं उसी तरह से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह समाजवाद विज्ञान की पुस्तकों में इसको ढूंढेंगे तो उनको केवल क्लासलेस सोसाइटी के निर्माण की बात ही मिलेगी। मगर हिन्दुस्तान में चाहे वह गांधी जी के साहित्य को पढ़ें, चाहे हमारे साहित्य को पढ़ें दोनों में क्लासलेस और कास्टलेस सोसायटी के निर्माण की बात मिलेगी---वर्गहीन और वर्ण विहीन---यहां पर ये दोनों समस्याएं हैं। तो दूसरे मुल्कों में तो आसान है। यहां पर जिस तरीके से चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जिस तरह की विषमता, जिस तरह का वर्ण भेद यहां पर है और पौराणिक पुस्तकों में कहीं-कहीं जो कुछ मान्यतायें तक प्रतिष्ठित की गई हैं कि कहीं-कहीं जाति विशेष के कान में शीशा तक पिला देना चाहिये ताकि उनके कान में वेद मंत्र न जायं तो ऐसी व्यवस्था जहां है वहां वह यह समझेंगे कि वर्ण विद्वेष नहीं है या हिन्दुस्तान में वर्ग विभेद को मिटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिये तो मैं निवेदन करूंगा कि वह गलती कर जायेंगे। मैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिये ही इन शब्दों को निवेदन कर रहा हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सही मानी में वर्णविहीन समाज की रचना करनी है तो वह वर्ण जो पिछड़ा हुआ है जिसके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है और किन कारणों से उनके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है उन कारणों को अविलम्ब दूर हो जाना चाहिये अगर सरकार दत्तचित्त है वर्ग द्वेष को मिटाने के लिये तो यह आवश्यक है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके अन्दर शिक्षा का संचार अविलम्ब होना चाहिये। उसके लिये आज जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसका सुधार होना अवश्यम्भावी है। पिछड़ी जाति के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। उनके पास पैसा नहीं है। खाने को नहीं है। कपड़े के लिये पैसा नहीं है। तो जो जीवन को चलाने के लिये खाना कपड़ा और मकान ये मौलिक आवश्यकतायें हैं उनके लिये उनके पास पैसा नहीं है तो उनके माता पिता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिये भेज सकते हैं। यह आब्जेक्टिव सिचुएशन है। उसको राजनैतिक दलगत में जाकर अगर माननीय सदस्य देखने की कोशिश करेंगे तो वह समझ नहीं पायेंगे।

हमारे कुछ ट्रेजरी बेंच के सम्मानित सदस्यों ने कुछ यह हवा बहाई और मुझे खुशी है कि माननीय शिवनारायण जी ने इसके ऊपर वह कोशिश नहीं की जैसी कि वह किया करते थे। इसके ऊपर उन्होंने वास्तविकता को समझने की चेष्टा की है। दूसरे सदस्यों ने जो हमारे सम्मानित सदस्य देवरिया से आते हैं उन्होंने वह आबहवा

फैला दी है कि कोई भी वर्ण है ही नहीं और वर्ण विषमता मिटाने की बात क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि वर्ण विद्वेष मिटे, जाति विद्वेष मिटे। वर्ण विद्वेष को, वर्ण संघर्ष को मिटाने के लिये, वर्ग संघर्ष को मिटाने के लिये ही हमारी समाजवादी व्यवस्था है। जब तक वह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं होगी, जब तक उनकी जमीन का इंतजाम नहीं होगा, जब तक उनको जीवन की आवश्यक वस्तुयें नहीं दी जायंगी तब तक यह संघर्ष नहीं मिटेगा। मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्री जी विद्यमान हैं इसलिये ही मैं कह देता हूं कि सरकारी नौकरियों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नीति निर्धारित की है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी तीन चार आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करें और फिर ६,७ महीने में जिन जिन सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों को किस आधार पर रखा गया, दूसरे लोग किस आधार पर रखे गये वह यह देखें। अगर ऐसा होगा तो उनको मालूम होगा सरकारी आदेशों का उल्लंघन हुआ है। श्रीमन्, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास भी कुछ लोग आया करते हैं जो कि पिछड़ी जातियों के हैं। जब कि नायब तहसीलदारों की भरती हो रही थी तो मैंने, मुझे जहां तक स्मरण है २८ से लेकर २५ के अन्दर तक सिफ़ारिशें की थीं। पिछड़ी हुई जाति के आज वह ग्रेजुएट्स जब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर की है, उनमें से एक आध को छोड़ कर कोई नहीं लिया गया। हमने माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में एक पत्र भी भेजा था। उसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस पिछड़ी जाति वाले विद्यार्थियों की हमने सिफारिश की थी उनमें से जहां तक हमारी इत्तिला है किसी को जगह नहीं मिली। मैंने दफ्तर से पत्र भिजवाये हैं यह जानने के लिये कि कितनों को जगह मिली और कितनों को नहीं। इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सम्मानित सदस्य केवल वर्ग पर जोर देंगे और वर्ण की विषमता को मिटाने के लिये यथेष्ट दत्तचित्त हो कर कदम नहीं उठायेंगे तो राजनैतिक गुत्थी नहीं सुलझ पायेगी। मैं माननीय शिवनारायण जी से कहूंगा कि मैं तो उनको समाज का अंग मानता हूं। मैं समझता हूं कि समाज के प्रत्येक प्राणी को बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिये। सब को एक ही तरह से रखना चाहिये। समाज में न कोई छोटा हो न बड़ा हो, न जाति के आधार पर किसी की विशेष प्रतिष्ठा हो। जाति के आधार पर प्रतिष्ठा का अन्त होना चाहिये। जब तक हम इस तरह के भाव को कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे तब तक हम स्वतंत्र समाज की स्थापना नहीं कर सकते।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि उन विषयों पर और कुछ प्रकाश डाला जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि यह सत्य है कि योग्य होते हुये भी अनुपात के अनुसार हमारे इन वर्गों के लोगों को नौकरियों में स्थान न मिल सके तो यह जरूर असन्तोष और दुख की बात है। इस ओर बहुत पहले ही मैंने जांच पड़ताल आरम्भ कर दिया है और मैं भवन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उस जांच-पड़ताल के बाद यदि सचमुच में यह अवस्था निकलती कि उनको नौकरियां नहीं मिलीं बावजूद इसके कि वे योग्य थे, तो उसका निराकरण अवश्यम्भावी किया जायगा।

बजट के सिलसिले में आने के पहले माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में यह व्यवस्था है कि हरिजन भाइयों को कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता है। मैं पूर्वी जिले का ही रहने वाला हूं। उन्होंने जौनपुर का भी नाम लिया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, (आवाजें---बहुत जगह है।)

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अगर यह व्यवस्था है तो यह बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात का स्वागत करता यदि आज के पूर्व ऐसे जितने केसेज थे वे मुझे या गृह मंत्री जी को बताये जाते और फिर देखा जाता कि उस पर हम कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। आज भी इस भवन में हम यह कहते हैं कि यदि ऐसे केसेज का पता चला और किसी सज्जन ने हमें बताया तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। यह चीज सरकार के लिये सचमुच कोई गौरव की बात नहीं हो सकती कि हम कानून तो यह बनावें कि हर एक हरिजन को कुओं से पानी भरने का अधिकार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको अधिकार होगा कि वह किसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवाये, उसको अधिकार होगा कि वह किसी नाई से अपने बाल बनवाये, मगर वास्तव में वैसी बात न होती हो। अगर ऐसा होता है तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास कोई ऐसा साधन तो नहीं है कि हम यह जानते हों कि ऐसी कठिनाइयां कहां हो रही हैं। उन कठिनाइयों को जानने के लिये आप ही हमारे आंख और कान हो सकते हैं और अगर आपने हमें उन कठिनाइयों को बताया हो और उसके ऊपर कोई कार्यवाही न हुई हो तब ही तो आप सरकार के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। अगर आप न बतावें केवल इसलिये कि उसको अपने हृदय में संचित रखें और बजट के वादविवाद के समय ही हमें उसको बतलावें, तो मैं कम से कम आप से यह कह सकता हूं कि यह नीति अनुचित है।

बजट के संबंध में यह कहा गया कि २८ सौ रुपये की कमी हुई। उसका कारण मैं बता दूं। जो यह आप का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें १५ हजार रुपया हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया था। अगले साल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो १५ हजार के स्थान पर १२ हजार की कमी बजट में हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा में २८ सौ की कमी हो गयी और इस कारण आप यह कमी देख रहे हैं बल्कि उसका कारण यह है कि जो १५ हजार रुपया हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया है वह अब इस वर्ष उसको नहीं दिया जायगा। तो वास्तव में कोई कमी नहीं हुई। हां, शिक्षा के संबंध में गेंदा सिंह जी ने कहा कि लड़कों को फीस नहीं दी गई। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह शायद उनको गलतफहमी है। प्रांत में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, मैं फिर इसको दोहरा देता हूं, जहां हरिजन भाइयों को सम्पूर्ण फीस नहीं दी गई। और यही नहीं, कालेजेज, डिग्री कालेजेज में जितने लड़के पढ़ते हैं उन सबको स्टाइपेंड दिया जाता है।

एक सदस्य—किसको दिया जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सब हरिजनों को दिया जाता है। मैं डिग्री कालेजेज की बात कर रहा हूं, आप जरा समझ कर बात कीजिये। डिग्री कालेजेज में प्रत्येक लड़के को चाहे वह थर्ड डिवीजन का भी लड़का हो, उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। एल०टी० में भी उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। यहां तक कि दूसरे श्रेणी के लड़कों को जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसकी संख्या मेरे पास है। पिछड़ी जाति के सभी लोगों को स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है और मेरा ख्याल है कि यह किसी अंश में ठीक भी है। पिछड़ी जाति के लोगों की वह दशा नहीं है जो हमारे हरिजन भाइयों की है। पिछड़ी जाति के बहुत से लोग हैं लेकिन हरिजनों में शायद सैकड़ों में कोई कहीं विरले ही एक व्यक्ति आप को ऐसा मिल सकता है, जो सचमुच अपने बच्चे को पढ़ा सकता हो, इसलिये यह नियम है। हरिजन बालक चाहे वह यूनिवर्सिटी में हो या चाहे कहीं भी हो उसकी जितनी फीस होती है वह सरकार बरदाश्त करती है। इसके अलावा उनको किताबों की मदद या और मदद दी जाती है। हां, यह भी ठीक है कि आर्थिक दशा उनकी ठीक नहीं है सचमुच में चाहे जितना प्रयत्न हो, एक यह भी अपनी जगह पर सत्य बात है कि जब तक

उनकी आर्थिक दशा ठीक न हो सके तब तक समाज में वह स्थान जो हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे हरिजन भाइयों को मिले, उसके मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आप क्या यह समझते हैं कि उनके आर्थिक विकास करने के हेतु जितना प्रयत्न संभव है वह किया नहीं जा रहा है। बख्शी तालाब में दो वर्ष पहले एक ट्रेनिंग खोली गयी थी उसमें थोड़े लड़के थे। उनका सम्पूर्ण खर्चा सरकार बरदाश्त करती है। आज उसमें सौ सवा सौ लड़के हैं, पारसाल शायद उसमें दो सौ लड़के होंगे और अगर यह साबित हुआ कि जो लड़के वहां से ट्रेनिंग पा करके निकलते हैं वह जीवन में एक अपना स्थान ढूंढ लेते हैं, तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बहुत ट्रेनिंग सेंटर्स हम खोल सकते हैं। लेकिन आज मैं आप को बताऊं कि हम को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे बख्शी के तालाब के सेंटर में भी उतने लड़के हम को शायद नहीं मिल रहे हैं जितने हम को मिलने चाहिये थे। अगर आप स्कूल और कालेजों की संख्या देखें तो वहां कमी नहीं है, वहां तो संख्या दिन बदिन बढ़ती चली जा रही है और इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वह किस हद तक पहुंचेगी यह नहीं कहा जा सकता। बजट में जो फीस की निस्बत रुपया रखा गया है, इस समय उसका निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। जुलाई में लड़के भर्ती होते हैं। जुलाई में भर्ती होने के बाद ही सरकार यह जान सकती है कि कितने लड़कों की फीस हम को देनी है, इसीलिये पारसाल आपने देखा होगा कि एक सप्लीमेंटरी बजट ले आना पड़ा जिसमें करीब करीब ८ लाख रुपये की मांग की गयी तो अगर आप आज ही यह चाहते हैं कि इस अनुदान की संख्या में वृद्धि कर दी जाय तो कितनी वृद्धि की जाय यह साफ तौर से नहीं कहा गया। काफी माननीय सदस्यों ने यह भी शिकायत की कि इसमें संख्या कम है तो उसका एक मात्र कारण यह है कि हम आज इस स्थिति में नहीं हैं और हो भी नहीं सकते कि अगले वर्ष लड़के हमारे कालेजेज और यूनिवर्सिटीज से पास होंगे लेकिन इससे आपको घबराहट नहीं होनी चाहिये। जब हम स्पष्ट कहे जा रहे हैं कि जब लड़कों की संख्या जितनी भी बढ़ती जायगी हम प्रत्येक लड़के की फीस को सरकार की ओर से देंगे तो फिर आपको क्या परेशानी हो जाती है कि बजट में संख्या अधिक है या कम है। अगर वह संख्या पूरी नहीं हुई और पूरी फीस नहीं दी जा सकी तो पूरक अनुदानों के जरिये उसकी पूर्ति की जायगी। बजट ६१ लाख का था, कम कर दिया गया तो इससे घबराहट नहीं होनी चाहिये, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह तो सदैव इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं और भवन में एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने कहा है कि वह यह नहीं चाहते कि धन की कमी के कारण हमारा उत्थान या उन्नति के कार्य रुक जायं। उसके बाद फिर यह समझना कि हरिजनों के लिये लापरवाही बरती गयी है यह अनुचित है। हां, जैसा मैंने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि यह संभव है कि समस्या के आकार को देखते हुये, उनकी दीन दशा को देखते हुये, समाज में इतने दिनों तक जो उनका स्थान था, जो वे पददलित थे उसको देखते हुये यह हो सकता है कि आपको ये बजट के आंकड़े मालूम हों कि बहुत कम हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था और फिर दोहरा देना चाहता हूं कि आपको यह समझ कर कि सरकार उस क्षेत्र में कुछ कर रही है शांति रखनी चाहिये और यदि मान भी लें कि ७८ करोड़ का बजट है तो इन ७८ करोड़ में से ऐसा तो नहीं है कि जो काम होंगे उससे हरिजन समाज वंचित रहेगा। उनमें से तो प्रत्येक हरिजन, जैसे किसी दूसरी जाति का प्रत्येक मनुष्य भागीदार है वैसे ही आप भी भागीदार हैं लेकिन यह तो उसके अतिरिक्त एक अनुदान है जो कि इसीलिये है और मैं समझता हूं कि यह कोई अन्याय नहीं है यदि आप इस बात की मांग करें और समझें कि जितनी सुविधा चाहे वह किसी प्रकार से भी हो आपके लिये दी जानी चाहिये उतनी दी जानी चाहिये और उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं की जायगी। लेकिन यह अगर और कौमों को थोड़ी देर के लिये रोक कर आपके ही उत्थान का काम करें

[श्री हरगोविन्द सिंह]

तो शायद अनुचित होगा, क्योंकि इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। अगर समाज पूरा पिछड़ा रहे और आप ही बढ़ जायं तो फिर भी समाज में वही समस्यायें रहेंगी जो आज हैं केवल आपके स्थान पर दूसरा आ जायेगा तो इससे समाज कल्याण नहीं हो सकेगा। समाज का निर्माण तो तभी संभव है जब संपूर्ण समाज को एकत्रित करके उसका उत्थान किया जाय तभी समाज का कल्याण होगा और तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को मंजूर करेगा।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—मैं स्पष्ट कहना पसंद करता हूं जहां तक नौकरियों का संबंध है और पिछड़ी और अछूत जातियों के आगे बढ़ाने का संबंध है उसमें ज्यादातर जो कोई नौकरी देने वाले लोग हैं वह ऊंची जाति के लोग हैं और वह अन्याय जरूर करते हैं। इसलिये इसको अपनी जगह पर ठीक करने के लिये यह निहायत जरूरी है कि जो अप्वाइंटिंग अथारिटी हो, चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जिलाधीश हो, चाहे अन्य कोई और अधिकारी हो लेकिन इनमें कोई पिछड़ी जाति का भी हो तो ज्यादा अच्छा है। अछूत जाति के लोगों का और पिछड़े हुये मुसलमानों का होना भी निहायत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस समस्या को उनके हाथ में नहीं दिया जायगा तब तक इसका हल नहीं होगा।

मैं एक मिसाल इस संबंध में कहूंगा। अभी हाल के नायब तहसीलदारों के चुनाव में जौनपुर जिले के एक रामसेवक यादव, जो एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया था, उसने इस सर्विस के लिये कोशिश की और इंतिहा कोशिश के बावजूद भी वह नहीं लिया गया और थर्ड पोजीशन जिसकी आई और जो जाति का ब्राह्मण था वह लिया गया।

इस प्रकार से मैं आपको बतलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी दो कैपेसिटी बतलाई हैं। एक तो उत्तर प्रदेशीय सरकार के बहैसियत मुख्य मंत्री के और दूसरे वह इस देश के नागरिक हैं। यह चीज अपनी जगह पर सही है। मैं भी अपनी छोटी सी जिन्दगी में ६ नौकरियों को छोड़ चुका हूं और मैंने एक मामूली मिडिल स्कूल की मास्टरी से अपने जीवन को आरम्भ किया है और इन छः नौकरियों में मैंने पुलिस की भी नौकरी की है और अन्त में गवर्नमेंट इन्टर कालेज, इटावा में हो गया और वहां से भी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे खेद है कि इसलिये मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था उसकी यह आदत थी कि जो उसके पैर छू लेता था उसको वह नौकरी देता था और हर बात में तरजीह और तरगीब देता था और मेरी शिकायत हुई कि यह इंगलिश मास्टर है और कट्टर जाति का है। यही मेरी डिसक्वालिफिकेशन थी जिससे मुझे नौकरी से सुबुकदोश होना पड़ा। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आया तो देखता हूं कि कोई ब्राह्मण स्कूल है, कोई कायस्थ स्कूल है, और कोई बनिया स्कूल है, क्योंकि पिछड़ी जाति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने स्कूल खुलवा सकें। इसलिये ऊंची जाति के लोग उन लोगों के साथ अन्याय करते हैं। हमारे ये ब्राह्मण, बनिये और कायस्थ भी आपस में लड़ते हैं लेकिन जब बैकवर्ड क्लास की तरक्की का सवाल आता है तो रिजर्वेशन की वजह से बेबसी है वरना वह अछूतों के साथ न्याय करने में हिचकेंगे नहीं। मेरे साथ भी इस तरह का तीन बार अन्याय हुआ। ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स का ग्रेड पाने के लिये मैं तीन बार डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां पेश हुआ। सिनियारिटी और जूनियारिटी का सवाल यह है कि जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था वह मुझसे आगे किये गये और मुझे वह ग्रेड नहीं दिया गया।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप यह किस सन् की बात बतला रहे हैं।

श्री वंशीदास धनगर—सन् १९४७ से लेकर १९५१ ई० तक की यह बातें हैं। सन् १९५१ ई० में मैंने रिजाइन किया और चेयरमैन साहब, जो कि कांग्रेस टिकट पर खड़े हुये थे, उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ और मैंने उनका मुकाबिला किया। आज भी यह चीज है क्योंकि जातिवाद भीतरी जड़ पकड़े हुये है क्योंकि वहां के जो चेयरमैन थे उनको मुझे चैलेंज करना पड़ा और उन्हीं के जिले में मुझे उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और चूंकि उनकी जमानत भी जब्त हुई और भी कैन्डीडेट्स की जमानत जब्त हुई, तो यह ख्याल हुआ कि यह तो ब्राह्मण और ठाकुर की नाक कट गई और एक गड़रिया चुनाव में आ गया। आज यह चीजें समाज में इतनी गहरी जड़ पकड़े हुये हैं तो मुख्य मंत्री जी से बड़ी बेबसी से कहना पड़ता है कि पैर छूना, पालागन करना और जुहार करना ये सब रूढ़ियां आज समाज में गहराई तक घुसी हुई हैं। हमारे मुख्य मंत्री के यहां जब एम०एल० एज० लोग पहुंचते हैं तो वहां मैं अपने को बेबस पाता हूं जब मैं देखता हूं कि दो आदमी चिलम भरने के लिये और दो आदमी उनके पैर छूते हैं और हम नहीं छूते तो वहां तरजीह और तरगीब का सवाल पैदा हो जाता है। जहां वह पाजिटिवली एक नागरिक की हैसियत से सोचते हैं वहां निगेटिवली भी सोचने की जरूरत है कि समाज में ऐसी रूढ़ियां हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह चिलम भरने की बात अजीब सी लगी। कभी मैंने देखा नहीं।

श्री वंशीदास धनगर—इस मुहाविरे के कहने का आदी हो गया हूं। इसलिये बेबस हूं। अगर वैधानिक तरीके से सही नहीं है तो वापस लिये लेता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अवैधानिक कोई बात नहीं है। सवाल है सही बात कहना और बेबुनियाद बात कहना।

श्री वंशीदास धनगर—चिलम की बात वापस लेता हूं। बेजा खुशामद की बात उसकी जगह इस्तेमाल करता हूं। तरजीह और तरगीब की बात कहता हूं। एक दफा मैं सर्विस में था। जिस दिन उनकी जन्मतिथि थी उस दिन मैं २७ आदमियों का डेपुटेशन लेकर उनसे मिला और हमारे गृह मंत्री भी मौजूद थे। इंटरमिजियेट कालेज, इटावा में एक बड़ी भारी समस्या थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसको लेकर मैं मुख्य मंत्री से मिला था और मैंने उनसे यह प्रस्ताव किया था चूंकि इस चीज से समाज में बड़ा अन्याय और अत्याचार होता है, उसको रोकना चाहिये। यह चीज इम्तहान की कापियों तक में होती हैं, लोगों को डिवीजंस उसी हिसाब से दिये जाते हैं कि फलां लड़का पंडित है, उसके नाम के पीछे और आगे पंडित की उपाधि लगी हुई है। हो सकता है कि उस समय शिक्षा मंत्री जी ने ये हुकुम भी निकाल दिया हो कि नामों के आगे जाति न लिखी जाय लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तरकीब निकाल ही ली जाती थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज में इतनी गहराई के साथ यह चीज पहुंच चुकी है कि आज जबकि संसार भौतिकवादी है तो ये चीजें पचाई नहीं जा सकतीं। अति का अन्धेर जागृति पैदा करेगा। इसको न कोई पार्टी रोक सकेगी और न दुनिया की कोई ताकत रोक सकेगी। जब अंग्रेजों का जुल्म जरूरत से ज्यादा हिन्दुस्थान पर हुआ और जब महात्मा गांधी की बेइज्जती काले और गोरे के प्रश्न पर दक्षिणी अफ्रीका में हुई, तो हिन्दुस्तान में उन्होंने वह आंदोलन खड़ा किया जिसकी वजह अंग्रेजों का पता नहीं चला कि वे किस गली से हिन्दुस्तान छोड़ गये। तो कोई भी रूढ़िवादी समाज की व्यवस्था राजनीतिक पार्टी के आधार पर छिपाने से छिपी नहीं रह सकती और एक दिन वह सत्य ही होकर रहेगी। समाज के नाम पर, जाति के नाम पर

[श्री बंशीदास धनगर]

और राजनीतिक पार्टी के नाम पर किसी भी तबके को ज्यादा दिन तक सताया नहीं जा सकता, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। एक दिन ऐसा आयेगा कि वह मानव के नाम पर संगठित अवश्य होंगे। मैं समझता हूं कि उनके अधिकारों को कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी ही गलतफहमी से क्यों न छिपाना चाहे, छिपाये नहीं रह सकती।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक ५७---विविध व्यय) के अन्तर्गत ५,४,५५,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ७ बजे, सोमवार, ९ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;
६ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

जी० एस० यू० पी० ए० पी० १८० एल० ए०—१९५३—८५०।